रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072022-237660
CG-DL-E-28072022-237660

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944
No. 186] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. ए.डी (ओआई)-07/2021

विषय : कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा.सं. 6/7/2021-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतू) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे "पाटनरोधी नियमावली"अथवा "नियमावली" अथवा "एडी नियमावली" कहा गया) को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मैसर्स अमेरिकन परिकोट स्पेशिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "याचिकाकर्ता" या "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" अथवा "डीआई" कहा गया है) ने कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "हॉट रोल्ड अथवा कोल्ड रोल स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद, जो

निरंतर इलैक्ट्रोलिटीकली प्लेटेड अथवा जिंक के साथ कोटेड हैं, एलाइंग एलिमेंट्स से युक्त अथवा उसके बिना हैं" (जिन्हें यहां आगे "इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील" अथवा "इजी स्टील" अथवा "संबद्ध सामान" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करने की मांग करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी हो रही है।

2. प्राधिकारी ने, आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को वास्तविक मंदी के रूप में तथाकथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 28 जून, 2021 की अधिसूचना सं. 6/7/2021-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच में यहां नीचे वर्णित की गई प्रक्रिया अपनाई गई है:

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरु करने के लिए कार्यवाही से पूर्व वर्तमान आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 28 जून, 2021 को सार्वजनिक सूचना जारी की।

iii. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।

iv. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी परिचालित की गई थी।

v. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने अपने देशों के उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र एवं प्रश्नावली की प्रति भी उन्हें संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ भेजी गई थी।

vi प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पाटनरोधी जांच शुरु करने की सार्वजनिक सूचना की प्रति भेजी और नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार उनके ज्ञात अनुरोध देने के लिए उन्हें अवसर प्रदान किया।

(i) हुंडई स्टील कंपनी

(ii) ट्रेवर्स इंटरनेशनल इन्सुलेशन मैटिरियल्स एलएलसी

(iii) बाओस्टील सिंगापुर पीटीई लिमिटेड

(iv) मेटल वन कारपोरेशन

(v) पोस्को

(vi) वूसुंग प्लेटिंग कंपनी लिमिटेड

(vii) हन्वा कंपनी लिमिटेड

(viii) ओकाया एंड कंपनी लिमिटेड

(ix) जेएफई स्टील कारपोरेशन

(x) हुआ जिन होल्डिंग पीटीई लिमिटेड

(xi) एविस एंटी इंटरप्राइजेज पीटीई लिमिटेड

(xii) पाना रिसोर्सिज पीटीई लिमिटेड

(xiii) येस्टील इंडस्ट्रियल

(xiv) डोंग मा कारपोरेशन

(xv) शिन स्टील कंपनी लिमिटेड

(xvi) डूवन स्टील कंपनी लिमिटेड

(xvii) समिन कारपोरेशन

vii. संबद्ध जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दायर कर, उत्तर दिया है:

(i) हुंडई कारपोरेशन

(ii) एलजी हाउसिस लिमिटेड

(iii) बी.एन. स्टीला कंपनी

(iv) हुंडई स्टील कंपनी

(v) निप्पन स्टील कारपोरेशन

(vi) हांडा ट्रेडिंग कारपोरेशन

(vii) निप्पल स्टील ट्रेडिंग कारपोरेशन

(viii) एनएसएम कॉयल सेंटर कंपनी लिमिटेड

(ix) एनएसटी निहॉन टेप्पन कंपनी लिमिटेड

(x) सन्वा स्टील कंपनी लिमिटेड

(xi) सुमिटोमो कारपोरेशन ग्लोबल मेटल्स कंपनी लिमिटेड

(xii) टेटसुशो कायाबा कारपोरेशन

(xiii) सामयांग स्टील

(xiv) डीके डोंगशिन कंपनी लिमिटेड

(xv) डोंगकुक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड

(xvi) डोंगकुक स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(xvii) पोस्को, कोरिया गणराज्य

(xviii) सैमसंग सीएंडटी कारपोरेशन

(xix) पोस्को इंटरनेशनल कारपोरेशन

(xx) विनस्टील कंपनी लिमिटेड

(xxi) पोस्को सीएंडसी, कोरिया गणराज्य

(xxii) डीसीएम कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य

(xxiii) डाना कोरिया कंपनी लिमिटेड

viii. प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी:

(i) यामहा मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(ii) नाश इंडस्ट्रीज (आई) प्राइवेट लिमिटेड

(iii) ऑटोमोटिव एंसिलरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

(iv) एलिन इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

(v) गोलकोंडा इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेज लिमिटेड

(vi) हिमालय कम्युनिकेशन्स लिमिटेड

ix. संबद्ध जांच की शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर दायर कर, उत्तर दिया है:

(i) हुंडई स्टील अनंतपुर

(ii) हुंडई स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(iii) पोओएस-हुंडई स्टील मैन्युफै.(आई) प्राइवेट लिमिटेड

(iv) हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड

(v) टाटा मोटर्स लिमिटेड

(vi) व्हीलफूल ऑफ इंडिया लिमिटेड

(vii) होंडा ट्रेडिंग कारपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(viii) नीमराना स्टील सर्विस सेंटर

(ix) राजस्थान प्राइम स्टील प्रोसेसिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड

(x) पोस्को इंडिया प्रोसेसिंग सेंटर

(xi) पोस्को इंडिया पुणे प्रोसेसिंग सेंटर

(xii) एलजी इलैक्ट्रानिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

x. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं परंतु जांच प्रक्रिया के दौरान कानूनी एवं तथ्यात्मक अनुरोध किए हैं:

(i) जेएफई स्टील कारपोरेशन

(ii) कोबे स्टील लिमिटेड

xi. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 है। वर्तमान जांच के लिए क्षति जांच अवधि 2017-18, 2018-19, 2019-20 और जांच की अवधि है। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में जांच की अवधि के बाद की अवधि (1 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2021) के लिए घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर भी विचार किया है।

xii. आवेदक को प्राधिकारी द्वारा डीजीसीआईएंडएस से जांच की अवधि और पूर्व के तीन वर्षों के लिए लेन-देनवार आयात आंकड़े प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। जांच की शुरुआत के बाद आंकड़ों के प्रसारण के संबंध में नीति में परिवर्तन था। प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों का

सत्यापन करने के लिए डीजी सिस्टम से आयात आंकड़े प्राप्त किए। तथापि, डीजी सिस्टम द्वारा अपनाई गई छंटाई पद्धति के कारण प्राप्त किए गए आंकड़े आवेदक द्वारा प्रस्तुत डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों की तुलना में व्यापक नहीं थे।

xiii. इस सीमा से निपटने के लिए प्राधिकारी ने उत्तरदाता निर्यातकों के आंकड़ों सहित घरेलू उद्योग द्वारा दायर आंकड़ों पर विश्वास करने का निर्णय लिया। निर्यातकों से सहयोग को देखते हुए वह काफी महत्वपूर्ण है, उत्तरदाता निर्यातकों के आंकड़ों के साथ घरेलू उद्योग द्वारा दायर आंकड़े जांच की अवधि के दौरान और उसके संबद्ध मानदंडों में संबद्ध सामानों के कुल आयातों का अनुमान लगाने के लिए एक विश्वसनीय आधार प्रदान करते हैं।

xiv. प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गई सीमा तक आवेदक से और सूचना मांगी। घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

xv. प्राधिकारी ने आवश्यक समझी गई सीमा तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों से और सूचना मांगी। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

xvi. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर उन सबसे इस अनुरोध के साथ अपलोड की गई थी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें क्योंकि चल रही कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप से पहुंच में नहीं थी।

xvii. घरेलू उद्योग ने सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार और जो सनदी लेखाकार/लागत लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित किए गए हैं, वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) नियमावली के अनुबंध-III के तहत उल्लिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के आधार परिकलित की गई है। एनआईपी यह सुनिश्चित करने के लिए निकाली गई है कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

xviii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19 अप्रैल, 2022 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे मौखिक रूप में व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया था।

xix. जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, उठाए गए तर्क और विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना, जहां तक वे साक्ष्यों के साथ समर्थित थी और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई थी, पर इस प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से विचार किया गया है।

xx. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है, अथवा अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच की है।

xxi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां आवश्यक था गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है।

जहां भी संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को अगोपनीय रूपांतर में गोपनीय रूपांतर का पर्याप्त सार प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

xxii. इस प्रकटन विवरण में ***गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना तथा नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xxiii. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनियमय दर 1 अमरीकी डालर=75.02 भारतीय रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद निम्नलितखित रूप में परिभाषित किया गया था:-

"3.विचाराधीन उत्पाद ("पीयूसी") "हॉट रोल्ड अथवा कोल्ड रोल स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद, जो निरंतर इलैक्ट्रोलिटीकली प्लेटेड अथवा जिंक के साथ कोटेड हैं, एलाइंग एलिमेंट्स से युक्त अथवा उसके बिना" हैं। विचाराधीन उत्पाद सामान्य रूप से इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील के रूप में जाना जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद अलाय अथवा नान-अलाय स्टील हो सकता है चाहे वह प्राइम अथवा नॉन-प्राइम गुणवत्ता का हो या नहीं। विचाराधीन उत्पाद कॉयल में अथवा नॉट इन कॉयल रूप में हो सकता है। विचाराधीन उत्पाद में इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील की सभी किस्में शामिल हैं चाहे वे कोटेड हों या न हों, पैसिवेटेड, प्रि-ट्रिटिड, प्रि-प्रिंटिड, कलर कोटेड, थिन आर्गेनिक कोटेड, क्रोमेटेड, फासफेटेड, प्रिंटिड हो या न हो, चाहे वे कारुगेटेड अथवा प्रोफाइल्ड हो या न हो और चाहे वे एंटी-फिंगरप्रिंट ट्रीटमेंट वाले हों या न हों।

5. निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया है:

i. फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद, जो एल्युमिनियम अथवा जिंक के साथ कोटेड अथवा प्लेटेड है।

ii. फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद जो न्यूनतम 11 प्रतिशत होते हुए निकेल के साथ जिंक और निकेल के अलॉय के साथ कोटेड अथवा प्लेटेड है।

iii. हॉट-डिप ग्लेवनाइज्ड फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद।

iv. टिन-मिल फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद।

6. विचाराधीन उत्पाद का प्रत्याशित अंतिम प्रयोग संक्षारण से संरक्षण के लिए है और प्रमुख रूप से इलैक्ट्रोनिक उपकरणों, ऑटो अनुप्रयोगों, उपभोक्ता इलैक्ट्रानिक्स, फर्नीचर, एचवीएसी, रूफिंग और साइडिंग, सीलिंग ग्रिड, निर्माण, कार्यालय उपस्करों आदि के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाता है।

7. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के एचएस कोड 7210, 7212, 7225 और 7226 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के आयात सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के एचएस कोड 7209 और 7211 के तहत भी किए गए हैं।"

5. जांच प्रक्रिया के दौरान उपयुक्त तुलना के लिए कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) सिद्धांत का प्रस्ताव किया गया था। प्राधिकारी ने 10 अगस्त, 2021 को निम्नलिखित पीसीएन सिद्धांत का प्रस्ताव किया:

क्र.सं.	पीसीएन मापदंड	विवरण	कोड
1	कोटिंग	बेयर इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील	ख
		इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील जो पैसिवेटेड, प्रि-प्रिंटिड, कलर कोटेड, थिन आर्गेनिक कोटेड, क्रोमेटेड, फास्फोटेड अथवा प्रिंटिड है।	ग

6. हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे 16 अगस्त, 2021 तक प्रस्तावित पीसीएन सिद्धांत पर टिप्पणियां दें। प्राधिकारी ने 14 अक्तूबर, 2021 को अंतिम पीसीएन सिद्धांत जारी किया, जो निम्नलिखित है:

क्र.सं.	**पीसीएन मापदंड**	**विवरण**
1	बेयर इलैक्ट्रोग्लवानाइत्ज्ड स्टील	क
2	कोटेड इलैक्ट्रोग्लवानाइत्ज्ड स्टील	ख
3	लेमिनेटेड इलैक्ट्रोग्लवानाइत्ज्ड स्टील	ग

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

7. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क) आवेदक ने उल्लेख किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री सीआर कॉयल और अन्य रसायन हैं और इसीलिए यह जांच करना आवश्यक हो जाता है कि क्या ईजी स्टील सीआर स्टील का ठीक दूसरा रूप है क्योंकि प्राधिकारी पहले ही कोल्ड रोल्ड/कोल्ड रिड्युस्ड फ्लैट स्टील उत्पादों[1] की निर्णायक समीक्षा कर रहे हैं।

ख) विचाराधीन उत्पाद के जिन ग्रेडों की बिक्री और निर्यात जेएफई स्टील कारपोरेशन (इसके बाद जेएफई) और निपोन स्टील कारपोरेशन द्वारा भारत को किए जाते हैं, वे घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक रूप से उत्पादित अथवा बेचे नहीं जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद के ये ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले ग्रेडों से वाणिज्यिक रूप से अथवा तकनीकी रूप से प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते। जेएफई पूरी तरह से एकीकृत स्टील उत्पादक हैं। इससे जेएफई के लिए ईजी स्टील हेतु पदार्थों की गुणवत्ता नियंत्रित करने और उच्चतर गुणवत्ता की ईजी स्टील उत्पादित करने के लिए संभव हो जाता है। घरेलू उद्योग ईजी स्टील के विनिर्माण के लिए सामानों की खरीद करता है। अत:, यह अनुमान लगाया जाता है कि घरेलू उद्योग के सामाना की गुणवत्ता में अत्यधिक अंतर है। साथ ही, वह गुणवत्ता में इन-हाउस सुधार नहीं कर सकता।

ग) एक ओर से कोटिंग के साथ विशेष निर्माण ग्रेडों का ईजी स्टील (डीप ड्राइंग क्वालिटी) अर्थात जेएफई-सीई-ईजेड, जेएफई-सीएफ-ईजेड, जेएफई-सीजी-ईजेड, जेएफई-सीजीएक्स-ईजेड-जेईएफसी270ई, जेएफईसी270एफ, जेएफईसी260जी, एसईसीई, सीईसीएफ और एसईसीजी को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहार किया जाना चाहिए।

घ) एक ओर से कोटेड ईजी स्टील का उत्पादन कठिन है और डीप ड्राविंग प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित किया जाता है जिसके लिए उच्च स्तरीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग मोटर साईकिलों के ईंधन टैंकों और कृषि संबंधी मशीनों के विनिर्माण के लिए किया जाता है।

ड) घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान अथवा जांच की अवधि के बाद एक ओर कोटिंग का भारी उत्पादन अथवा वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया है।

च) "कोटेड ईजी स्टील" के स्पष्टीकरण के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध के बारे में यह अनुरोध है कि कोटिंग की प्रक्रिया पैसिविटिंग, प्रि-प्रिंटिंग, क्रोमेटिंग, फोसफेटिंग और प्रिंटिंग की प्रक्रिया से भिन्न है। दोनों प्रक्रियाओं को बराबर नहीं माना जा सकता और इसीलिए ईजीएस, जिसमें ये प्रक्रियाएं की गई हैं, बेयर ईजीएस का भाग नहीं बन सकते।

छ) ऑटोमेटिव स्टील उत्पादों के लिए विशिष्ट विनिर्देशनों की आवश्यकता होती है और ऑटोमोटिव उद्योग की विशिष्ट प्रकृति के कारण इन मानकों पर समझौता नहीं किया जा सकता और वे प्रतिस्थापनीय नहीं हो सकते।

[1] https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Initiation%20Notification%20%20%28English%29%20CRSSR%2031.03.2021%20%281%29.pdf

ज) घरेलू उद्योग ने 1270 एमएम की अधिकतम चौड़ाई तक का ही विनिर्माण करने की क्षमता है, जबकि जेएफई 1850 एमएम तक का विनिर्माण कर सकती है। एक पूर्व जांच[2] में प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद की चौड़ाई 1650/1250 एमएम तक सीमित की है क्योंकि घरेलू उद्योग ने 1650/1250 एमएम से अधिक का विनिर्माण नहीं किया। इस प्रकार विचाराधीन उत्पाद को 1270 एमएम चौड़ाई पर ही रखा जाना चाहिए।

झ) ग्राहकों ने स्थिर गुणवत्ता और सुपुर्दगी नियंत्रण के कारण निपोन स्टील के उत्पाद को चुना।

ञ) पोस्को स्टीलियोन द्वारा विनिर्मित और बेचे जाने वाले कलर कोटेड, प्रिंटेड (जिन्हें उच्च गुणवत्ता की ईजीएस के रूप में उल्लिखित किया गया है) और लेमिनेटेड ईजीएस को विचाराधीन उत्पाद से अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि वे घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद से वाणिज्यिक रूप से अथवा तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। ईजी स्टील की उपर्युक्त श्रेणियां प्रमुख रूप से घरेलू उपकरणों के विनिर्माण में प्रयुक्त की जाती हैं, जहां यदि उपकरण की सतह कमी ही नहीं है तो उसे दोषपूर्ण मद माना जाता है।

ट) घरेलू उद्योग के पास घरेलू उपकरणों के विनिर्माण में प्रयुक्त लेमिनेटेड/पैटर्न प्रिंटेड/कलर कोटेड इजीएस का विनिर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी तथा मशीनें नहीं हैं। इसका सत्यापन गुजरात में याचिकाकर्ताओं के कारखाने में संयंत्र का दौरा करके भी किया जा सकता है। अत: घरेलू उपकरणों के विनिर्माण में प्रयुक्त लेमिनेटेड/पैटर्न प्रिंटेड/कलर कोटेड ईजीएस को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

ठ) घरेलू उपकरणों में प्रयुक्त फिल्म लेमिनेटेड स्टील शीटों ("एफएलएसएस") का विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है और इसीलिए उन्हें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए।

ड) उत्तरदाता (पोस्को) के निर्यात और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद प्रतिस्पर्धी संबंध में नहीं हैं क्योंकि विचाराधीन उत्पाद को नियमावली के नियम 2(घ) के तहत परिभाषित किए गए अनुसार, समान वस्तु नहीं माना जा सकता।

ढ) नियमावली के नियम 2(ख) और (घ) को साथ-साथ पढ़ने से स्पष्ट रूप से यह निर्धारित होता है कि यदि किसी उत्पाद विशेष को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाता है तो कोई भी वास्तविक क्षति उन उत्पादों के आयातों के कारण नहीं हो सकती।

ण) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित न किए गए विचाराधीन उत्पाद के ग्रेडों को हटाने डीजीटीआर की पूर्व परिपाटी[3] के अनुरूप रहते हुए प्राधिकारी को जेएफई और एनएससी द्वारा दावा किए गए पीसीएन को हटाने की स्वीकृति देनी चाहिए। एक्सोटिक डेकर प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी[4] , मैगनेट यूजर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी[5] और इंडियन रिफेक्टरी मेकर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट

---

[2] चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ, जापान, ताईवान, इंडोनेशिया, यूएसए, थाइलैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, हांगकांग, सिंगापुर, मैक्सिको, वियतनाम और मलेशिया से स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच, अंतिम जांच परिणाम दिनांक 23 दिसंबर, 2020; चीन जन.गण., जापान, कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताईवान (चीनी ताइपेई), थाइलैंड और यूएसए से स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क जांच, अंतिम जांच परिणाम दिनांक 24 नवंबर, 2009.

[3] चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कोटेड पेपर" के आयातों से संबंधित पाटन जांच में, अंतिम जांच परिणाम दिनांक 26 दिसंबर, 2018, डीजीटीआर ने कुछ उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से हटा दिया क्योंकि उनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता था इसके अतिरिक्त, चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ, जापान, ताईवान, इंडोनेशिया, यूएसए, थाइलैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, हांगकांग, सिंगापुर, मैक्सिको, वियतनाम और मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में, अंतिम जांच परिणाम दिनांक 23 दिसंबर, 2020, डीजीटीआर ने कुछ ग्रेडों को जांच के क्षेत्र से हटा दिया क्योंकि उसमें घरेलू उद्योग ने निर्यातक (जो हटाए जाने की मांग कर रहा था) के दावे का खंडन नहीं किया कि कुछ ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किए जा सकते और यह कि तुलनीय ग्रेडों का उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा नहीं की गई है।

[4] *2018 की पाटनरोधी अपील सं. 52233.*

[5] (2003 (157) ईएलटी 150 (ट्राई)

प्राधिकारी[6] के मामले में सेस्टेट ने माना है कि घरेलू उत्पादक द्वारा विनिर्मित न किए गए उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि वे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं पहुंचा सकते।

त) प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या आयातित वस्तु को घरेलू उत्पाद के साथ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय अथवा घरेलू उत्पाद की समान वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी[7] में माननीय सेस्टेट द्वारा उल्लिखित कारकों और डब्ल्यूटीओ पैनल तथा अपीलीय निकायों की रिपोर्टों[8] को ध्यान में रखना चाहिए।

थ) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद की कीमत, भौतिक एवं रासायनिक गुण-धर्म, गुणवत्ता और परिष्करण तथा आयातित उच्च गुणवत्ता के ईजीएस उत्पाद की कीमत भौतिक एवं रासायनिक गुण-धर्म, गुणवत्ता और परिष्करण भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों उत्पादों के अंतिम प्रयोग और ग्राहक की प्राथमिकताएं भिन्न भिन्न हैं। रेफ्रिजरेटर और ऐसे अन्य घरेलू उपकरणों के विनिर्माण में उच्च गुणवत्ता वाले ईजीएस के प्रयोग के संबंध भारतीय आयातकों से एक पत्र इस दावे को सिद्ध करता है। अत: उच्च गुणवत्ता वाली ईजीएस को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वे नियमावली के नियम 2(घ) के तहत समान वस्तु नहीं हैं।

द) इस संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है कि उत्पाद को बाहर रखने में प्रयुक्त "11 प्रतिशत के न्यूनतम पर लक्षित" उप वाक्य का अर्थ क्या है।

ध) मौखिक सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने यह स्पष्ट किया था कि कि निकेल की मात्रा के न्यूनतम 11 प्रतिशत के साथ विचाराधीन उत्पाद के अर्थ वाला उप वाक्य अलग किया जाना चाहिए।

न) निकेल-जिंक का अनुपात हुंडई स्टील कारपोरेशन द्वारा उत्पादित और निर्यातित निकेल जिंक ईजीएस के लिए 9 प्रतिशत से 13 प्रतिशत के बीच है। अत:, प्राधिकारी को उसे बाहर करने की स्थिति परिभाषित करते समय निकेल की मात्रा का अनुपात न्यूनतम 9 प्रतिशत में संशोधित करना चाहिए।

प) एलजी इंडिया विशेष प्रकार के ईजी स्टील अर्थात लेमिनेटेड [वीसीएम, विनाइल कोटेड और पीवीसी कोटेड, पोलीथीलीन टेरेपथालेट (पीईटी)] (जिसे यहां आगे लेमिनेटेड पीयूसी के रूप में एकत्रित उल्लिखित किया गया है) रेफ्रिजरेटर के सामने के दरवाजों के विनिर्माण के लिए ईजी स्टील का प्रयोग करता है। घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि वह लेमिनेटेड/वीसीएम ग्रेड का विनिर्माण नहीं करता और न ही उसके पास उसका विनिर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी है और इसीलिए एलजी इंडिया उसका आयात करने के लिए विवश है।

फ) लेमिनेटेड पीयूसी विचाराधीन उत्पाद की अन्य किस्मों से भौतिक रूप से और देखने में भिन्न है क्योंकि विनाइल और पीवीसी शीट की एक पतली परत ईजी स्टील के ऊपर लगाई जाती है और प्रिंटेड पीयूसी से भिन्न है जिसमें ईजी स्टील पर कोटिंग की परत के रूप में पेंट का प्रयोग किया जाता है।

ब) विचाराधीन उत्पाद की इन दोनों श्रेणियों के प्रयोग में काफी अंतर है। लेमिनेटेड विचाराधीन उत्पाद अंतिम उत्पाद (रेफ्रिजरेटर) को देखने में एक अच्छी तस्वीर देता है जो विचाराधीन उत्पाद के किसी अन्य प्रकार से नहीं दी जा सकती।

---

[6] (2009 (119) ईएलटी 319 (ट्राई)

[7] (2016) (334) ईएलटी 552

[8] *जापान – एल्कोलिक बीवरेजिज अपीलीय निकाय की रिपोर्ट, डब्ल्यूटी/डीएस11/एबी/आर, जापान – एल्कोलिक बीवरेजित, पृष्ठ 20.*

कनाडा – पिरियोडिकल अपीलीय निकाय रिपोर्ट, डब्ल्यूटी/डीएस31/एबी/आर, कनाडा – पिरियोडिकल्स, पृष्ठ 21

भ) लेमिनेटेड पीयूसी अन्य प्रकार के पीयूसी की अपेक्षा काफी खर्चीला भी है और इसका विश्लेषण नमूना बीजकों से किया जा सकता है।

म) एलजी इंडिया को अपने कुछ रेफ्रिजरेटरों के मॉडलों के लिए विशेष प्रकार के पेंटेड/कोटेड (पीसीएम, प्रि-कोटेड) ईजी स्टील की आवश्यकता होती है। घरेलू उद्योग पेंटेड/कोटेड पीयूसी की भिन्न श्रेणी का विनिर्माण कर रहा है।

य) आयातित उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। बिरला पेरिक्लेस बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी[9] के मामले में सेस्टेट ने आयातित वस्तु को अलग किया था क्योंकि वह भारत में विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद का स्थानापन्न नहीं था। अधिकरण ने नोट किया था कि उच्च तापमान सहन करने के लिए फ्यूज्ड मैग्नेशिया और सिंटर्ड मैग्नेशिया, दोनों का प्रयोग किया जाता है परंतु रिफेक्ट्री अनुप्रयोगों के लिए अधिक घना खनिज होने के नाते फ्यूज्ड मैग्नेशिया को सिंटर्ड मैग्नेशिया के स्थानापन्न के रूप में नहीं माना जा सकता। अत: फ्यूज्ड मैग्नेशिया को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया।

कक) यदि प्राधिकारी एलजी इंडिया द्वारा अपेक्षित लेमिनेटेड पीयूसी और विशेष प्रकार के पेंटेड/कोटेड पीयूसी को शामिल करने का निर्णय लेते हैं तो यह अनुरोध है कि प्रयोक्ता आधारित छूट प्रदान की जाए। यह छूट वर्तमान मामले के तथ्यों में अपेक्षित है क्योंकि उपर्युक्त उत्पाद भारत में स्थानीय रूप से उत्पादित नहीं किए जाते हैं और चीन जन.गण., कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताईवान, थाइलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका[10] के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों से संबंधित प्रवंचनारोधी जांचों में पहले ही प्रदान की गई है।

खख) मोटर साईकिल में प्रयुक्त 0.8 एमएम मोटाई के एचईएस-जेईसी270ई, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त 0.5-1 एमएम मोटाई के एनएसईसीसी, ऑटोमोबाईल में प्रयुक्त 1.0.2.0 एमएम मोटाई के एसईसीसी और ऑटोमोबाईल में प्रयुक्त 1.2 एमएम मोटाई के एनएसईसी270ई को अलग किया जाना चाहिए।

गग) जेएफई द्वारा प्रार्थित हटाए जाने के मामले के संबंध में यह अनुरोध है कि प्रश्नावली का उत्तर दायर न करने से उन्हें हटाए जाने की मांग करने से निर्यातक को मना नहीं किया जा सकता। इसकी अनुमति विगत में प्राधिकारी द्वारा दी गई, जैसाकि स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों[11] के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में किया गया था।

घघ) टाटा मोटर्स द्वारा आयातित पीयूसी वाहन में सुरक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण उपस्कर है और एआरएआई के समक्ष ही अनुमोदन/होमोलोगेशन प्रक्रिया अपेक्षित परीक्षण प्रक्रिया के साथ एक वर्ष से अधिक का समय लेती है। ईंधन टैंकों को ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) द्वारा जारी किए ऑटोमोटिव वाहनों के धात्विक ईंधन टैंकों के लिए ऑटोमोटिव मानक 095:2007 की अपेक्षाओं का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में प्रयुक्त किए जाने के लिए विचाराधीन उत्पाद की नाजुकता को देखते हुए उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

ड.ड. टाटा मोटर्स ऑटोमोटिव ईंधन टैंकों के विनिर्माण में 12-14 प्रतिशत की न्यूनतम निकेल मात्रा वाले ईजी स्टील का प्रयोग करते हैं।

चच. आवेदक ने आयात आंकड़ों को अलग करते समय जेडएन-एनआई विवरण वाले सभी विचाराधीन उत्पाद को एनपीयूसी के रूप में नामित किया है। यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का ऑटोमोटिव अनुप्रयोग के लिए बने निकेल मात्रा वाले विचाराधीन उत्पाद को अलग करने का इरादा था। घरेलू उद्योग ऑटोमोटिव अनुप्रयोग के लिए बने विचाराधीन उत्पाद के विरुद्ध राहत की मांग भी नहीं कर रहा है।

---

[9] 2000 (116) ई.एल.टी.336 (ट्रिब्यूनल)

[10] अंतिम जांच परिणाम दिनांक 18 अगस्तर, 2017, पृष्ठ 96-97

[11] *चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ, जापान, ताईवान, इंडोनेशिया, यूएसए, थाइलैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, हांगकांग, सिंगापुर, मैक्सिको, वियतनाम और मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच परिणाम, अंतिम जांच परिणाम दिनांक 23 दिसंबर, 2020.*

छछ. 11 प्रतिशत निकेल मात्रा की शुरुआत निर्धारित करने के लिए उचित आधार के अभाव में प्राधिकारी को निकेल की प्रतिशतता पर ध्यान न देते हुए निकेल से युक्त सभी उत्पादों को अलग करना चाहिए।

जज. ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त ईजी स्टील को उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए क्योंकि इसका संबंध ऑटोमोबाइल की सुरक्षा से है और आटोमोबाइल की भारी मांग कर सकता है। अत:, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त ईजी स्टील को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए।

झझ. डोंगकुक स्टील मिल्स कंपनी केवल लेमिनेटेड ईजी स्टील (पीसीएन श्रेणी ग) की बिक्री करती है जो स्वीकार्य रूप से घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित नहीं किया जाता है। अत:, इस उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद से हटाया जाना चाहिए।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

8. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क) उत्पाद को बाहर करना "न्यूनतम 11 प्रतिशत पर लक्षित निकेल" को "न्यूनतम 11 प्रतिशत की निकेल मात्रा" के रूप में पुन: दर्शाया जा सकता है।

ख) ईजी स्टील का व्यापक रूप से निम्नलिखित उद्योग क्षेत्रों/अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है:

- ऑटोमोटिव सेक्टर
- निर्माण एवं वास्तुकला
- घरेलू उपकरण
- घरेलू मनोरंजन
- खाद्य एवं पेय, चिकित्सा उपकरण और अन्य विविध अनुप्रयोग।

ग) हुंडई कारपोरेशन ने दावा किया है कि 9-13 प्रतिशत वाले ईजी स्टील का प्रयोग ऑटोमोटिव क्षेत्र में किया जा सकता है जिसका प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए क्योंकि न्यूनतम 11 प्रतिशत निकेल मात्रा वाला ईजी स्टील ऑटोमोटिव क्षेत्र में प्रयोग के लिए अपेक्षित ईजी स्टील में संक्षारणरोधी गुण-धर्म प्रदान करेगा। टाटा मोटर्स ने मौखिक सुनवाई के दौरान भी स्वीकार किया है कि वह 11 प्रतिशत अथवा अधिक निकेल मात्रा वाले ईजी स्टील का आयात कर रहा है। प्राधिकारी को यह सत्यापन करना चाहिए कि क्या टाटा मोटर्स ने 11 प्रतिशत से कम निकेल मात्रा वाले ईजी स्टील का आयात किया है। यदि टाटा मोटर्स ने 11 प्रतिशत से कम निकेल मात्रा वाले ईजी स्टील का आयात नहीं किया है तो निकेल मात्रा पर ध्यान न देकर निकेल युक्त सभी उत्पादों को बाहर करने के लिए उसका अनुरोध औचित्यपूर्ण नहीं है।

घ) जिस सबसे बड़े क्षेत्र में ईजी स्टील का प्रयोग किया जाता है, वह ऑटोमोटिव क्षेत्र है। घरेलू उद्योग का इरादा ऑटोमोटिव क्षेत्र को ईजी स्टील की आपूर्ति करने का है। वस्तुत:, घरेलू उद्योग ने ऑटोमोटिव क्षेत्र में प्रयुक्त कई प्रकार ईजी स्टील के लिए स्थानीयकरण परियोजनाएं चलाई हैं।

ड.) घरेलू उद्योग एलईडी टीवी बैकप्लेट, किचन चिमनी हाउसिंग, ईंधन टैंक, आडियो प्लेयर हाउसिंग, सन रूफिंग आदि जैसे कम से कम 28 उत्पादों की स्थानीयकरण परियोजनाओं में लगा रहा है। इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्तुति पहले ही प्राधिकारी को दे दी गई है और हितबद्ध पक्षकारों के साथ भी साझा की गई है।

च) घरेलू उद्योग "लेमिनेटेड और/अथवा पैटर्न प्रिंटिड ईजी स्टील, जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर के सामने के दरवाजों में किया जाता है" का निर्माण नहीं करता। प्राधिकारी इन उत्पाद किस्मों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करें। तथापि, इस "लेमिनेटेड ईजी स्टील" का पूर्ण तकनीकी विवरण अंतिम जांच परिणाम में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए, यदि प्राधिकारी उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर

करने का निर्णय लेते हैं। लेमिनेटेड ईजी स्टील को अलग करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विवरण प्रस्तावित है:

"बेयर इलैक्ट्रोग्लवनाइज्ड स्टील जिसमें उचित प्राइमर के साथ फोस्फेटेड प्रि-ट्रीटमेंट किया जाता है और/अथवा टॉप साईड पर बेसकोट और बॉटम साइड पर प्राइमर और/अथवा बैककोट किया जाता है और टॉप साइड पर लेमिनेट किया जाता है, जो प्रिंटेड विनाइल/पीईटी/एएलएफ अथवा न्यूनतम 50 माइक्रोन की एलडीपीई फिल्म के साथ होता है"

छ) यदि प्राधिकारी "प्रिंटेड ईजी स्टील" को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर करने का निर्णय लेते हैं तो इस "प्रिंटेड ईजी स्टील" का पूर्ण तकनीकी विवरण अंतिम जांच परिणामों में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। प्रिंटेड ईजी स्टील को बाहर करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विवरण प्रस्तावित है:

""बेयर इलैक्ट्रोग्लवनाइज्ड स्टील जिस पर प्राइमर के साथ फोस्फेटेड प्रि-ट्रीटमेंट किया जाता है और/अथवा टॉप साईड पर कलर बेसकोट किया जाता है और बॉटम साइड पर प्राइमर और/अथवा कलर्ड बैककोट किया जाता है तथा टॉप साइड पर कम से कम तीन रंगों में प्रिंट किया जाता है"

ज) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों की गुणवत्ता निर्यातकों द्वारा विनिर्मित उत्पादों की गुणवत्ता के बराबर है। गुणवत्ता में अंतर के कारण उत्पाद किस्मों को बाहर करने का अनुरोध बिना किसी कानूनी आधार[12] के है। इसके अतिरिक्त, उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी ग्राहक द्वारा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया है।

झ) उत्पाद को हटाने के लिए अधिकतर अनुरोध संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए हैं न कि भारत में वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा। अत: साक्ष्य के साथ ऐसा कोई दावा नहीं है कि संबंधित उत्पाद किस्मों के लिए घरेलू उद्योग को कोई ऑर्डर दिए गए हैं, जिसके लिए उन्हें हटाए जाने की मांग की जा रही है परंतु घरेलू उद्योग ने संबंधित उत्पाद किस्मों की आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त की है।

ञ) वास्तविक मंदी के मामलों में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में डीजीटीआर मैनुअल ऑफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिसिस में यह प्रावधान है कि:

"विचाराधीन उत्पाद में प्रमुखत: वे मदें शामिल होनी चाहिएं, जिनका उत्पादन और वाणिज्यिक बिक्री घरेलू बाजार में संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा की जाती है। उन मामलों में अपवाद हो सकता है जहां आवेदक एक नया उद्योग है, जिसमें नए उत्पाद के लिए सुविधा स्थापित की है अथवा विद्यमान उद्योग के ऊपरी स्तर का उत्पाद हो सकता है तथा नया उद्योग उत्पाद के पाटित आयातों के कारण बाजार लेने में कठिनाई का सामना कर रहा है।

ट) नए और स्थापित न हुए घरेलू उद्योग के मामले में, जो उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी के रूप में क्षति का दावा कर रहा है, प्राधिकारी यह पारंपरिक नियम लागू नहीं कर सकते कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित न किए गए और/अथवा वाणिज्यिक रूप से न बेचे गए सभी उत्पाद किस्मों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना अपेक्षित है। वास्तविक मंदी के मामले में ऐसा कठोर नियम लागू

---

[12] *डीएसएम इदेमित्सु बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2000(119) ई.एल.टी. 308 (ट्रिब्यूनल) में सेस्टेट ने निम्नलिखित माना:*
"आवेदको के कानूनी सलाहकार का तर्क समझपूर्ण नहीं है क्योंकि उन्होंने यह दर्शाने के लिए कि घरेलू विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित उत्पाद भारत को निर्यातित सामानों से भिन्न था, विनिर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में कोई साक्ष्य/तकनीकी साहित्य नहीं दिया। ***वह यह सिद्ध करने में विफल रहा कि वे समान नहीं हैं और परस्पर परिवर्तनीय नहीं हैं सिवाय यह उल्लेख करने के कि वे भिन्न ग्रेड थे। गुणवत्ता में अंतर से कोई वस्तु भिन्न नहीं हो जाएगी और निर्दिष्ट प्राधिकारी यह टिप्पणी करने में सही थे "कि इस तथ्य कि गुणवत्ता भिन्न हो सकती है, का अर्थ यह नहीं है कि आयातित उत्पाद और घरेलू उत्पाद समान वस्तु नहीं हैं।*** *हम इस मुद्दे पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिए गए जांच परिणाम में व्यवधान डालने का कोई वैध कारण नहीं पाते।"*

करना अंतर-निहित रूप से से विरोधाभासी होगा क्योंकि एक नए और स्थापित न हुए उद्योग को पाटित आयात होने पर सभी उत्पाद किस्मों का उत्पादन और/अथवा वाणिज्यिक बिक्री शुरु करने में कठिनाई का सामना करने के लिए बाध्य होता है। वस्तुत:, वास्तविक मंदी के मामले में ऐसी स्थिति शामिल हो सकती है जिसमें आवेदक घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन शुरु नहीं किया है। यदि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित न किए गए और/अथवा वाणिज्यिक रूप से न बेचे गए उत्पाद किस्मों को अलग करने के संबंध में पारंपरिक नियम ऐसे मामलों में लागू किया जाता है तो कोई भी पाटनरोधी शुल्क जांच नहीं की जा सकती।

ठ) यूरोपीय संघ, जापान, यूएसए और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कोटेड/प्लेटेड टिन मिल फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पादों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने निम्नलिखित रूप में पैरा 15 में हटाए जाने के अनुरोध के संबंध में नोट किया:

"पोलिमर लेमिनेटेड टिनप्लेट जो बिसफेनोल-ए/बीपीए फ्री और क्रोमियम फ्री टिनप्लेट है, के संबंध में प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

ख. इन दो प्रकार के उत्पादों को बाहर किए जाने का अनुरोध जापानी निर्यातकों द्वारा किया गया न कि किसी भारतीय प्रयोक्ता द्वारा। किसी भारतीय प्रयोक्ता द्वारा प्राधिकारी के समक्ष यह तथ्य सिद्ध करते हुए कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है कि इन दो प्रकार के उत्पादों के लिए घरेलू उद्योग को ऑर्डर किए गए हैं तथा घरेलू उद्योग ने इन दो प्रकार के उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति करने में असमर्थता दर्शायी है।"

ड) कोरिया गणराज्य, यूरोपीय संघ और थाइलैंड से 1500 और 1700 सीरीज के एसबीआर के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच (वास्तविक मंदी मामला) में प्राधिकारी ने निम्नलिखित नोट किया है:

"ग्रेड/ग्रेडों की वर्तमान विनिर्माण स्थिति घरेलू उद्योग की उस समय भविष्य में उन ग्रेडों का उत्पादन करने की क्षमता समाप्त नहीं करती जब उनके लिए ऑर्डर हों और साथ ही उचित व्यापार स्थापित हो जाए। इसके अतिरिक्त मैसर्स आरआईएल ने इनका उत्पादन करने की अपनी क्षमता दर्शाते हुए इन ग्रेडों का विनिर्माण करने के लिए लाइसेंस रिकार्ड में रखा है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने वास्तविक मंदी के कारण आरआईएल को क्षति का मूल्यांकन किया है। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इन दो ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता।"

ढ) जेएफई स्टील कारपोरेशन के उत्पाद को हटाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है और इस प्रकार सहयोगी निर्यातक नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, जेएफई द्वारा उल्लिखित ग्रेड उनके अपने आंतरिक ग्रेड हैं और उन्होंने कोई समतुल्य भारतीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक उपलब्ध नहीं कराया है।

ण) रूस, इंडोनेशिया, जार्जिया और ईरान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अमोनियम नाइट्रेट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच, दिनांक 1 अगस्त, 2017 के जांच परिणाम, में प्राधिकारी ने इंडोनेशिया के निर्यातक द्वारा उत्पाद किस्मों को बाहर किए जाने के दावे रद्द किए क्योंकि उन्होंने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था और केवल तर्क रखे थे। संगत उद्धरण पुन: नीचे दिए जा रहे हैं:

"22(i) जहां तक इंडोनेशिया के विरुद्ध जांच समाप्त करने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीटी कल्टिन नाइट्रेट ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया और केवल तर्क दिए। तथापि, कंपनी ने दावा किया कि उन्होंने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है बल्कि निर्यातक प्रश्नावली में उन उत्पादों के संबंध में जिनका उन्होंने निर्यात किया है, कोई सूचना नहीं दी ताकि प्राधिकारी उनके इस दावे का सत्यापन कर सकें कि उनके द्वारा निर्यातित सामान विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी द्वारा निर्यातित सामानों के संबंध में सत्यापनीय सूचना के अभाव में प्राधिकारी उनके द्वारा निर्यातित उत्पाद के संबंध में स्वयं को संतुष्ट नहीं कर सकते और यह कि क्या वे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर

आते हैं। अत:, प्राधिकारी यह सिद्ध नहीं कर पाए कि इंडोनेशिया से अमोनियम नाइट्रेट के आयात 0.83 जी/सीसी घनत्व वाले अमोनियम नाइट्रेट नहीं हैं। तथापि, उनके द्वारा अनुरोध के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो वह केवल विचाराधीन उत्पाद अर्थात "अमोनियम नाइट्रेट", चाहे प्रिल्ड हों, ग्रेनुलर, अथवा अन्य ठोस रूप में हो, एडिटिव अथवा कोटिग सहित अथवा उसके बिना हो और 0.83 जी/सीसी से अधिक भारी घनत्व वाला हो।"

त) एक ओर से कोटेड ईजी स्टील के लिए जेएफई स्टील कारपोरेशन के उत्पाद को हटाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। आवेदक ने अपने इस दावे को सिद्ध करने के लिए क्रयादेश, बीजक और पैकिंग सूची साझा की है कि उसने ऑटोमोबाइल्स में प्रयुक्त एक ओर से कोटेड ईजी स्टील का उत्पादन और बिक्री की है।

थ) 1270 एमएम से अधिक चौड़ाई के ईजी स्टील को हटाने के लिए जेएफई स्टील कारपोरेशन के उत्पाद को हटाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ने 1270 एमएम से अधिक के चौड़ाई के ईजी स्टील की बिक्री नहीं की है। घरेलू उद्योग ने 1270 एमएम से अधिक की चौड़ाई वाले उत्पाद भी उत्पादित करने की क्षमता हे। चौड़ाई के प्रतिबंध वाले मानदंडों के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से इन्हें हटाए जाने से शुल्क की प्रवंचना होगी, जैसाकि प्राधिकारी द्वारा स्टेनलेस स्टील फ्लैट-रोल्ड स्टील उत्पादों के आयातों से संबंधित पूर्व की पाटनरोधी जांच में पाया गया है।

द) मोटर-साईकिलों में प्रयुक्त 0.8 एमएम मोटाई के एचईएस-जेईसी270ई और निपोन स्टील द्वारा अनुरोध किए गए ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त 0.5-1 एमएम मोटाई के एनएसईसीसी के लिए उत्पाद हटाए जाने के अनुरोध उनके अपने आंतरिक ग्रेड हैं और उन्होंने कोई समतुल्य भारतीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक उपलब्ध नहीं कराए हैं।

ध) ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त 1.0-2.0 एमएम मोटाई वाले ईजी स्टील के लिए निपोन स्टील के उत्पाद हटाए जाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि घरेलू उद्योग के पास ऑटोमोबाइल अनुप्रयोग में प्रयुक्त 1.5 एमएम तक की मोटाई वाले ईजी स्टील का उत्पादन करने की क्षमता है।

न) दिनांक 10 अगस्त, 2021 की सूचना द्वारा प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित पीसीएन सिद्धांत में पीसीएन की दो श्रेणियां दी गई हैं, जैसा कि नीचे नोट किया गया है:

क्र.सं.	**पीसीएन मापदंड**	**विवरण**	**कोड**
1	कोटिंग	बेयर इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील	ख
		इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील जो पैसिवेटेड, प्रि-प्रिंटिड, कलर कोटेड, थिन आर्गेनिक कोटेड, क्रोमेटेड, फास्फोटेड अथवा प्रिंटिड है।	ग

तथापि, प्राधिकारी द्वारा दिनांक 14 अक्तूबर, 2021 की सूचना द्वारा अपनाए गए अंतिम पीसीएन सिद्धांत में प्राधिकारी ने पीसीएन की तीन श्रेणियां दी हैं, जैसा कि नीचे नोट किया गया है:

क्र.सं.	**पीसीएन मापदंड**	**विवरण**
1	बेयर इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील	क
2	कोटेड इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील	ख
3	लेमिनेटेड इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील	ग

प) अंतिम पीसीएन पद्धति में प्राधिकारी ने "कोटेड ईजी स्टील" पीसीएन श्रेणी, जो प्रस्तावित पीसीएन पद्धति में नोट की गई थी, कि लिए विवरण शामिल नहीं किया है। अत: हम प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करते हैं कि "कोटेड ईजी स्टील" के लिए विवरण वही है जो प्रस्तावित पीसीएन पद्धति में नोट किया गया था।

फ) पीसीएन श्रेणी "क" के तहत आने वाला बेयर ईजी स्टील बिक्री योग्य उत्पाद नहीं है। जो ईजी स्टील बिक्री योग्य/विपणन योग्य है, उसमें उसे संक्षारण मुक्त बनाने और अपेक्षित सेल्फ-लाइफ देने के लिए प्रि-ट्रीटमेंट, एक या अधिक प्रि-ट्रीटमेंट्स, पैसीवेशंस, कलर कोटिंग, थिन आर्गेनिक कोटिंग, एंटी-फिंगरप्रिंट की अनिवार्य परतों के साथ जिंक की परत देना शामिल है। प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या किसी उत्पादक/निर्यातक ने यह दावा किया है कि उसने बेयर ईजी स्टील (पीसीएन श्रेणी "क") की बिक्री की है।

ब) निर्यातक अथवा आयातक के लिए विशिष्ट उत्पाद हटाना नहीं हो सकता। आयरन आथवा नॉन अलाय स्टील के कोल्ड रोल्ड/कोल्ड रिड्युस्ड फ्लैट स्टील उत्पादों अथवा सभी चौड़ाई और मोटाई – नॉट क्लेड, प्लेटेड अथवा कोटेड के अन्य अलॉय स्टील पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी ने निम्नलिखित नोट किया था:

"प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उत्पादों को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि वे भारत में प्रयोक्ता उद्योग के विशिष्ट क्षेत्र के लिए हैं। साथ ही, हुंडई स्टील कंपनी, कोरिया गणराज्य ने ये दावा नहीं किया है कि इन आयातित उत्पादों की तकनीकी विशिष्टियां अथवा उत्पाद किस्में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए सामानों से भिन्न हैं। हुंडई स्टील कंपनी, कोरिया गणराज्य ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उन ग्रेडों की सूची भी नहीं दी है जिनके लिए उन्हें हटाए जाने का अनुरोध किया गया है।"

भ) रेफ्रिजरेटर के सामने के दरवाजों में प्रयुक्त लेमिनेटेड ईजी स्टील को छोड़कर विभिन्न उत्पादों ग्रेडों और किस्मों को हटाए जाने से संबंधित सभी दावों के लिए भारत में प्रयोक्ताओं द्वारा एक भी दावा नहीं है कि याचिकाकर्ता को ऑर्डर दिए गए हैं और याचिकाकर्ता ने उन उत्पाद किस्मों की आपूर्ति में असमर्थता दर्शाई है जिनके लिए हटाए जाने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता घरेलू उपकरणों, घरेलू मनोरंजन, खाद्य एवं पेय, ऑटोमोटिव, निर्माण/वास्तु कला आदि जैसे विभिन्न उद्योगों के लिए 28 स्थानीय परियोजनाओं में शामिल रहा है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. यद्यपि वास्तविक मंदी के मुद्दे पर इस प्रकटन विवरण के संगत पैराओं में पर्याप्त रूप से कार्यवाही कर दी गई है, तथापि प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से कुछ उत्पाद किस्मों को हटाए जाने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों का समाधान करने के लिए सीमित तरीके में उपर्युक्त मुद्दे को संक्षेप में वर्णित किया है।

10. वास्तविक मंदी के मामले में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र भी उपर्युक्त सामानों के उत्पादन के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता पर निर्भर करता है। इस क्षमता का मूल्यांकन परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट और उद्योग द्वारा तकनीकी तथा वित्तीय पहलुओं पर किए गए प्रयासों के आधार पर किया जाता है। भारत में उपर्युक्त उपाय की मात्रा का निर्धारण, जिसके लिए कमतर शुल्क नियम का पालन किया जाता है, भी, के लिए भी उन वास्तव में उत्पादित संबद्ध सामानों की एनआईपी के निर्धारण की आवश्यकता होती है, जिनके लिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है, अभी वाणिज्यिक रूप से उत्पादित किए जाने वाले सामानों पर उपाय बढ़ाना मामले के वास्तविक मैट्रिक्स पर निर्भर करता है।

11. जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए स्थानीयकरण के प्रयासों के संबंध में सूचना दी है। घरेलू उद्योग ने "स्थानीयकरण" का अर्थ यह स्पष्ट किया है कि ईजी स्टील की अपेक्षित किस्म विकसित करने के लिए अधिकतर तकनीकी वाणिज्यिक कदम उठा दिए गए हैं और यह कि घरेलू उद्योग उन्हें ऑर्डर मिलने पर ईजी स्टील की अपेक्षित किस्म की आपूर्ति कर सकता है। घरेलू उद्योग ने दावा किया कि वे एलईडी टीवी बेकलेट, किचन चिमनी हाउसिंग, ईंधन टैंक, आडियो प्लेयर हाउसिंग, सन रूफिंग आदि जैसे कम के कम 28 उत्पादों के स्थानीयकरण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तथापि, इसके साथ ही उनके द्वारा उत्पादित न किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद की कुछ ग्रेडों/किस्मों को हटाने का उन्होंने दावा किया।

12. घरेलू उद्योग ने इस बात की पुष्टि की है कि वे "लेमिनेटेड ईजी स्टील" का विनिर्माण नहीं करते हैं और उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से हटाया जा सकता है। अत:, प्राधिकारी, "लेमिनेटेड स्टील" को विचाराधीन उत्पाद

के क्षेत्र से हटाने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे को स्वीकार करते हैं। लेमिनेटेड ईजी स्टील उत्पाद किस्म का तकनीकी विवरण नहीं है और सामान्य परिदृश्य में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से लेमिनेटेड स्टील को हटाए जाने के लिए विवरण कि संबंध में घरेलू उद्योग के निम्नलिखित प्रस्ताव पर टिप्पणी मांगते हैं:

"बेयर इलैक्ट्रोगलवेनाइज्ड स्टील जिसमें टॉप साइड पर उचित प्राइमर और/अथवा बेसकोट सहित फोसफेटेड प्रि-ट्रीटमेंट किया जाता है और बॉटम साइड पर प्राइमर और/अथवा बैक कोट किया जाता है तथा टॉप साइड पर लेमिनेट किया जाता है जिसमें न्यूनतम 50 माइक्रोन की प्रिंटेड – विनाइल/पीईटी/एएलएफ अथवा एलडीपीई फिल्म होती है। "

13. इसी प्रकार, घरेलू उद्योग ने यह भी पुष्टि की है कि वह "प्रिंटेड ईजी स्टील का विनिर्माण नहीं करता और उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जात सकता है। अत:, प्राधिकारी प्रिंटेड ईजी स्टील को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग करने का अन्य हितबद्ध पक्षकारों का दावा स्वीकार करते हैं। प्रिंटेड ईसी स्टील उत्पाद किस्म का तकनीकी विवरण नहीं है और सामान्य क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार, प्राधिकारी प्रिंटेड ईजी स्टील को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से हटाने के लिए विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग के निम्नलिखित प्रस्ताव पर टिप्पणियां मांगते हैं:

"बेयर इलैक्ट्रोगलवेनाइज्ड स्टील जिसमें टॉप साइड पर उचित प्राइमर और/अथवा कलर्ड बेसकोट सहित फोसफेटेड प्रि-ट्रीटमेंट किया जाता है और बॉटम साइड पर प्राइमर और/अथवा कलर्ड बैक कोट किया जाता है और टॉप साइड पर न्यूनतम तीन रंगों में प्रिंट किया जाता है जिसे सामान्य रूप से प्रिंटेड ईजी स्टील जाना जाता है"

14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऑटोमोटिव अनुप्रयोग में प्रयुक्त ईजी स्टील को हटाने के लिए टाटा मोटर्स और हुंडई स्टील ग्रुप के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद से रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और अनुरोधों का मूल्यांकन करने के बाद ऐसी उत्पाद किस्मों/ग्रेडों के स्पष्ट विवरण के आधार पर विशिष्ट उत्पाद किस्मों/ग्रेडों के लिए स्वीकृति दी जाती है। टाटा मोटर्स और हुंडई स्टील ग्रुप ने किसी विशिष्ट उत्पाद किस्म/ग्रेड को निर्धारित नहीं किया है,जिसके लिए उनके द्वारा उसे हटाए जाने की मांग की गई हो। इसकी अपेक्षा उन्होंने ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में प्रयुक्त ईजी स्टील के लिए जैनेरिक संदर्भ में हटाए जाने की मांग की है। टाटा मोटर्स और हुंडई स्टील ग्रुप ने यह दर्शाने के लिए भी रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं रखा है कि घरेलू उद्योग को उन उत्पादों के लिए ऑर्डर दिए गए थे जिनके लिए उनके द्वारा उन्हें हटाए जाने की मांग की गई है और यह कि घरेलू उद्योग ने प्रयोक्ताओं को उन उत्पादों की आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता दर्शायी है। ऑटोमोटिव अनुप्रयोग में प्रयुक्त ईजी स्टील को हटाए जाने के लिए टाटा मोटर्स और हुंडई स्टील ग्रुप का दावा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यदि गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करती तो ऑटोमोबाइल के लिए भारी स्थिति पैदा कर सकती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईजी स्टील का प्रयोग ऑटोमोटिव क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है और घरेलू उद्योग ने कुछ ऑटामोटिव अनुप्रयोगों के लिए विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऑटोमोटिव में प्रयुक्त उत्पादों में अन्य बातों के साथ-साथ ईंधन टैंक, आडियो प्लेयर हाउंसिंग, सन रूफिंग, एमएलएस ईंजन गैसकेट, एअर बैग ईसीयू हाउसिंग संगघक, डोर हैंडल सुपोर्ट मेम्बर, बैफल प्लेट, स्टेटर कवर, स्टेटर हाउंसिंग, इलैक्ट्रोनिक कंट्रोल यूनिट कवर और कवर के लिए ब्रैकेट आदि शामिल हैं।

15. पोस्को स्टीलियन और एलजी इंडिया ने कलर कोटेड ईजी स्टील को विचाराधीन उत्पाद क्षेत्र से हटाए जाने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना की जांच की है, जो यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग कलर कोटेड ईजी स्टील का उत्पादन और बिक्री कर रहा है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने कलर कोटेड ईजी स्टील के संबंध में पोस्को स्टीलियन और एलजी इंडिया के उस उत्पाद को हटाए जाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है।

16. एलजी इंडिया ने पेंटेड ईजी स्टील को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से आयातक विशिष्ट हटाए जाने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना की जांच की है, जो यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग पेंटेड और कलर कोटेड ईजी स्टील का उत्पादन और बिक्री कर रहा है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने पेंटेड ईजी स्टील के संबंध में एलजी इंडिया के उत्पाद को हटाए जाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है।

17. निपोन स्टील ने मोटर साईकिल में प्रयुक्त 0.8 एमएम मोटाई के एचईएस-जेईसी270ई, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त 0.5-1 एमम मोटाई के एनएसईसीसी और 1.0-2.0 एमएम मोटाई के एसईसीसी को हटाए जाने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिन ग्रेडों को हटाए जाने के लिए निपोन स्टील द्वारा मांग की जा रही है उनके विवरण उनके अपने आंतरिक विनिर्देशन हैं और उन्होंने कोई समतुल्य भारतीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक उपलब्ध नहीं कराए हैं। साथ ही, किसी भी पक्षकार द्वारा यह तथ्य सिद्ध करते हुए प्राधिकारी के समक्ष कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है कि घरेलू उद्योग को इन ग्रेडों के लिए ऑर्डर दिए गए हैं और घरेलू उद्योग ने इन उत्पाद किस्मों के उत्पादन और आपूर्ति में अपनी असमर्थता दर्शाई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उनके पास 1.5 एमएम तक की मोटाई के ईजी स्टील का उत्पादन करने की क्षमता है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने निपोन स्टील के उत्पाद हटाए जाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है।

18. जेएफई स्टील कारपोरेशन जापान ने एक ओर से कोटिंग वाले विशेष स्वरूप के ग्रेडों के ईजी स्टील(डीप ड्रार्विंग क्वालिटी) अर्थात जेएफई-सीई-ईजेड, जेएफई-सीएफ-ईजेड, जेएफई-सीजी-ईजेड, जेएफई-सीजीएक्स-ईजेड-जेईएफसी270ई, जेएफईसी270एफ, जेएफईसी260जी, एसईसीई, एसईसीएफ और एसईसीजी को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से हटाए जाने के लिए अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जेएफई स्टील कारपोरेशन ने प्रश्नावली का उत्तर दायर कर वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। अत: प्राधिकारी, यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या जेएफई स्टील कारपोरेशन ने भारत को उन ग्रेडों का निर्यात किया है जिनके लिए वह हटाए जाने की मांग कर रहा है। इसके अतिरिक्त, जिन ग्रेडों को हटाए जाने के लिए जेएफई स्टील कारपोरेशन द्वारा मांग की जा रही है, वे उनके अपने आंतरिक विनिर्देशन हैं और उन्होंने कोई समतुल्य भारतीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक उपलब्ध नहीं कराए हैं। साथ ही, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह तथ्य सिद्ध करते हुए प्राधिकारी के समक्ष कोई साक्ष्य नहीं रखा गया है कि इन ग्रेडों के लिए घरेलू उद्योग को कोई ऑर्डर दिए गए हैं तथा घरेलू उद्योग ने इन उत्पादों किस्मों का उत्पादन और आपूर्ति करने में अपनी असमर्थता दर्शाई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने ऑटोमोबाइल्स में प्रयुक्त एक ओर कोटेड ईजी स्टील के लिए उनके द्वारा की गई बिक्री के साक्ष्य दिए हैं, यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने एक ओर कोटेड ईजी स्टील का वाणिज्यिक उत्पादन और बिक्री की है। अत: प्राधिकारी ने, जेएफई स्टील कारपोरेशन के उत्पाद के हटाए जाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है।

19. जेएफई स्टील कारपोरेशन ने 1270 एमएम से अधिक की चौड़ाई के ईजी स्टील को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से हटाए जाने का भी अनुरोध किया है। चूंकि जेएफई स्टील कारपोरेशन ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। अत:, प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या जेएफई स्टील कारपोरेशन ने भारत को 1270 एमएम से अधिक चौड़ाई के ईजी स्टील का निर्यात किया है, जिसके लिए वह हटाए जाने की मांग कर रहा है। चौड़ाई संबंधी प्रतिबंध के मानदंडों के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उसे हटाए जाने से शुल्क की प्रवंचना भी हो सकती है। अत:, प्राधिकारी ने जेएफई स्टील कारपोरेशन के उत्पाद को हटाए जाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है।

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि "न्यूनतम 11 प्रतिशत पर लक्षित निकेल" पदबंध का अर्थ कम से कम 11 प्रतिशत निकेल की मात्रा वाले ईजी स्टील से है।

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हुंडई स्टील ग्रुप ने उल्लेख किया है कि उन्होंने उन उत्पादों का निर्यात किया है जिनमें 9-13 प्रतिशत के अनुपात में जिंक-निकेल की मात्रा है और इसीलिए न्यूनतम निकेल की मात्रा 11 प्रतिशत के बजाय हटाए गए उत्पाद के लिए 9 प्रतिशत निर्धारित की जानी चाहिए। प्राधिकारी ने हुंडई स्टील ग्रुप के दावे की जांच की है और ऐसे कुछ उदाहरण पाए हैं, जहां उन्होंने 9-11 प्रतिशत के बीच निकेल मात्रा वाले उत्पाद भारत को निर्यात किए हैं। अत:, प्राधिकारी जांच की शुरुआत की अधिसूचना में नोट किए गए अनुसार 11 प्रतिशत के बजाए न्यूनतम 9 प्रतिशत की निकल मात्रा वाले उत्पादों को हटाए जाने के लिए हुंडई स्टील ग्रुप के दावे को स्वीकार करते हैं।

22. प्राधिकरण को पीयूसी से बहिष्करण की प्रस्तावित परिभाषा के बारे में प्रकटीकरण कथन पर टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। पार्टियों के अनुरोधों में बहुत सी तकनीकी शामिल थीं जिन्हें किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं

किया गया था और इसलिए प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। अलग-अलग विचारों को समायोजित करने के लिए, प्राधिकरण ने बहिष्करणों को सामान्य तरीके से परिभाषित करने का निर्णय लिया है और नीचे पैरा में निपटाया गया है।

23. तद्नुसार, वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का संशोधित क्षेत्र निम्नलिखित है:

विचाराधीन उत्पाद ("पीयूसी") "हॉट रोल्ड अथवा कोल्ड रोल स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद, जो निरंतर इलैक्ट्रोलिटीकली प्लेटेड अथवा जिंक के साथ कोटेड हैं, एलाइंग एलिमेंट्स से युक्त अथवा उसके बिना" हैं। विचाराधीन उत्पाद सामान्य रूप से इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील के रूप में जाना जाता है।

विचाराधीन उत्पाद अलाय अथवा नान-अलाय स्टील हो सकता है चाहे वह प्राइम अथवा नॉन-प्राइम गुणवत्ता का हो या नहीं। विचाराधीन उत्पाद कॉयल में अथवा नॉट इन कॉयल रूप में हो सकता है। विचाराधीन उत्पाद में इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील की सभी किस्में शामिल हैं चाहे वे कोटेड हों या न हों, पैसिवेटेड, प्रि-ट्रिटिड, प्रि-प्रिंटिड, कलर कोटेड, थिन आर्गेनिक कोटेड, क्रोमेटेड, फासफेटेड, प्रिंटिड हो या न हो, चाहे वे कारुगेटेड अथवा प्रोफाइल्ड हो या न हो और चाहे वे एंटी-फिंगरप्रिंट ट्रीटमेंट वाले हों या न हों।

निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया है:

i. फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद, जो एल्युमिनियम अथवा जिंक के साथ कोटेड अथवा प्लेटेड है।

ii. फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद जो न्यूनतम 11 प्रतिशत होते हुए निकेल के साथ जिंक और निकेल के अलॉय के साथ कोटेड अथवा प्लेटेड है।

iii. हॉट-डिप ग्लेवनाइज्ड फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद।

iv. टिन-मिल फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद।

v. लेमिनेटेड इलैक्ट्रोब्लवानाइज्ड स्टील

vi. प्रिंटेड इलैक्ट्रोब्लवानाइज्ड स्टील

विचाराधीन उत्पाद का प्रत्याशित अंतिम प्रयोग संक्षारण से संरक्षण के लिए है और प्रमुख रूप से इलैक्ट्रोनिक उपकरणों, ऑटो अनुप्रयोगों, उपभोक्ता इलैक्ट्रानिक्स, फर्नीचर, एचवीएसी, रूफिंग और साइडिंग, सीलिंग ग्रिड, निर्माण, कार्यालय उपस्करों आदि के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाता है।

विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के एचएस कोड 7210, 7212, 7225 और 7226 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के आयात सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के एचएस कोड 7209 और 7211 के तहत भी किए गए हैं।"

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा 14 अक्तूबर, 2021 को निर्धारित पीसीएन पद्धति में प्राधिकारी ने 3 पीसीएन श्रेणियां निर्धारित की थीं जो निम्नलिखित रूप में उल्लिखित हैं:

क्र.सं.	**पीसीएन मापदंड**	**विवरण**
1	बेयर इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील	क
2	कोटेड इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील	ख
3	लेमिनेटेड इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील	ग

25. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि बेयर ईजी स्टील अथवा पीसीएन श्रेणी क एक बिक्री योग्य उत्पाद नहीं है। ईजी स्टील, जो बिक्री योग्य/विपणन योगय है, में एक या अधिक प्रि-ट्रीटमेंट, पैसिवेशंस, कलर कोटिंग, थिन आर्गेनिक कोटिंग, एंटी-फिंगरप्रिंट की अनिवार्य परतों सहित जिंग की एक परत देना शामिल होता है। एकल जिंक प्लेटिंग/कोटिंग वाला ईजी स्टील मौसम की स्थितियों, अपेक्षित शैल्फ लाइफ, निर्माण के बाद के प्रचालनों,

भंडारण और लदान को संधारित नहीं कर सकता। इस प्रकार, ईजी स्टील बनाने की पूर्ण प्रक्रिया में आधार जिंक के अलावा पैसिवेशन, प्रि-ट्रीटमेंट, थिन आर्गेनिक कोटिंग, एंटी-फिंगरप्रिंट आदि जैसी एक प्रक्रिया शामिल होती है।

26. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में बेयर ईजी स्टील अथवा पीसीएन श्रेणी क के निर्यात दर्शाए हैं। यह नोट किया गया था कि केवल कुछ उत्पादकों/निर्यातकों ने बेयर ईजी स्टील अथवा पीसीएन श्रेणी क के निर्यातों की सूचना दी है। प्राधिकारी ने इस मुद्दे पर उन उत्पादकों/निर्यातकों के साथ चर्चा की, जिन्होंने बेयर ईजी स्टील अथवा पीसीएन श्रेणी के के निर्यात सूचित किए थे। चर्चा के दौरान यह नोट किया गया था कि उनके द्वारा उनकी प्रश्नावली के उत्तर में सूचित बेयर ईजी स्टील अथवा पीसीएन श्रेणी क में केवल जिंक कोटिंग नहीं है। जिंक कोटिंग के शीर्ष पर कुछ अथवा अन्य प्रक्रिया अथवा अतिरिक्त कोटिंग भी उत्पाद की अपेक्षित सेल्फ लाइफ प्रदान करने के लिए की जाती है।

27 अत:, प्राधिकारी केवल पीसीएन श्रेणी ख "कोटेड इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील" की जांच करने का ही प्रस्ताव कर रहे हैं।

28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार एवं प्रयोग उत्पाद विशिष्टियों, कीमत वितरण और विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान नियमावली के नियम 2(घ) के अभिप्राय और क्षेत्र के अंतर्गत संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा के अनुरोध

29. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क) आवेदक ने न तो कारपोरेट कार्य मंत्रालय और न ही वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल में यह प्रकट किया है कि वे एचएस कोड 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 और 7226 के तहत आने वाले ईजी स्टील का काम करते हैं। यह तथ्य घरेलू उद्योग की पात्रता के संबंध में प्रश्न खड़ा करता है। यदि प्राधिकारी आवेदक को पात्र घरेलू उद्योग मानते हैं तो उसे यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आवेदक ने प्राधिकारियों को कारोबार सूचित क्यों नहीं किया।

घ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

30. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क) आवेदक ने संबद्ध सामान का वाणिज्यिक उत्पादन जुलाई, 2019 में शुरु किया। इससे पूर्व भारत अपनी घरेलू मांग के लिए संबद्ध सामानों के आयात पर पूर्णत: निर्भर था।

ख) आवेदक का विचाराधीन उत्पाद का पहला और एकमात्र उत्पादक होने के नाते भारत में संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा है।

ग) घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और भारत में संबद्ध सामानों के किसी उत्पादक/निर्यातक अथवा आयातक से भी संबद्ध नहीं है।

घ) रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाता है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5 के अनुसार आधार की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ड.) घरेलू उद्योग ने जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया है जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि घरेलू उद्योग ईजी स्टील (एचएसएन कोड 7210) के क्षेत्र में कार्य करता है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

31 नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

''(ख) "घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

32. वर्तमान जांच भारत में संबद्ध सामानों के एकमात्र उत्पादक के रूप में अमेरिकन प्रिकोट स्पेशिलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका के अनुसरण में शुरु की गई है। याचिकाकर्ता ने जुलाई, 2019 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया।

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन-पत्र एक उद्योग की स्थापना को वास्तविक मंदी की जांच के लिए दायर किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय उद्योग शुरुआती चरण पर है और उसे बाजार में खुद को अभी स्थापित करना है। जैसाकि आवेदक द्वारा दर्शाया गया है भारत में विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। आवेदक संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है और इसीलिए उसका संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा है।

34. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आवेदक के इस दावे का विरोध नहीं किया है कि वह भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और वह भारत में संबद्ध सामानों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक अथवा आयातक से संबद्ध भी नहीं है।

35. प्राधिकारी कारपोरेट कार्य मंत्रालय और जीएसटी प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के संबंध में कुछ दस्तावेज़ प्रस्तुत न किए जाने के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के दावे को नोट करते हैं। जांचकर्ता दल ने घरेलू उद्योग का स्थल पर ही सत्यापन किया है और यह सुनिश्चित किया कि आवेदक विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता आ रहा है। हितबद्ध पक्षकार इस मुद्दे को उपयुक्त मंच के समक्ष उठा सकते हैं। तद्नुसार प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग है और यह कि आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आवेदन-पत्र के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

36. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क) घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में कुछ अनिवार्य सूचना प्रकट नहीं है जो उत्तरदाताओं को उनका मामला पर्याप्त रूप से बनाने दे और नियमावली के नियम 7 तथा व्यापार सूचना संख्या 10/2018 और 1/2013 के तहत स्थापित अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है।

ख) घरेलू उद्योग ने लागत संबंधी सूचना के संबंध में अपने आवेदन-पत्र में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। मानीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी[13] तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य[14] में यह पाया है कि "…. नियम 7 के तहत गोपनीयता .....ऐसी कुछ नहीं है जो स्वत: मानी जानी चाहिए" और यह कि "...पक्षकार को भी निर्दिष्ट प्राधिकारी को संतुष्ट करना होता है कि मामला वास्तव में गोपनीय है।"

[13] (2006) 10 एससीसी 386.

[14] 2006) 10 एससीसी 368

ग) याचिका का अगोपनीय रूपांतर हितबद्ध पक्षकारों को उनकी रक्षा करने के अधिकार की अनुमति नहीं देता।

घ) प्रपत्र IV क और IV ख निर्धारित प्रपत्र के अनुसार दायर नहीं किए गए हैं और इसलिए, वे कमी पूर्ण हैं।

ड) मांग के आंकड़ों, एनआईपी, उत्पाद ब्रोसर, वित्तीय विवरण प्रस्तावित निष्पादन की तुलना में वास्तविक के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। ऐसे दावों का समर्थन करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिया गया है।

च) याचिकाकर्ता ने वास्तविक बनाम प्रस्तावित निष्पादन के संबंध में, उसके द्वारा निष्पादित तुलना के संबंध में अगोपनीय रूपांतर में कोई ब्यौरे नहीं दिए हैं। तद्नुसार, प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं को निर्देश देना चाहिए कि वे उत्तरदाताओं को ब्यौरे उपलब्ध कराएं।

छ) निर्यातकों/उत्पादकों ने गोपनीय और अगोपनीय रूपांतरों दोनों में सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं और, इसलिए, अत्यधिक गोपनीयता का दावा झूठा है।

ज) बिक्री चैनल, बिक्री वार्ता प्रक्रिया और विचाराधीन उत्पाद में शामिल संबद्ध कंपनियों के ब्यौरों के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे कानून में नहीं पाए जाते हैं और व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनुसार अपेक्षित नहीं हैं।

झ) आवेदक ने जापानी मिल द्वारा उनकी अत्यधिक गोपनीयता के दावों के संबंध में उठाए गए किसी भी दावे को हल नहीं किया है।

ञ) पोस्को स्टीलियोन और उसके असंबद्ध निर्यातकों ने नियम 7 और व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार अपने प्रश्नावली के उत्तर विधिवत् दायर किए हैं और घरेलू उद्योग ने यह नहीं दर्शाया है कि प्रश्नावली के उत्तर नियम के तहत अपेक्षाओं के उल्लंघन में कैसे हैं। इसके अतिरिक्त, आंकड़ों का सूचीकरण जहां भी संभव था, उपलब्ध कराया गया है।

ट) डीके डोंगशिन कंपनी कोरिया और समयांग कंपनी, कोरिया ने नियम 7 और व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार प्रश्नावली के उत्तर विधिवत् दायर किए हैं और उचित कारण देते हुए सूचना के कुछ भाग गोपनीय होने का दावा किया गया है, जिसका याचिकाकर्ता द्वारा विरोध नहीं किया गया है।

ठ) हुंडई कारपोरेशन नियम 7 और संगत व्यापार सूचना का पालन किया है और तद्नुसार प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं।

ड) एलजी हाउसिस लिमिटेड ने प्रश्नावली प्रपत्र के दिशानिर्देशों का पालन किया है और जहां कहीं भी संभव था, स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध आंकड़े उपलब्ध कराए हैं।

ढ) चूंकि वार्षिक लेखों से संबंधित सूचना और कंपनी का तुलन-पत्र एमसीए को निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद प्राप्त किया जा सकता है, अत: इस सूचना को गोपनीय मानने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ड.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

37. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क) याचिकाकर्ता ने पूरी सूचना दायर की है और दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार अगोपनीय रूपांतर तैयार किए हैं।

ख) याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर में उनमें निहित गोपनीय सूचना के सार की उपयुक्त समझ प्रदान करने के लिए पूरी सूचना है।

ग) संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के गोपनीयता के दावे अधिक समुच्चय हैं।

घ) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के गोपनीयता के किसी भी दावे को अपर्याप्त नहीं पाया है और आवेदन-पत्र दायर करने के बाद किसी विशिष्ट सूचना के प्रकटन का अनुरोध नहीं किया है।

ड) याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि एक यह शपथ-पत्र देकर डीजीसीआईएंडएस से याचिकाकर्ता द्वारा लेन-देनवार आंकड़े प्राप्त किए गए थे कि उन आंकड़ों को याचिकाकर्ता द्वारा किसी अन्य तृतीय पक्षकार के साथ साझा नहीं किया जाएगा और न ही सार्वजनिक पटल पर रखा जाएगा/प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

38. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।

39. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:-

" 7.गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

40. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच उन दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ है, गोपनीयता आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराए। प्राधकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

41. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

बशर्ते कि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

च.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

42. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क) वर्तमान मामले में निर्धारित सामान्य मूल्य अनुचित है क्योंकि यह संबद्ध देशों में प्रचलित कीमत के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं और घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों में प्रचलित कीमत प्राप्त करने के प्रयास नहीं किए हैं।

ख) एनएससी और उसके तदनुरूपी व्यापारियों ने निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार प्राधिकारी के पास सूचना प्रस्तुत कर दी है। अनुरोध है कि प्राधिकारी अलग पाटन मार्जिन और पहुंच कीमत के परिकलन के लिए इस सूचना पर विचार करें।

ग) मौखिक सुनवाई के दौरान पीसीएन-वार पाटन और क्षति मार्जिन सहित पीसीएन-वार सूचना दायर न करने से संबंधित मुद्दा उठाने के बावजूद याचिकाकर्ता ने उसे दायर नहीं किया है। यदि याचिकाकर्ता ने दायर करने की अंतिम तारीख के छह माह के बाद भी उसे दायर नहीं किया है तो उसे इस स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और जांच तत्काल रद्द कर दी जानी चाहिए।

घ) यदि प्राधिकारी को याचिकाकर्ता से पीसीएन-वार सूचना प्राप्त हो गई है तो प्राधिकारी को उसकी पुष्टि करनी चाहिए और वह सूचना हितबद्ध पक्षकारों के साथ तत्काल साझा की जानी चाहिए।

ड) जिन मामलों में पीसीएन निर्धारित हैं, उनमें एक-एक करके तुलना सुनिश्चित करने के लिए पीसीएन-वार पाटन और क्षति मार्जिन निर्धारित किए जाते हैं जो एक सुनिर्धारित मुद्दा है।

च) डीके डोंगशिन कंपनी, कोरिया ने आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं और प्राधिकारी निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर के माध्यम से आंकड़ों की फाइल के आधार पर अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करें।

छ) इसके अतिरिक्त, डीके डोंगशिन कंपनी, कोरिया ने भारत को सीधे ही विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है और इस श्रृंखला में कोई संबद्ध आयातक अथवा निर्यातक नहीं रहा है।

ज) समयांग स्टील ने एक असंबद्ध निर्यातक के माध्यम से केवल 4-5 प्रतिशत निर्यात किए हैं और मूल्य श्रृंखला नियमावली के तहत अपेक्षाओं के अनुसार पूर्ण है। उन्होंने अपने आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं और प्राधिकारी अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए उन पर विचार करे।

झ) डीसीएम कंपनी लिमिटेड ने निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार, प्राधिकारी के पास सूचना प्रस्तुत कर दी है। अनुरोध है कि प्राधिकारी निर्यात कीमत, अलग पाटन मार्जिन और पहुंच कीमत के परिकलन के लिए इस सूचना पर विचार करे।

ञ) पोस्को स्टीलियन और पोस्को कोरिया गणराज्य ने निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार प्राधिकारी के पास सभी सूचनाएं उपलब्ध करा दी हैं। अनुरोध है कि प्राधिकारी निर्यात कीमत अलग पाटन मार्जिन और पहुंच कीमत के परिकलन के लिए लिए इस सूचना पर विचार करें।

ट) भारत में आयात कीमत के आधार पर कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के प्रयोग के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा कोई आपात समीचीन तर्क नहीं दिया गया है और न ही इसका कोई औचित्य दिया गया है कि वे कीमतें जापान में उत्पादन लागत को कैसे दर्शाती हैं।

ठ) लागत में किया गया समायोजन घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर है और इसका कोई कारण नहीं दिया गया है कि ये समायोजन जापान में उत्पादन लागत को कैसे दर्शाते हैं।

ड) समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा, सार-संभाल प्रभार, कमीशन और बैंक प्रभारों के शीर्षों के तहत किए गए समायोजनों के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। विशेष रूप से सीआईएफ के लिए दावा किए गए समायोजन असामान्य रूप से अधिक हैं और प्राधिकारी को उनका सत्यापन करना चाहिए।

ढ) घरेलू उद्योग ने खुद को एक नए उद्योग के रूप में स्वीकार किया है और उसे विविध आरंभिक लागतों से कार्य करना है। लागतों और अदक्षताओं और इसीलिए घरेलू उद्योग का अनुभव सामान्य मूल्य निर्मित करने के लिए आधार नहीं हो सकता।

ण) इसके अतिरिक्त, ये सभी समायोजन गोपनीय होने का दावा किया गया है और यह इन दावों का सार्थक खंडन प्रस्तुत करने से अन्य हितबद्ध पक्षकारों को रोकता है। ऐसी स्थिति में पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार (जिसे यहां आगे पाटनरोधी करार कहा गया है) के अनुच्छेद 2.4 में निर्धारित किए गए अनुसार "उचित तुलना" का उद्देश्य संभव नहीं है और इससे पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.2 तथा नियमावली के नियम 5(2) की अपेक्षाएं भी पूरी नहीं होंगी।

त) कारखानागत निर्यात कीमत निकालने के लिए किए गए समायोजनों का साक्ष्य से समर्थन नहीं किया गया है।

थ) प्राधिकारी को आयात आंकड़ों का संशोधन करने के लिए घरेलू उद्योग को निर्देश देना चाहिए क्योंकि उसमें उन उत्पादों के आंकड़े शामिल हैं जिनका विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है। तद्नुसार, घरेलू उद्योग को उन्हें साझा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

द) संबद्ध देशों से कोल्ड रोल्ड स्टील की आयात कीमत ईजी स्टील की आयात कीमत से कम है। आवेदक ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा है कि कोल्ड रोल्ड स्टील विभिन्न ग्रेडों में बेचा जाता है और इसीलिए कोल्ड रोल्ड स्टील और ईजी स्टील की औसत कीमतों की तुलना करना अनुचित होगा।

ध) ईजी स्टील का विनिर्माण कम ग्रेड के सीआर स्टील का प्रयोग करके किया जाता है और इसीलिए सीआर स्टील की औसत कीमत प्रतिनिधिकारक नहीं है क्योंकि इसमें उच्च ग्रेड के सीआर स्टील की कीमत भी शामिल है।

न) याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के दौरान जापान और कोरिया गणराज्य से सीआर स्टील और ईजी स्टील की कीमतों की मासिक तुलना की है और निष्कर्ष निकाला है कि सीआर स्टील की कीमतें ईजी स्टील की कीमतों से कहीं अधिक हैं और उसके बाद ये निष्कर्ष निकालने के लिए "कोल्ड रोल्ड/कोल्ड रिड्युस्ड फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स"[15] के संबंध में प्राधिकारी द्वारा की गई निर्णायक समीक्षा पर विश्वास किया है कि पाटन मार्जिन वर्तमान जांच में भी अधिक होगा। अनुरोध है कि प्रत्येक जांच भिन्न होती है और पाटन तथा क्षति की जांच स्वतंत्र रूप से की जानी होती है। इसके अतिरिक्त, कीमतों की प्रकृति सुनिश्चित किए बिना (अर्थात् वे स्थल अथवा संविदा की हैं) ईजी स्टील और सीआर स्टील की कीमतों की उचित तुलना नहीं की जा सकती।

प) किसी असंबद्ध उत्पादक के भाग न लेने से किसी प्रतिभागी उत्पादक के अलग मार्जिन की मांग करने के अधिकार बाधित नहीं हो सकते।

---

[15] *चीन जन.गण, जापान, कोरिया गणराज्य और यूक्रेन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सभी चौड़ाई और मोटाई के ऑयरन अथवा नॉन-अलॉय स्टील अथवा अन्य अलॉय स्टील के कोल्ड रोल्ड/कोल्ड रिड्युस्ड फ्लैट स्टील के उत्पादों - क्लैड, प्लेटेड अथवा कोटेड नहीं" के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच में अंतिम जांच परिणाम दिनांक 14 सितंबर, 2021.*

फ) घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से कोरिया गणराज्य से निर्यातकों के लिए नमूनाकरण पद्धति अपनाने का अनुरोध किया है। अनुरोध है कि घरेलू उद्योग अनुरोध नहीं कर सकता तथा प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा करना प्राधिकारी का विशेषाधिकार है।

ब) नियमावली के नियम 17(3) के अनुसार, प्राधिकारी, यदि वे चाहें तो निर्यातकों और उत्पादकों का नमूना लेने के लिए परामर्श करें और संबद्ध देश के निर्यातकों और उत्पादकों की सहमति प्राप्त करें।

भ) इसके अतिरिक्त, यदि वह नमूनाकरण आवश्यक होता है तो प्राधिकारी को जांच की शुरुआत की अधिसूचना जारी करने अर्थात जांच के आरंभिक चरण में 80 दिन के भीतर निर्यातकों और उत्पादकों को सूचित करना चाहिए न कि मौखिक सुनवाई कर दिए जाने के बाद।

म) चूंकि कोरिया गणराज्य के उत्पादक और निर्यातक विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों का निर्यात करते हैं, अत: आयात सजातीय नहीं हैं, नमूनाकरण के कार्य से पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.1 और नियमावली के नियम 11(2) की अपेक्षाओं के अनुसार वस्तुपरक जांच की अपेक्षा निष्फल हो जाएगी।

य) प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद में से लेमिनेटेड ईजी स्टील को अलग करना चाहिए जिससे कई निर्यातक स्वत: बाहर हो जाएंगे और उसके बाद प्राधिकारी को नमूनाकरण पद्धति का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

च.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

43. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क) संबद्ध देशों ने संबद्ध सामानों के लिए उत्पादन लागत और घरेलू बिक्री कीमत के संबंध में सूचना प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। चूंकि विचाराधीन उत्पाद बहुत से एचएसएन कोड के तहत वर्गीकृत हैं अत:, याचिकाकर्ता सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए संबद्ध देशों से किसी उपयुक्त तीसरे देश को संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत के संबंध में सही-सही सूचना प्राप्त करने में समर्थ नहीं था।

ख) याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित तरीके से सामान्य मूल्य निर्मित किया है:

i. कच्ची सामग्री और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं: कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत [वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट https://commerce.gov.in/trade-statistics पर प्रकाशित भारत में आयात कीमतों के आधार पर सीआर फ्लैट स्टील] अपनाई गई है और सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए उस पर विचार किया गया है। कोटिंग सामग्री की कीमत घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर अपनाई गई है। कच्ची सामग्री की खपत घरेलू उद्योग के अनुरोध के आधार पर ली गई है।

ii. अन्य विनिर्माण लागतें और परिवर्तन लागतें: अन्य विनिर्माण लागतों पर घरेलू उद्योग के अनुरोध के आधार पर विचार किया गया है।

iii. एसजीए लागतें और वित्त लागतें: एसजीए लागतों और वित्त लागतों पर घरेलू उद्योग के अनुभवों के आधार पर विचार किया गया है।

iv. लाभ मार्जिन: सामान्य मूल्य निकालने के लिए 5 प्रतिशत लाभ मार्जिन पर विचार किया गया है।

ग) जापानी मिलों ने उस सूचना का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं दिया है जिस पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का आकलन करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा विश्वास किया जा सकता।

घ) जेएफई स्टील कारपोरेशन और कोबे स्टील कारपोरेशन के पास भाग लेने और सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी को अपनी वास्तविक सूचना देने का अवसर था। तथापि, इन दोनों कंपनियों ने वह सूचना प्रदान न कर एक सजग निर्णय लिया है जबकि इन दोनों कंपनियां का एक साथ मिलकर जापान से भारत को विचाराधीन उत्पाद के कुल निर्यात में 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

ड) एनएससी ने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं और इसीलिए प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत उसकी उत्पादन लागत, घरेलू बिक्री कीमत और निर्यात कीमत की उपयुक्तता दर्शाने के लिए सबूत का भार एनएससी पर है।

च) संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की आयात कीमत कोल्ड रोल्ड स्टील फ्लैट उत्पादों (सीआर स्टील) की आयात कीमत से कम है।

छ) उत्पादकों/निर्यातकों की घरेलू बिक्री भारत को निर्यात के संबंध में उनके द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तरों की समीक्षा ये दर्शाती है कि भारत उनके लिए केन्द्रित बाजार है और भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग को खुद स्थापित न होने देकर जांच की अवधि में उन्होंने गहन पाटन किया है। संबद्ध देशों से अधिकतर प्रतिभागी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए घरेलू बिक्री कम हुई है परंतु भारत को उनके निर्यातों में वृद्धि हुई है।

ज) कुछ व्यापारियों/आयातकों के प्रश्नावली के उत्तर पूरी तरह गोपनीय हैं। इन कंपनियों की परिशिष्ट-I का गोपनीय रूपांतर खाली है।

झ) प्राधिकारी कोरिया गणराज्य से सहयोगी उत्पादकों के लिए नमूनाकरण पद्धति अपनाने पर विचार करें।

ञ) कोरिया गणराज्य और जापान से भारत को निर्यातों में संबद्ध व्यापारी, असंबद्ध व्यापारी तथा भारत में संबद्ध आयातक शामिल हैं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर के अगोपनीय रूपांतर की समीक्षा से यह ज्ञात नहीं है कि क्या सभी संबद्ध कंपनियां संबद्ध सामानों के उत्पादन में लगी थीं और भारत को निर्यात में लगी सभी संबद्ध/असंबद्ध कंपनियों ने भाग लिया है तथा क्या निर्यात मूल्य श्रृंखला पूर्ण है। इस प्रकार, प्राधिकारी को निम्नलिखित की जांच करनी चाहिए:

i. क्या उत्पादन में शामिल सभी संबद्ध कंपनियों और भारत को निर्यात में शामिल सभी संबद्ध/असंबद्ध कंपनियों ने भाग लिया है?

ii. क्या कोरिया गणराज्य से निर्यातकों ने असंबद्ध आयातकों की तुलना में संबद्ध आयातकों के लिए भिन्न भिन्न कीमत निर्धारण अपनाया?(पाटन का लक्ष्य बनाया)।

iii. क्या निर्यातक उच्चतर कीमत पर भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात करते हैं और उनके संबद्ध पक्षकार घाटा उठाकर संबद्ध सामान की पुन: बिक्री करते हैं?

iv. क्या संबद्ध/असंबद्ध व्यापारी ने अपने सभी खर्चे वसूल कर लिए हैं और भारत को निर्यात के लिए उपयुक्त लाभ अर्जित किए हैं? (बिचौलिया पाटन)।

ट) संबद्ध देशों से पाटित आयात काफी हैं।

ठ) ईजी स्टील के लिए आवेदक को ग्राहकों द्वारा पेश की गई कीमत समान हैं अथवा सीआर स्टील की कीमतों से कम हैं। ग्राहक आयातित ईजी स्टील की कम कीमत दर्शाते हैं और आवेदक से आयातित ईजी स्टील की कीमत का मिलान करने के लिए कहते हैं।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

44. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलिया भेजी थी, जिसमें उन्हें सलाह दी गई थी कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्वरूप और तरीके में सूचना उपलब्ध कराएं। संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं:

i. हुंडई कारपोरेशन

ii. एलजी हाउसिस लिमिटेड

iii. बी.एन. स्टील कंपनी

(iv) हुंडई स्टील कंपनी

(v) निप्पन स्टील कारपोरेशन

(vi) हांडा ट्रेडिंग कारपोरेशन

(vii) निप्पल स्टील ट्रेडिंग कारपोरेशन

(viii) एनएसएम कॉयल सेंटर कंपनी लिमिटेड

(ix) एनएसटी निहॉन टेप्पन कंपनी लिमिटेड

(x) सन्वा स्टील कंपनी लिमिटेड

(xi) सुमिटोमो कारपोरेशन ग्लोबल मेटल्स कंपनी लिमिटेड

(xii) टेटसुशो कायाबा कारपोरेशन

(xiii) सामयांग स्टील

(xiv) डीके डोंगशिन कंपनी लिमिटेड

(xv) डोंगकुक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड

(xvi) डोंगकुक स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(xvii) पोस्को, कोरिया गणराज्य

(xviii) सैमसंग सीएंडटी कारपोरेशन

(xix) पोस्को इंटरनेशनल कारपोरेशन

(xx) विनस्टील कंपनी लिमिटेड

(xxi) पोस्को सीएंडसी, कोरिया गणराज्य

(xxii) डीसीएम कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य

(xxiii) डाना कोरिया कंपनी लिमिटेड

45. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का विश्लेषण किया है।

46. प्राधिकारी कोरिया गणराज्य के आयातकों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए नमूनाकरण अनुरोध को नोट करते हैं। ऐसे अनुरोध पर जांच के इस देरी के स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता और जांच के वास्तविक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए ये कार्य उपयुक्त नहीं है।

कोरिया गणराज्य

डीसीएम कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीसीएम कंपनी लिमिटेड, कोरिण गणराज्य ने भारत को बाहर किए गए श्रेणी के ईजी स्टील अर्थात् लेमिनेटेड ईजी स्टील का ही निर्यात किया है और इसीलिए प्राधिकारी ने डीसीएम कंपनी लिमिटेड के लिए अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं किया है।

समयांग स्टील कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समयांग स्टील कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य ने भारत को बाहर किए गए श्रेणी के ईजी स्टील अर्थात् लेमिनेटेड ईजी स्टील का ही निर्यात किया है और इसीलिए प्राधिकारी ने समयांग स्टील कंपनी लिमिटेड के लिए अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं किया है।

बीएन स्टीला कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बीएन स्टीला कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य ने एक असंबद्ध व्यापार एलजी हाउसिस लिमिटेड, कोरिया गणराज्य के माध्यम से भारत को बाहर की गई श्रेणी के ईजी स्टील अर्थात पीसीएन

श्रेणी ख (प्रिंटेड प्रि-पेंटेड ईजी स्टील) और पीसीएन श्रेणी ग का ही निर्यात किया है। तद्नुसार, बीएन स्टीला कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य के लिए को पृथक सामान्य मूल्य और कारखानागत कीमत निर्धारित नहीं की गई है।

50. डीके डोंगशिन कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य (उत्पादक/निर्यातक)

सामान्य मूल्य का निर्धारण

i. निर्यातक प्रश्नावली के उत्तरों में दी गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीके डोंगशिन कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य से संबद्ध सामानों का एक उत्पादक एवं निर्यातक है। जैसाकि, नोट किया गया है डोंगशिन ने भारत में अपने असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। उन्होंने घरेलू बाजार में कोटेड तथा लेमिनेटेड ईजी स्टील की बिक्री की है तथा जांच की अवधि के दौरान भारत को उसका निर्यात किया है। तथापि, केवल कोटेड ईजी स्टील से संबंधित सूचना ऊपर निर्धारित किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के आधार पर वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई है।

ii. डोंगशिन ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में *** मी.टन कोटेड इलैक्ट्रो गलवेनाइज्ड स्टील की बिक्री की है, जबकि उसने भारत को *** मी.टन कोटेड ईजी स्टील का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यातों से तुलना करने पर घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घेरलू बिक्री लेन-देन निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की। यदि लाभप्रद देन-देन कुल बिक्री के 80 प्रतिशत से अधिक है तो घरेलू बाजार में सभी लेन-देनों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जा रहा है और जिन मामलों में लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम है, वह केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर ही सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है। वर्तमान मामले में चूंकि केवल *** प्रतिशत घरेलू बिक्री लाभप्रद है, अत: सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए लाभप्रद घरेलू बिक्री पर विचार किया गया है। कंपनी ने ऋण लागत और अंतरदेशीय परिवहन के निहित समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उसकी अनुमति दी गई है। तद्नुसार, डोंगशिन के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है:

निर्यात कीमत का निर्धारण

i. यह नोट किया जाता है कि डीके डोंगशिन कंपनी लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** मी.टन कोटेड ईजी स्टील का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने डीके डोंगशिन कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर उत्तर का सत्यापन किया है। डोंगशिन ने समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, ऋण लागत, दावा खर्चों और अंतरदेशीय परिवहन के निमित्त समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी ने उसकी अनुमति दी है।

ii. तद्नुसार, डीके डोंगशिन कंपनी लिमिटेड, कोरिया के लिए निर्यात कीमत भारत को भारित औसत निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

51. डोंगकुक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य

सामान्य मूल्य का निर्धारण

ii. जांच की अवधि के दौरान डोंगकुक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य ने असंबद्ध पक्षकारों को घरेलू बाजार में ***केआरडब्ल्यू बीजक मूल्य के *** मी.टन संबद्ध सामानों की बिक्री की है। भारत को निर्यातों से तुलना करने पर घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेन-देन निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की। यदि लाभप्रद लेन-देन कुल बिक्री के 80 प्रतिशत से अधिक है तो घरेलू बिक्री में सभी लेन-देनों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जा रहा है और जिन मामलों में लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम है, वहां सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री को ही ध्यान में रखा गया है। वर्तमान मामले में चूंकि केवल *** प्रतिशत

घरेलू बिक्री लाभप्रद है, अत: सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए लाभप्रद घरेलू बिक्री पर ही विचार किया गया है।

iii. डोंगकुक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य ने शीघ्र भुगतान छूट, अंतरदेशीय परिवहन, ऋण लागत, पैकिंग लागत, अप्रत्यक्ष बिक्री व्यय और दावा खर्चों के निमित्त समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी ने उसकी अनुमति दी है। तद्नुसार, डोंगकुक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य के लिए कारखानागत स्तर पर पीसीएन-वार सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

52. हुंडई स्टील कंपनी, कोरिया गणराज्य

सामान्य मूल्य का निर्धारण

i. जांच की अवधि के दौरान, हुंडई स्टील कंपनी, कोरिया गणराज्य ने असंबद्ध/असंबद्ध पक्षकारों को घरेलू बाजार में ***केआरडब्ल्यू बीजक मूल्य के *** मी.टन संबद्ध सामानों की बिक्री की है। भारत को निर्यातों से तुलना करने पर घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेन-देन निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की। यदि लाभप्रद लेन-देन कुल बिक्री के 80 प्रतिशत से अधिक है तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री में सभी लेन-देनों पर विचार किया गया है और जिन मामलों में लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम है वहां सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर ही विचार किया गया है। वर्तमान मामले में चूंकि केवल *** प्रतिशत घरेलू बिक्री ही लाभप्रद है अत: सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभप्रद घरेलू बिक्री पर ही विचार किया गया है।

ii. हुंडई स्टील कंपनी, कोरिया गणराज्य ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और ऋण लागत के निमित्त समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी ने उसकी अनुमति दी है। तद्नुसार हुंडई स्टील कंपनी, कोरिया गणराज्य के लिए कारखानागत स्तर पर पीसीएन-वार सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

i. जांच की अवधि के दौरान हुंडई स्टील कंपनी, कोरिया गणराज्य ने भारत में संबद्ध पक्षकारों अर्थात हुंडई स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हुंडई स्टील अनंतपुर प्राइवेट लिमिटेड को सीधे ही और एक असंबद्ध व्यापार अर्थात हुंडई कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य के माध्यम से भारत को अप्रत्यक्ष रूप से *** अमरीकी डॉलर बीजक मूल्य के *** मी.टन संबद्ध सामानों की बिक्री की है।

ii. हुंडई स्टील कंपनी, कोरिया गणराज्य ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबद्ध खर्चों, ऋण लागत और किसी अन्य कटौती (बैंक प्रभारों) के निमित्त समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी ने उसकी अनुमति दी है। तद्नुसार, हुंडई स्टील कंपनी, कोरिया गणराज्य के लिए कारखानागत स्तर पर पीसीएन-वार निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

53. पोस्को, कोरिया गणराज्य

सामान्य मूल्य का निर्धारण

i. पोस्को कंपनी, लिमिटेड, कोरिया गणराज्य में एक सूचीबद्ध कंपनी (ज्वाइंट-स्टॉक कारपोरेशन) है। जांच की अवधि के दौरान पोस्को कंपनी लिमिटेड ने संबद्ध और असंबद्ध पक्षकारों को *** केआरडब्ल्यू बीजक मूल्य वाले *** मी.टन संबद्ध सामानों की बिक्री की है। उनके उत्तर के आधार पर यह नोट किया जाता है कि यद्यपि सभी पीसीएन के लिए भारत को निर्यात से तुलना करने पर घरेलू बाजार में उनकी घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है, तथापि, घरेलू बाजारों में बेचा गया उत्पाद भारत को निर्यातित उत्पाद के

समान नहीं है। तद्नुसार, कोई घरेलू बिक्री नहीं थी अथवा कोई लाभप्रद घरेलू बिक्री नहीं थी अथवा घरेलू बिक्री तुलनीय उत्पाद के लिए अपर्याप्त थी। इस प्रकार, लाभों के लिए उपयुक्त वृद्धि के साथ भारत को निर्यातित उत्पादों की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित किया गया था।

ii. पोस्को कंपनी लिमिटेड ने शीघ्र भुगतान छूट, पैकिंग लागत, ऋण लागत और अंतरदेशीय भाड़ा के निमित समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी ने इसकी अनुमति दी है। तद्नुसार कारखानागत स्तर पर भारित औसत सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

i. पोस्को कंपनी लिमिटेड ने संबद्ध और असंबद्ध निर्यातकों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को *** मी.टन संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। उन्होंने अपनी संबद्ध निर्यातक अर्थात् पोस्को इंटरनेशनल कार्पो. कोरिया गणराज्य सहित निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। इसके अतिरिक्त, पोस्को कंपनी लिमिटेड ने असंबद्ध व्यापारी के माध्यम से कुछ मात्राएं भी निर्यात की हैं जिसने अपनी प्रश्नावली के उत्तर निर्दिष्ट प्राधिकारी को दायर नहीं किए हैं। तथापि, प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया जाता है कि असहयोगी असंबद्ध पक्षकारों के माध्यम से भारत को किए गए निर्यात, भारत को कुल निर्यातों के संदर्भ में बहुत ही नगण्य हैं। प्राधिकारी ने प्रत्येक पीसीएन के लिए असहयोगी असंबद्ध व्यापारी की कारखानागत निर्यात कीमत के रूप में सहयोगी निर्यातक श्रृंखला की न्यूनतम कारखानागत निर्यात कीमत ली है।

ii. पोस्को कंपनी लिमिटेड के संबद्ध निर्यातक ने पोस्को कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य के संबद्ध प्रसंस्करणकर्ताओं/आयातकों अर्थात पोस्को इंडिया प्रोसेसिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड और पोस्को इंडिया पुणे प्रोसेसिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड को आगे संबद्ध सामानों की बिक्री की है। इन सभी संबद्ध पक्षकारों ने भी अंतिम प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं।

iii. भारत में उपर्युक्त पोस्को कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा दायर उत्तर से यह नोट किया जाता है कि उनमें से एक कंपनी को ऊपर उल्लिखितानुसार विभिन्न व्यापारी चैनलों के माध्यम से उनकी मूल कंपनी अर्थात् पोस्को कंपनी लिमिटेड से आयातित संबद्ध सामानों की बिक्री के दौरान हानियां हुई हैं। चूंकि उसकी संबद्ध सामानों की बिक्री कीमत उसकी क्रय कीमत से कम है, अत:पोस्को कंपनी लिमिटेड की पहुंच कीमत और निवल निर्यात कीमत से उपयुक्त समायोजन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, समुद्री भाड़ा, ऋण लागत, पत्तन और अन्य संबद्ध खर्चों, बैंक प्रभारों और पैकिंग लागत के निमित्त समायोजनों की अनुमति दी गई है। भारित औसत निर्यात कीमत कारखानागत सतर पर निर्धारित की गई है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शायी गई है।

54. पोस्को स्टीलियोन कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य

सामान्य मूल्य का निर्धारण

i. पोस्को स्टीलियोन कंपनी लिमिटेड (पूर्व में पोस्को कोटेड एंड कलर स्टील कंपनी लिमिटेड के रूप में ज्ञात), कोरिया गणराज्य पोस्को ग्रुप का एक भाग है। जांच की अवधि के दौरान, पोस्को स्टीलियोन कंपनी लिमिटेड ने संबद्ध और असंबद्ध पक्षकारों को ***केआरडब्ल्यू बीजक मूल्य वाले ***मी.टन संबद्ध सामानों की बिक्री की है। उनके उत्तर के आधार पर यह नोट किया जाता है कि सभी पीसीएन के लिए भारत को निर्यातों से तुलना करने पर घरेलू बाजार में उनकी घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभप्रद घरेलू बिक्री लेन-देन निर्धारित करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया की। यदि पीसीएन विशेष के लिए लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से अधिक है तो प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी लेन-देनों पर विचार किया है और जिन मामलों में पीसीएन विशेष के लिए लाभप्रद लेन-देन 80 प्रतिशत से कम है, वहां सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर ही विचार किया गया है। जहां कहीं कोई घरेलू बिक्री नहीं थी अथवा घरेलू बिक्री पीसीएन विशेष के लिए

अपर्याप्त थी, वहां लाभों के लिए उपयुक्त वृद्धि के साथ उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित किया गया था। वर्तमान मामले में चूंकि केवल ***प्रतिशत घरेलू बिक्री ही लाभप्रद है, अत: सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए लाभप्रद घरेलू बिक्री पर ही विचार किया गया है।

ii. पोस्को स्टीलियाने कंपनी लिमिटेड ने पैकिंग लागत, ऋण लागत और अंतरदेशीय भाड़ा के निमित्त समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी ने उसकी अनुमति दी है। तद्नुसार, भारित औसत सामान्य मूल्य, कारखानागत स्तर पर निर्धारित किया गया है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

i. पोस्को स्टीलियोन कंपनी लिमिटेड ने किसी संबद्ध आयातक/प्रसंस्करणकर्ता को शामिल किए बिना असंबद्ध निर्यातक अर्थात सैमसंग सीएंडटी कारपोरेशन, कोरिया गणराज्य के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को ***मी.टन संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। पोस्को स्टीलियोन कंपनी लिमिटेड और सैमसंग सीएंडटी कारपोरेशन ने अलग अलग निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं।

ii. ऋण लागत, पत्तन एवं अन्य संबद्ध खर्चों, बैंक प्रभारों और पैकिंग लागत के निमित्त समायोजनों की अनुमति दी गई है। भारत औसत निर्यात कीमत कारखानागत स्तर पर निर्धारित की गई है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है:

अन्य सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य से किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है।

56. असहयोग के मद्देनज़र, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कीमत के संबंध में सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

57. निर्यात कीमत के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग के मद्देनज़र, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की। समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, बीमा, सार-संभाल प्रभार, कमीशन और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं। कोरिया गणराज्य से सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>जापान</u>

58. निप्पोन स्टील कारपोरेशन

सामान्य मूल्य का निर्धारण

i. पीओआई के दौरान, निप्पोन स्टील कारपोरेशन ("एनएससी") ने पीयूसी का उत्पादन किया और घरेलू बाजार में संबंधित/असंबंधित व्यापारियों/प्रयोक्ताओं को बिक्री की। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनएससी की दो संबंधित हस्तियां अर्थात् निप्पोन स्टील ट्रेडिंग कारपोरेशन और एनएसटी निहोन टिप्पन ने अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। इसके अलावा, निप्पोन स्टील ट्रेडिंग कारपोरेशन के संबंधित पुर्न-विक्रेता अर्थात सनवा स्टील कंपनी लिमिटेड, तेत्सुशो कयाबा कारपोरेशन और एनएसएम कॉयल सेंटर कंपनी लिमिटेड ने भी अपने प्रत्युत्तर दायर किए हैं। इसीलिए, यह देखा गया है कि एनएससी और इसके संबंधित व्यापारी, जिन्होंने भाग लिया है और अपने प्रश्नावली उत्तर दायर किए हैं। एनएससी की कुल घरेलू बिक्रियों का लगभग *** प्रतिशत स्थापित करते हैं कुल घरेलू बिक्रियों के संदर्भ में असहयोगी संबंधित पक्षकारों को की गई घरेलू बिक्रियां इसलिए नगण्य हैं। प्राधिकारी ने तद्नुसार कुल घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। एनएससी की घरेलू बिक्रियां भी पर्याप्त मात्रा में पाई गई हैं जब उनकी तुलना भारत को किए गए निर्यातों से की गई है।

ii. सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों का निर्धारण करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया आयोजित की। प्रत्येक पीसीएन के लिए, यदि लाभ प्राप्त करने वाले सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं, तो प्राधिकारी ने घरेलू बाजार में सभी सौदों पर विचार किया है और ऐसे मामलों में जहां, लाभ प्राप्त करने वाले सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ प्राप्त करने वाली घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है। वर्तमान मामले में चूंकि, घरेलू बिक्रियों का केवल ***प्रतिशत लाभकारी योग्य है, इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए लाभ प्राप्त करने वाली घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है।

iii. एनएससी ने अंतर्देशीय माल भाड़ा, अंतर्देशीय बीमा, भंडारण लागत, छूटों/रियायतों, क्रेडिट लागत और वारंटी के कारण समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने सत्यापित सूचना के आधार पर समायोजनों के दावों को स्वीकार किया है। एनएससी के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य को निर्धारित किया है; और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

i. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के दौरान, एनएससी ने संबंधित/असंबंधित व्यापारियों अर्थात् निप्पोन स्टील ट्रेडिंग कारपोरेशन (संबंधित ट्रेडर), होंडा ट्रेडिंग कारपोरेशन (असंबंधित ट्रेडर), और सुमितोमो कारपोरेशन ग्लोबल मेटल्स कंपनी लिमिटेड (असंबंधित ट्रेडर) के ज़रिए *** मी.टन की कुल मात्रा का निर्यात किया है।

ii. एनएससी और इसकी संबंधित/असंबंधित ट्रेडिंग कंपनियों, निप्पोन स्टील ट्रेडिंग कारपोरेशन, होंडा ट्रेडिंग कारपोरेशन और सुमितोमो कारपोरेशन ग्लोबल मेटल्स कं. लि. ने अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किए हैं। ऊपर उल्लिखित कंपनियों अर्थात तेत्सुशो कयाबा कारपोरेशन, नीमराना स्टील सर्विस सेंटर इंडिया प्रा. लिमिटेड, राजस्थान प्राइम स्टील प्रोसेसिंग सेंटर प्रा. लिमिटेड और होंडा ट्रेडिंग कारपोरेशन इंडिया प्रा. लिमिटेड के संबंधित ट्रेडर्स/आयातकों ने भी अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किए हैं।

iii. इन कंपनियों के ज़रिए एनएससी द्वारा की गई बिक्रियां भारत को किए गए कुल निर्यातों का *** प्रतिशत ठहरती है। तद्नुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि असहयोगी असंबद्ध पक्षकारों के ज़रिए भारत को किए गए निर्यात, भारत को किए गए कुल निर्यातों के संदर्भ में नगण्य हैं।

iv. निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा एनएससी द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा पर विचार किया गया है। प्राधिकारी ने प्रत्येक पीसीएन के लिए कारखाना गत निर्यात कीमत की संगणना करने के लिए, एनएससी और इसके ट्रेडरों द्वारा दायर किए गए आंकड़ों पर विचार किया है। एनएससी ने अंतरदेशीय माल भाड़ा, अंतरदेशीय बीमा, भंडारण लागत और क्रेडिट लागत के कारण समायोजनों का दावा किया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने उन मामलों में निर्यात कीमत में उचित समायोजन किए हैं जहां यह नोट किया गया था कि भारत को की जाने वाली निर्यात श्रृंखला में शामिल संबंधित या असंबंधित व्यापारी पीयूसी की बिक्रियों पर हानियां झेल रहे थे।

v. तद्नुसार, एनएससी के लिए निर्यात कीमत को भारत को भारांशित औसत निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है ओर इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जापान से जेएफई स्टील कारपोरेशन और कोबे स्टील लिमिटेड ने भी जांच में भाग लिया है। तथापि, उन्होंने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है और केवल कानूनी अनुरोध किए हैं। प्राधिकारी ने जेएफई स्टील कारपोरेशन और कोबे स्टील लिमिटेड को असहयोगी माना है। वर्तमान जांच में किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी को प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

60. असहयोग को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, कीमत पर सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

61. निर्यात कीमत के संबंध में, उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सभी असहयोगी उत्पादकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय माल भाड़ा, बीमा, संभाल प्रभारों, कमीशन और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं। जापान से सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का पाटन मार्जिन तालिका में उल्लेख किया गया है।

सिंगापुर

सामान्य मूल्य का निर्धारण

62. वर्तमान जांच में सिंगापुर से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने भाग नहीं लिया है और न ही प्रश्नावली उत्तर दायर किया है। सिंगापुर में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी सिंगापुर से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में, नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के सिद्धांतों के साथ कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के साथ विधिवत समायोजित, साथ ही उचित लाभ सहित घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर सिंगापुर से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। सिंगापुर के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य का पाटन मार्जिन तालिका में उल्लेख किया गया है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

63. सिंगापुर से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किया है। सिंगापुर में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी उनके प्रश्नावली उत्तर के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पृथक-पृथक निर्यात कीमत का निर्धारण करने में समर्थ नहीं हैं और निर्यात कीमत के निर्धारण के संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के सिद्धांतों के साथ कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य हैं। उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार, जांच की अवधि के लिए आयतों की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। समुद्री माल भाड़ा, अंतर्देशीय माल भाड़ा, बीमा, संभाल प्रभारों, कमीशन और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का पाटन मार्जिन सारणी में उल्लेख किया गया है।

पाटन मार्जिन

64. कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:

उत्पादक/निर्यातक	सामान्य मूल्य (अम.डॉलर/एम टी)	एनईपी (अम.डॉलर/ एमटी)	पाटन मार्जिन (अम.डॉलर/एम टी)	पाटन मार्जिन %	रेंज
कोरिया गणराज्य					
पोस्को ग्रुप	***	***	***	***	नगण्य
डोंगकुक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नगण्य

हुंदई स्टील कंपनी	***	***	***	***	0-10
डीके डोंगशिन कं.लि.	***	***	***	***	20-30
सभी अन्य	***	***	***	***	50-60
जापान					
निप्पोन स्टील कारपोरेशन	***	***	***	***	70-80
सभी अन्य	***	***	***	***	110-120
सिंगापुर					
कोई भी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	20-30

65. यह देखा जा सकता है कि कोरिया गणराज्य से दो उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन ऋणात्मक हैं जबकि कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर से बाकी उत्पादकों/निर्यातकों के लिये यह नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक हैं।

छ. क्षति का निर्धारण और क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच के लिए पद्धति

66. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी क्षति के निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति की ओर संकेत कर सकते हैं, ".....पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित, सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए.....")। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का विचार करने में, इस बात की जांच करना जरूरी समझा गया कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से महत्वपूर्ण सीमा तक कीमतों में ह्रास को रोका है या कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित किया है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण स्तर तक घटित हुआ होता।

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

67. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नानुसार अनुरोध किया हैं:

क) जांच शुरुआत अधिसूचना में उस आधार का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है जिस पर घरेलू उद्योग को एक अस्थापित उद्योग विचारित किया गया था। इसलिए, कानून की दृष्टि से यह गलत है और जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।

ख) घरेलू उद्योग किसी उद्योग की स्थापना के लिए वास्तविक मंदी के आधार पर क्षति का दावा नहीं कर सकता क्योंकि इसने पहले ही व्यावसायिक उत्पादन आरंभ कर दिया है और इसलिए यह एक "अस्थापित उद्योग" नहीं है। रिलायंस को निम्नलिखित पर स्थापित किया गया था:

क. पाटनरोधी समझौते[16] के संशोधन के लिए डब्ल्यूटीओ पर प्रस्ताव[17] ;

---

[16] *प्रारूप में एडी और एसएीएम समझौतों, नियमों पर बातचीत करने वाले डब्ल्यूटीलओ समूह के प्रमुख संदेश समेकित है। टीएफ/आरएल/डब्ल्यू/213.*

[17] *17 "3.9 किसी घरेलू उद्योग की स्थापना की वास्तविक मंदी का निर्धारण तथ्यों के आधार पर होगा न कि सिफ आरोपों, अनुमानों या दूरस्थ संभावनाओं के आधार पर।* ***किसी उद्योग को स्थापित उद्योग के रूप में तभी विचार किया जा सकता है जहां किसी समान उत्पाद के घरेलू उत्पादन के लिए उत्पादित किए गए संसाधनों की वास्तविक और उचित प्रतिबद्धता की गई है न कि आयात करने वाले सदस्य के क्षेत्र में अतीत में उत्पादित किए गए उत्पाद के लिए, जहां उत्पादन अभी आरंभ नहीं हुआ है या अभी तक व्यावसायिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त नहीं किया गया है। यह निर्धारित करने में कि क्या कोई उद्योग स्थापना की स्थिति में है और उस उद्योग की स्थापना पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने में, प्राधिकारी को स्थापित क्षमता, किए गए***

ख. यूएस हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर में उल्लिखित अभ्यास[18] ;

ग. मोरक्को में डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट – टर्की से विशिष्ट हॉट रोल्ड स्टील पर पाटनरोधी उपाय[19] (जिसे यहां इसके बाद मोरक्को –एचआरसी (टर्की) कहा गया है);

ग) वास्तविक मंदी के आकलन का निम्नलिखित आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है:-

क. स्थापना के अधीन कोई उद्योग, जहां उत्पादन अभी आरंभ नहीं हुआ है किन्तु समान वस्तु के घरेलू उत्पादन के लिए संसाधनों की उचित और पर्याप्त प्रतिबद्धता की गई है, जिसका पहले आयात करने वाले सदस्य के क्षेत्र में उत्पादन नहीं किया गया था; (अथवा)

ख. कोई उद्योग तब स्थापना में माना जाता है जब हालांकि, उत्पादन आरंभ हो चुका है तथापि, अभी व्यावसायिक मात्रा में प्राप्त नहीं किया गया है।

ग. इसके अतिरिक्त, जांचकर्ता प्राधिकारी यह आकलन करते हुए कि क्या उद्योग स्थापना की स्थिति में है, साथ ही उद्योग की स्थापना पर पाटित आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करते समय अन्य बातों के साथ-साथ स्थापित क्षमता, किए गए निवेश, प्राप्त वित्त पोषण और व्यवहार्यता अध्ययनों, निवेश योजनाओं या बाजार अध्ययनों सहित संबंधित साक्ष्यों को ध्यान में रख सकते हैं।

घ) वास्तविक मंदी के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे अनुमानों पर आधारित हैं न कि "सकारात्मक, उद्देश्यपरक.....सत्यापन योग्य.....और विश्वसनीय" साक्ष्यों के आधार पर।

ड.) चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एन, एन" – डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडामाइड[20] (डीसीसी) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच (वास्तविक मंदी) में जारी अपने हाल के अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी ने यह निर्धारण करने में कि क्या घरेलू उद्योग स्थापित है, मोरक्को के अभ्यास[21]

निवेशों और प्राप्त किए गए वित्तपोषण तथा व्यवहार्यता अध्ययनों, निवेश योजनाओं अथवा बाजार अध्ययनों सहित अन्य बातों के साथ साथ संबंधित साक्ष्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए"। *(बल दिया गया है)।*

[18] *"याचिकाकर्ता यह आरोप लगा सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी उद्योग की स्थापना आयातों या संबद्ध वाणिज्य वस्तु के आयात के लिए बिक्रियों (या बिक्रियों की संभावना) के कारण वास्तविक रूप से मंद है। कानून "वास्तविक मंदी" को परिभाषित नहीं करता; तथापि, पिछले मामलों में इस मुद्दे पर विचार करते हुए आयोग ने इस प्रश्न की जांच से आरंभ किया है कि कया यू.एस उद्योग एक "स्थापित" उद्योग है। यदि यू.एस. उत्पादकों ने उत्पाद का उत्पादन आरंभ कर दिया है तो उद्योग को स्थापित समझा जाएगा, यदि उत्पादकों ने प्रचालन को "स्थिर" कर दिया है। इस मूल्यांकन में आयोग ने निम्नलिखित कारणों की जांच की है: (1) यू.एस. उद्योग ने उत्पादन कब आरंभ किया है; (2) क्या उत्पादन स्थिर है या आरंभ कर के रोक दिया गया है; (3) कुल रूप में घरेलू बाजार के आकार की तुलना में घरेलू उत्पादन का आकार; (4) क्या यू.एस. उद्योग "लाभ अलाभ बिंदु" पर पहुंच गया है; और (5) क्या जारी गतिविधियां वास्तव में एक नया उद्योग है या सिर्फ किसी स्थापित फर्म की एक नई उत्पादन श्रृंखला है। यदि उद्योग स्थापित नहीं है तो आयोग इस पर विचार करेगा कि कया उद्योग का निष्पादन सामान्य स्टार्टअप की कठिनाईयों को प्रतिबिंबित करता है अथवा क्या संबद्ध व्यापारिक वस्तु के आयातों ने उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से मंद कर दिया है।"*

[19] *मोरक्को-टर्की से विशिष्ट हॉट रोल्ड स्टील पर पाटनरोधी उपाय डब्ल्यूटी/डीएस513/आर)2018) में पैनल रिपोर्ट का पैरा 7.154.*

[20] *चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एन, एन" डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बोडाइमाइड (डीसीसी)" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच (वास्तविक मंदी) में दिनांक 24 फरवरी, 2020 के अंतिम जांच परिणाम।*

[21] *"7.41. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग स्थापित था, एमडीसीसीई ने निम्नलिखित पांच मानदंड लागू किए हैं: (क) घरेलू उद्योग कितने समय से घरेलू समान उत्पाद का उत्पादन कर रहा है; (ख) घरेलू समान उत्पाद का बाजार हिस्सा; (ग) क्या घरेलू उद्योग का उत्पादन स्थिर रहा था; (घ) क्या घरेलू उद्योग लाभप्रदता/लाभ-अलाभ बिंदु पर पहुंचा था; और (ड.) क्या घरेलू उद्योग ने एक "नया" उद्योग स्थापित किया था। एमडीसीसीई ने अपने अंतिम निर्धारण में यह नोट किया था कि वह इस*

का आश्रय किया है। उस जांच में प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए सिद्धांतों को नीचे संक्षिप्त रूप में दिया गया है:-

क. घरेलू उद्योग ने अपना उत्पादन कब आरंभ किया था?

ख. क्या संबद्ध वस्तु का उत्पादन सिर्फ वर्तमान उद्योग में सिर्फ एक नई उत्पादन श्रृंखला है?

ग. कुल रूप में घरेलू बाजार के आकार की तुलना में उत्पादन का आकार।

घ. उत्पादन की स्थिरता

च) यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 1500 श्रृंखला और 1700 श्रृंखला के स्टाइरीन बुटाडीन रबड़ (एसबीआर) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में धारित किया है कि वास्तविक मंदी से संबंधित परीक्षण केवल ऐसे उद्योग के मामले में लागू होता है जिसे अभी पूरी तरह से स्थापित किया जाना है।[22]

छ) प्राधिकारी को वह आधार स्पष्ट करना चाहिए जिस पर घरेलू उद्योग को अस्थापित उद्योग माना गया है।

ज) याचिकाकर्ता यह प्रमाणित करने के लिए गिनाए गए कारणों के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराने में असफल रहा है कि यह एक अस्थापित उद्योग है, जिस कारण वास्तविक मंदी के आकलन की जरूरत है।

झ) नियमावली के पैरा 11.7.49 के अनुसार, वास्तविक मंदी की अपनी जांच में प्राधिकारी को निम्नलिखित कारणों पर विचार करना चाहिए:-

क. विपणन योग्य उत्पाद को उत्पादित करने की क्षमता;

ख. गुणात्मक रूप से उत्पाद क्रयकर्ताओं को स्वीकार्य है; और

ग. उत्पाद को ऐसी कीमत पर बिक्री करने की क्षमता जो उचित रूप से व्यापार किए गए आयातों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक है।

ञ) आवेदक द्वारा किए गए निवेशों का एकमात्र तथ्य इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचाता कि आवेदक एक "नया" उद्योग है।

ट) प्राधिकारी को पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता को बाजार में अभी एक स्थापित होना बाकी था या वह पहले से ही उत्पादन मात्राओं के मूल्यांकन द्वारा स्थापित था।

जांच परिणाम पर पहुंचा था कि इन मानदंडों पर अपने आधारित निष्कर्ष के एक पृथक और सामूहिक विचार के आधार पर घरेलू उद्योग अस्थापित था।

[22] *यूरोपियन संघ, कोरिया गणराज्य और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 1500 श्रृंखला और 1700 श्रृंखला के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम का पैरा 71, दिनांक 12 जुलाई, 2017.*

"71. जहां महत्वपूर्ण क्षति या महत्वपूर्ण क्षति के खतरे की जांच के परीक्षण को एक वर्तमान घरेलू उद्योग पर या ऐसे प्रचालनों की सीमा तक लागू किया जा सकता है जो घरेलू उद्योग ने पहले किए थे, ऐसे घरेलू उद्योग के मामले में जो अभी तक पूरी तरह से स्थापित किए जाने हैं, लागू किए जाने वाला परीक्षण वास्तविक मंदी का है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जहां वास्तविक मंदी के परीक्षण को लागू प्रयोज्य हैं वहां निम्नलिखित दो स्थितियां प्रासंगिक हैं:-

(i) "विकासशील उद्योग" के मामले में जहां व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता की गई है;

(ii) "उदीयमान उद्योग" के मामले में जहां व्यावसायिक उत्पादन, हालांकि आरंभ हो चुका है किंतु उद्योग द्वारा बाजार में अभी जगह बनाना बाकी है"

ठ) आवेदक एक नया उद्योग नहीं है बल्कि पेंट और वार्निश के क्षेत्र में विद्यमान है, एक नई उत्पाद लाइन को शामिल करने से उसे एक पृथक उद्योग नहीं माना जा सकता। इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता ने वर्तमान उत्पादन, विपणन और अन्य प्रचालनों के कारण लाभ प्राप्त किए हैं।[23]

ड) एकमात्र तथ्य कि याचिकाकर्ता ने जुलाई, 2019 में अपना उत्पादन आरंभ किया था, घरेलू उद्योग को एक उदीयमान उद्योग या अस्थापित उद्योग के रूप में माने जाने का आधार नहीं हो सकता। इसके अलावा, क्षमता का कम उपयोग किसी उद्योग को महत्वपूर्ण मंदी के रूप में विचार किए जाने का आधार नहीं हो सकता।

ढ) यदि, प्राधिकारी यह निर्णय देते हैं कि घरेलू उद्योग वास्तविक मंदी को झेल रहा है, तो यह एनआईपी का निर्धारण करते समय घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और उच्च असामान्य लागतों में अभिभावी अक्षमताओं का मानकीकरण करेगा।

ण) पिछली जांचों में, प्राधिकारी ने पैरामीटरों जैसे क्षमता उपयोग, उत्पादन, निवल बिक्री वसूलियों, बिक्रियों, पाटन की मात्रा और मार्जिन का मूल्यांकन किया है और इन पैरामीटरों की प्रक्षेपित स्तरों के साथ तुलना की है, जैसा कि घरेलू उद्योग की परियोजना रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है[24] , पीओआई पश्चात के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

त) याचिकाकर्ता ने अल्प निष्पादन अवधि वाले उद्योगों के मामले में प्रयोज्य निम्नलिखित कारकों में से किसी को भी स्थापित नहीं किया है, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा एफ.के.एम. मामले में उल्लेख किया गया है।[25]

क. घरेलू उद्योग की विद्यमानता/प्रचालनों की सीमा तक वास्तविक निष्पादन।

ख. संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय लेते समय याचिकाकर्ता द्वारा बनाई गई योजना या विचार किए गए निष्पादन के साथ वास्तविक निष्पादन की तुलना।

ग. पीओआई के पश्चात की अवधि में वृहत आर्थिक पैरामीटरों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन।

घ. पीओआई – पश्चात आंकड़े की जांच करने के प्रयोजन हेतू कि क्या पीओआई –पश्चात की अवधि में भी घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रतिकूल था।

थ) उदीयमान उद्योग के रूप में किसी उद्योग के वर्गीकरण के लिए घरेलू उद्योग द्वारा निश्चय-पूर्वक बताए गए कारकों को प्राधिकारी के पिछले निर्णय द्वारा समर्थित नहीं किया गया है और इसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

द) घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में कि वास्तविक मंदी के मामले में आर्थिक पैरामीटरों की प्रवृत्ति सीमित प्रासंगिकता की है, यह अनुरोध किया जाता है कि चीन जन.गण., मलेशिया, इंडोनेशिया और

---

[23] *मोरक्को-एचआरसी (टर्की) का पैरा 7.211*

[24] *मलेशिया,इंडोनेशिया, थाइलैंड, सऊदी अरेबिया और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नान-वुवेन फैब्रिक के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम को माननीय सेस्टेट सं. 14/23/2015 -डीजीएडी दिनांक 15 सितंबर, 2020 द्वारा वापस भेजा गया।*

[25] *चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लोरोएलास्टोमर्स (एफकेएम) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जांच में अंतिम जांच परिणाम दिनांक 19 अक्तूबर, 2020.*

यूरोपियन संघ[26] के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विनियर्ड इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के अनुरोधों को अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

ध) घरेलू उद्योग द्वारा किए गए संबद्ध आयातों के संचित मूल्यांकन के दावे के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान मामले में ऐसा मूल्यांकन उचित नहीं है। कोरिया से आयातों ने अन्य संबद्ध तथा असंबद्ध देशों की तुलना में एक पूर्णत: पृथक प्रवृत्ति का अनुसरण किया है। "ईसी –ट्यूब या पाइप फिटिंग[27] विवाद में अपीलीय निकाय के अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह अवलोकन किया गया था कि आयातित उत्पादों और आयातित एवं घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति के बारे में जांचकर्ता प्राधिकारी के मूल्यांकन के संदर्भ में देश-विशिष्ट मात्रा की प्रवृत्तियां प्रासंगिक हो सकती है, ऐसे में विश्लेषण किया जाना अनुचित होगा।

न) संबद्ध देशों से आयातों ने वृद्धि घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री मात्रा तथा लाभप्रदता में वृद्धि करने से नहीं रोका था।

मात्रा प्रभाव

प) पीओआई के दौरान न तो कुल रूप में न ही सापेक्ष संदर्भ में संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। आयातों में पीओआई में 2018-19 से 24 सूचकांक बिंदु और 2019-20 से 21 सूचकांक बिन्दु की गिरावट आई है।

फ) जहां आयातों में पीओआई के आरंभ से पीओआई के अंत तक लगभग 11 सूचकांक बिन्दुओं की वृद्धि हुई है, वहीं समान अवधि के दौरान उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि 274 बिन्दु की सीमा तक थी।

ब) आयात आंकड़ों में लेमिनेटेड ईजी स्टील को शामिल किया गया है जिसे आयात मात्रा के सही आंकड़ों को दर्शाने के लिए शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

भ) पीओआई में जापान से आयातों में 2018-19 से 24 सूचकांक बिंदु और 2019-20 से 12 सूचकांक बिन्दु की गिरावट आई है।

म) कोरिया, विशेष रूप से डोंगकुक स्टील कंपनी, से आयातों के कारण याचिकाकर्ता को कोई क्षति नहीं हुई है। ईक्यूआर का एक अध्ययन स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि कोरिया से संबद्ध वस्तु की कीमत पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान उच्च बनी रही है।

य) क्षति अवधि में पीयूसी की मांग बढ़ी है और इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए कोरिया से आयात किए गए हैं।

कक) कोरिया से आयात की मात्रा 100 मी.टन से बढ़कर 141 मी.टन हो गई है और पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई में 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इसी बीच सिंगापुर से आयातों में 106 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्षति सिंगापुर से आयातों के कारण है।

खख) याचिकाकर्ता 2019-20 और पीओआई के लिए मांग की प्रवृत्ति को प्रकट करने में असफल रहा है जो नियमावली के नियम 7 का उल्लंघन है।

कीमत प्रभाव

---

[26] *चीन जन.गण., मलेशिया, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विनियर्ड इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच, अंतिम जांच परिणाम दिनांक 13 फरवरी, 2018.*

[27] *डब्ल्यूटी/डीएस219/एबी/आर यूरोपियन समुदाय - ब्राजील से मालेएबल कास्ट आयरन ट्यूब या पाइप फिटिंग्स (2003)पर पाटनरोधी शुल्क.*

गग) याचिकाकर्ता की बिक्री कीमत लागत की तुलना में काफी ऊंची दर पर बढ़ी हैं। इसलिए, कोई कीमत ह्रास/न्यूनीकरण नहीं हुआ है।

घघ) बीसीडी को शामिल किए जाने के बाद भी महत्वपूर्ण आयातों वाले असंबद्ध देशों (मलेशिया, हांग कांग और बेल्जियम) से पीयूसी की कीमत/मी.टन संबद्ध देशों की तुलना में निम्न रही हैं, यह दर्शाता है कि कोई कीमत प्रभाव नहीं है।

ड.ड.) प्राधिकारी को बिक्री कीमत की उपयुक्तता की जांच करनी चाहिए और सत्यापित करना चाहिए कि क्या ये कीमतें आयात कीमतों की प्रवृत्तियों पर आधारित थी और क्या संबद्ध आयातों की कीमत में परिवर्तन के अनुरूप बिक्री कीमत में परिवर्तन हुआ है।

चच) घरेलू उद्योग ने उत्पादन और लाभप्रदता के संदर्भ में अत्यधिक बेहतर निष्पादन किया है और इसलिए यह कीमत कटौती के कारण क्षति का दावा नहीं कर सकता।

छछ) पीओआई के दौरान बिक्रियों की लागत में केवल 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि इसी समय, बिक्री कीमत में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जज) संबद्ध देशों से पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से काफी अधिक है।

झझ) 22 प्रतिशत आरओसीई की पूर्वानुमान एक बढ़े हुए एनआईपी की ओर ले जाएगी और परिणामस्वरूप कम कीमत पर बिक्री के विश्लेषण को बदल देगा। इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी[28] और मै. ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी[29] में सेस्टेट ने धारित किया कि निवेश पर 22 प्रतिशत की आय का उच्च स्तर कम कीमत पर बिक्री एक बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किए गए चित्र को प्रस्तुत करता है, जो क्षति का सही संकेतक नहीं हो सकता।

ञञ) पिछले कुछ वर्षों में ब्याज दर तथा निगमित कर दर में कमी आई है और इसलिए, ऐसे उच्च भार को आरओसीई को उपलब्ध कराने का कोई आधार नहीं है।

टट) ऐसी किसी अकार्यकुशलता के कारण किसी क्षति को समाप्त करने के लिए एडी नियमावली के अनुबंध-III के तहत यथा अपेक्षित कच्चे माल की लागतों, युटिलिटीज और उत्पादन का इष्टतमीकरण किया जाना चाहिए। एनआईपी के परिकलन में स्टार्ट अप लागतों का भी अनुकूलन किया जाना चाहिए जैसाकि चीन जन.गण. के विरुद्ध[30] पोलीयुरेथीन लैदर" (जिसमें घरेलू उद्योग लगभग 2.5 वर्षों के लिए अस्तित्व में था) और "चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एन, एन –डाइसीक्लोहेक्सिल कार्बोडिमाइड (डीसीसी)"[31] के मामले में किया गया था।

ठठ) बिक्री कीमत में गिरावट बिक्रियों की गिरती हुई लागत के कारण और इसे पहुंच कीमतों पर आरोपित नहीं किया जा सकता जिसमें पूरी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

डड) आवेदक उद्योग की लागत तथा बिक्री कीमत के प्रति उचित समायोजन किए जाने की जरूरत है क्योंकि यह नया उद्योग है और इस के विनिर्माण, साथ ही उत्पाद की बिक्री करने के लिए ऊंची लागत लगने की संभावना है।

---

[28] *2004 (170) ई.एल.टी. 144 (ट्राई-डीईएल)*

[29] *2011 एससीसी ऑन लाइन सेस्टेट 3694.*

[30] *चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पोलीयुरेथेन लेदर जिसमें पॉलीयुरेथेन के साथ एक तरफा अथवा दो तरफ कोटिड किसी भी प्रकार का वस्त्र शामिल हैं" में अंतिम जांच परिणाम दिनांक 21 फरवरी, 2022*

[31] *ऊपर दी गई टिप्पणी 21.*

ढढ) घरेलू उद्योग के लाभ में अत्यधिक वृद्धि हुई है और ऐसी वृद्धि तभी संभव है जब बिक्री कीमत घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत की तुलना में अधिक हो।

णण) इसकी कीमत के 10-30 प्रतिशत अधिक होने के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे केवल अनुमान हैं और इन्हें संपोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि वे दस्तावेजी साक्ष्यों से समर्थित न हों।

तत) आयातित उत्पाद के आधार पर उपभोक्ता द्वारा लिए जाने वाले कीमत संबंधी निर्णय के संबंध में आवेदक के दावों का कोई महत्व नहीं है। प्राधिकारी को पहले पीयूसी के दायरे को निर्धारित करना चाहिए और तत्पश्चात् तुलना की जानी चाहिए।

थथ) घरेलू उद्योग आंतरिक विसंगतियों का सामना कर रहा है तथा इसमें प्रभावी मार्केटिंग साथ ही उपभोक्ता अध्ययन की कमी है। इसके अलावा, यह उपभोक्ता विनिर्देशों और आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि इसमें तकनीकी जानकारी और विशिष्ट प्रौद्योगिकी की कमी है।

दद) एक तरफ घरेलू उद्योग यह दावा कर रहा है कि स्टार्ट अप अकार्यकुशलताएं मौजूद हैं और दूसरी ओर यह दावा कर रहा है कि इसके पैरामीटरों में सुधार केवल "आधारभूत प्रभाव" (बेस इफेक्ट) के कारण है।

आर्थिक मापदंड

धध) यह अनुरोध किया जाता है कि अधिकारी को घरेलू उद्योग की पूरी स्थिति की जांच करनी चाहिए जैसाकि पैनल द्वारा थाइलैंड-एच-बीम्स[32] में स्पष्ट किया गया है।

नन) घरेलू उद्योग के अनुरोध के संबंध में कि इसका हिस्सा केवल 15 प्रतिशत है और आयात कुल घरेलू उत्पादन का लगभग पांच गुणा है, यह अनुरोध किया जाता है कि इसका महामारी विघटन, अल्प वाणिज्यिक अवधि और बाजार में घरेलू उद्योग के कम आधार को ध्यान में रखते हुए आकलन किया जाना चाहिए।

पप) याचिकाकर्ता की क्षमता जुलाई, 2019 से पीओआई तक की पूरी अवधि के दौरान स्थिर बनी रही है। हालांकि इसकी निवल अचल परिसंपत्तियों में 18 प्रतिशत की महत्वपूर्ण गिरावट आई है। इसी समय, मूल्य ह्रास लागत में लगभग 61 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसका अर्थ है कि या तो आवेदक ने अपनी लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि की है अथवा इसने अपनी अचल परिसंपत्तियों के बारे में गलत विवरण दिया है।

फफ) घरेलू उद्योग ने विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों में अर्थात बिक्रियों, बाजार हिस्से, उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभों, नकद लाभों, पीबीआईटी, आरओसीई और उत्पादकता में पूरी क्षति अवधि के दौरान महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया है।

बब) आवेदक उद्योग की उत्पादन मात्रा में स्थिर रूप से वृद्धि हुई है और इसने अपने व्यावसायिक उत्पादन को आरंभ करने के समय से 274 सूचकांक बिन्दु की वृद्धि दर्ज की है। मोरक्को-एचआरसी (टर्की)[33] में, पैनल ने यह निर्धारित करने के लिए उत्पादन को एक महत्वपूर्ण कारक माना है कि क्या उद्योग ने स्थिरता को प्राप्त किया है या नहीं। आवेदक के आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि आवेदक ने स्थिरीकरण प्राप्त कर लिया है।

भभ) व्यापार की अल्प अवधि में भी, याचिकाकर्ता ने कोविड-19 के विनाशकारी प्रभाव के बावजूद भारत में कुल बाजार हिस्से के लगभग 15 प्रतिशत भाग का अधिग्रहण कर लिया है। मोरक्को – एचआरसी

---

[32] *थाईलैंड-लौह या गैर-मिश्र धातु के कोण, आकार और खंड के भागों पर पाटनरोधी शुल्क, पैरा 7.236 और पोलैंड से एच बीम्स डब्ल्यूटी/डीएस/122/आर (2001) ।*

[33] *ऊपर दी गई टिप्पणी 20.*

(टर्की)[34] के मामले में, पैनल ने यह आकलन करने में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर एक महत्वपूर्ण कारक के रूप पर विचार किया है कि क्या उद्योग स्थिर है या नहीं। आवेदक के बाजार हिस्से में असाधारण वृद्धि हुई है जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उद्योग स्थिर है।

मम) इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं के पास कोई मालसूची नहीं है, यह स्पष्ट हो जाता है कि घरेलू उद्योग आयातों द्वारा प्रभावित नहीं है।

यय) घरेलू उद्योग के लाभ और तिमाही आयात मात्रा की तुलना दर्शाती है कि आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन के बीच कोई संबंध नहीं है।

ककक) पीबीआईटी में आधार वर्ष में 100 सूचकांक बिंदुओं से बढ़ कर पीओआई में यह 469 सूचकांक बिन्दु हो गया जो दर्शाता है कि याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तुओं की बिक्री पर नियोजित पूंजी पर सकारात्मक आय अर्जित करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त नियोजित औसत पूंजी साथ ही औसत नियोजित पूंजी के प्रतिशतांक के रूप में पीबीआईटी में पीओआई की अंतिम तिमाही के दौरान क्रमश: 103 प्रतिशत और 113 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

खखख) अपने आवेदन में याचिकाकर्ता ने कहा है कि गाल्वेनाइज्ड स्टील परियोजना स्व-वित्तपोषित है, जो दर्शाता है कि आवेदक वास्तव में कितना भली-भांति स्थापित है।

वास्तविक निष्पादन की तुलना में अनुमानित निष्पादन

गगग) प्राधिकारी को परियोजना रिपोर्ट की विश्वसनीयता और वैधता की जांच करनी चाहिए। इसे यह निर्धारित करने के लिए किसी निष्पक्ष तृतीय पक्षकार के पूर्वानुमान के लिए भेजा जाना चाहिए कि क्या वास्तव में कोई वास्तविक मंदी है।

घघघ) प्राधिकारी को यह जांच करनी चाहिए कि क्या परियोजना रिपोर्ट में स्टील की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखा गया है जिसका उद्योग नवंबर, 2019 से समाना कर रहा है।

ड.ड.ड.) प्राधिकारी को परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित पीयूसी की बिक्री कीमत की भी जांच करनी चाहिए क्योंकि संभवत: याचिकाकर्ता ने उच्च मूल्यांकन को आकर्षित करने के लिए उच्च लाभप्रदत्ता दर्शायी है।

चचच) याचिकाकर्ता की परियोजना रिपोर्ट 2019 में तैयार की गई थी और इसलिए इसमें कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए निवारक उपाय शामिल नहीं किए गए हैं।

छछछ) परियोजना रिपोर्ट को तत्कालीन जांच में अप्रासंगिक माना जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग लाभकारी रूप से प्रचालन कर रहा है और इसने पीओआई, साथ ही क्षति अवधि में स्थिरता प्राप्त की है। इसकी बजाय प्राधिकारी को अपनी जांच वास्तविक निष्पादन और पीओआई के बाद के आंकड़ों के आधार पर आगे बढ़ानी चाहिए।

कारणात्मक संबंध

जजज) याचिकाकर्ता को क्षति स्टार्ट अप लागतों, कच्चे माल की कीमत और क्रयकर्ता के बाजार के कारण हुई है और याचिकाकर्ता तत्काल ही बिक्रियों और बाजार हिस्से को प्राप्त नहीं कर सकता।

झझझ) भारत सरकार साथ ही भारत प्रतिस्पर्धा आयोग ने कोविड-19 के कारण कारोबार पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को लागू किया है और अनुवर्ती निवारक उपायों को स्वीकार किया है।

ञञञ) घरेलू उद्योग के लाभ और आयात मात्रा साथ ही संबद्ध आयातों की कीमत की तुलना दर्शाती है कि आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। उत्पादन, बिक्रियों,

---

[34] *13वीं*

क्षमता उपयोग और लाभप्रदत्ता के वास्तविक और अनुमानित स्तरों के बीच अंतर कोविड-19 निवारक उपायों के कारण है।

टटट) घरेलू उद्योग द्वारा अपने व्यावसायिक उत्पादन को आरंभ किए हुए केवल डेढ़ वर्ष हुआ है जिस का अधिकतर भाग कोविड-19 प्रतिबंधों द्वारा प्रभावित था और यह याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2019-20 के अपने वित्तीय विवरण में स्वीकार किया गया है।

ठठठ) महामारी ने आपूर्तिकर्ताओं को अपनी अधिप्राप्तियों को पहले से विद्यमान चैनलों से हाल ही में स्थापित घरेलू उद्योग को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी।

डडड) प्राधिकारी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उन्होंने जांच शुरुआत के समय 2019 की परियोजना रिपोर्ट का आश्रय लिया है और क्या कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए व्यवधान के कारण उचित समायोजन किए गए हैं।

ढढढ) जहां घरेलू उद्योग की लागत को अस्वीकृत कर दिया गया है वहीं क्षमता उपयोग और लाभ, दोनों ने वृद्धिकारक प्रवृत्ति दर्शायी है जो स्थिरीकरण और वास्तविक मंदी और क्षति की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है।

गैर-आरोपण कारक

णणण) आवेदक ने स्वयं को एक 'नए उद्योग' के रूप में प्रस्तुत किया है और विशिष्ट अपरिहार्य स्टार्ट आप लागतों का सामना करने के लिए बाध्य है जो नए उद्योग को प्रभावित करती हैं। प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए कि क्या ऐसी लागतों को आवेदक द्वारा ध्यान में रखा गया है।

ततत) प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए कि क्या आवेदक को कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण प्रतिस्पर्धात्मक दरों या उच्च दरों पर कच्चे माल और युटिलिटीज की अधिप्राप्ति में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

थथथ) आवेदक ने उसके निष्पादन पर स्टील की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव की जांच नहीं की है। नवंबर, 2019 के बाद सी.आर.कॉयल्स की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई है और याचिकाकर्ता क्षति का सामना कर रहा है क्योंकि सी आर कॉयल्स ईजी स्टील के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाला प्राथमिक कच्चा माल है।

ददद) याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि वह पश्चगामी एकीकृत (बैकवर्ड इंटेग्रेडिड) नहीं हैं और तीसरे पक्षकारों से स्टील की खरीद की है। इसलिए, वे उन हस्तियों की तुलना में उच्च कीमतों पर स्टील की खरीद करने के लिए विवश थे जो पश्चगामी एकीकृत (बैकवर्ड इंटेग्रेडिड) हैं।

धधध) घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के बारे में कि वह पाटित आयातों के कारण कोई पुष्टि किया गया आदेश प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह कोविड-19 महामारी के कारण है और नीचे बहुत से अन्य कारकों का उल्लेख किया गया है:

i. अंतिम प्रयोक्ताओं/क्रय कर्ताओं से उत्पाद की स्वीकृति की कमी जिसने घरेलू उद्योग की बिक्रियों और कीमतों में कमी की है;

ii. घरेलू उद्योग द्वारा निम्न कीमतों पर निम्न ग्रेड के सामान की बिक्रिया;

iii. संयंत्र के आयोजना स्तर और आरंभ होने के समय से और नए क्षमता परिवर्धन के बीच बाजार स्थितियों में परिवर्तन;

iv. भारी छूटों के साथ जुड़े बढ़े हुए विपणन व्यय।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

68. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क) चूंकि, घरेलू उद्योग ने हाल ही में अपना व्यावसायिक उत्पादन आरंभ किया है, यह उत्पादन की उदीयमान स्थिति पर है और इसलिए इसे एक स्थापित उद्योग नहीं माना जा सकता।

ख) उद्योग की स्थापना के लिए वास्तविक मंदी का विश्लेषण होना चाहिए।

ग) वास्तविक मंदी मानदंड को लागू करने के लिए, उद्योग को अस्थापित होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि कोई उद्योग तभी अस्थापित उद्योग माना जाएगा जहां कोई उत्पादन आरंभ नहीं किया गया है।

घ) दो प्रकार के अस्थापित उद्योग हो सकते हैं: (क) कोई विकासशील उद्योग जिसने अभी व्यावसायिक उत्पादन आरंभ नहीं किया है किन्तु उत्पादन आरंभ करने के लिए व्यावसायिक प्रतिबद्धता की है; और (ख) कोई उदीयमान उद्योग जिसने व्यावसायिक उत्पादन आरंभ कर दिया है किंतु स्वयं को बाजार में स्थापित करना अभी बाकी है।

ड.) घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2019 में व्यावसायिक उत्पादन आरंभ किया था और इसे स्वयं को बाजार में स्थापित करना बाकी है।

च) यहां यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि पाटनरोधी समझौते, या सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 या पाटनरोधी नियमावली में 'अस्थापित उद्योगों' का कोई सीधा निर्धारित अर्थ नहीं है। यह जांच करने में कि क्या किसी उदीयमान उद्योग ने बाजार में स्वयं को स्थापित किया है या नहीं, प्राधिकारी कारकों की अधिकता की जांच करते हैं, जो मामला प्रति मामला भिन्न होते हैं।

छ) यह जांच करने में कि क्या कोई उदीयमान उद्योग स्थापित है या नहीं, निम्नलिखित को उचित भारांश दिया जाना चाहिए:-

I. समयावधि की कम अवधि जिसके लिए उद्योग प्रचालन में है;

ii. उत्पाद और घरेलू उद्योग का "नयापन" और इनकी हाल की प्रकृति;

iii. सीमित बाजार हिस्सा;

iv. सीमित क्षमता उपयोग;

v. नया निवेश;

vi. महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता आदि को दर्शाने वाली परियोजना रिपोर्ट/व्यवहार्यता अध्ययन।

सभी मापदंडों की सावधानी पूर्वक की गयी समीक्षा यह दर्शाएगी कि याचिकाकर्ता एक अस्थापित उद्योग है।

ज) क्षति अवधि में आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है हालांकि घरेलू उद्योग ने अपने संयंत्र स्थापित किए हैं और उत्पादन आरंभ कर दिया है।

झ) क्षति की अनुपस्थिति घरेलू उद्योग की स्थापित/अस्थापित स्थिति को निर्धारित करने का आधार नहीं बन सकती है। परियोजना स्व-वित्तपोषित है और यदि काल्पनिक लागत को जोड़ा जाना था, तो लाभप्रदता पैरामीटर एक पूरी तरह से अलग तस्वीर चित्रित करेगा

प्राधिकारी को यह नोट करना चाहिए स्थापित/अस्थापित के रूप में किसी उद्योग को श्रेणीबद्ध करना केवल क्षति के उचित स्तर को निर्धारित करने के प्रयोजन हेतू है।

ञ) चीन जन.गण., मलेशिया, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ[35] के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विनियर्ड इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग में, घरेलू उद्योग 26 महीनों के लिए प्रचालन में था, जबकि एफकेएम[36] में

[35] *ऊपर दी गई टिप्पणी 27*

[36] *ऊपर दी गई टिप्पणी 26*

घरेलू उद्योग 24 महीनों के लिए प्रचालन में था। प्राधिकारी ने दोनों स्थितियों में घरेलू उद्योग को अस्थापित माना था। वर्तमान जांच में, घरेलू उद्योग केवल 18 महीनों के लिए प्रचालन में रहा है।

ट) वास्तविक मंदी के निर्धारण के लिए मानदंड – जैसाकि सीपीवीसी – चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य[37] से रेजिन और चीन जन.गण.[38] से ओ-एसिड मामले में प्राधिकारी द्वारा अवलोकन किया गया था, वह वर्तमान जांच में भी उपस्थित हैं।

ठ) याचिकाकर्ता ने 4 वर्षों की पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान प्रचालन नहीं किया है और इसलिए न तो महत्वपूर्ण क्षति के आधार पर क्षति की जांच संभव है और न ही वास्तविक महत्वपूर्ण क्षति को स्थापित किया जा सकता है।

क) पीओआई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा की गई अधिकांश बिक्री खाद्य और पेय, चिकित्सा उपकरणों, निर्माण / वास्तुकला खंड में थी जहां आयात की सीमित उपस्थिति है। घरेलू उद्योग ऑटोमोटिव, होम, एंटरटेनमेंट और होम अप्लायंसेज मार्केट में काफी हद तक प्रवेश करने में सक्षम नहीं है जिसमें विषय देशों से आयात डंप किया जा रहा है।

ख) संबद्ध देशों से निर्यातकों के लिए भारत एक संकेन्द्रित बाजार रहा है और उन्होंने पीओआई में पाटन को और गहन किया है।

ख) आयातों की मात्रा बहुत अधिक है चाहे उत्पाद घरेलू रूप से उपलब्ध हैं और याचिकाकर्ता पूरी भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता रखता है।

---

[37] *चीन जन.गण और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "क्लोरीनेटिड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) रेजिन - चाहे उसे कम्पाउंड में संसाधित किया गया हो या नहीं" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम दिनांक 19 फरवरी, 2020.*

निम्नलिखित कारणों को संगत माना गया था:

i. भारत में मांग पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग के पास महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमता है।

ii. घरेलू उद्योग का निम्न क्षमता उपयोग।

iii. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नगण्य है।

iv. आवेदक ने वृहत वर्तमान और भविष्य की मांग का सामना करने के लिए नई क्षमताएं स्थापित की हैं किन्तु उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग के इष्टतम स्तरों तक पहुंचने में सक्षम नहीं है।

v. संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन जांच की अवधि के लिए महत्वपूर्ण है।

vi. संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत और क्षति रहित कीमत से उल्लेखनीय रूप से भिन्न हैं। चूंकि, घरेलू उद्योग के लिए एकमात्र प्रतिस्पर्धा आयात से है और घरेलू उद्योग देश में नया उत्पादक है, यह आयात कीमत है जो घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत कीमतों के लिए एकमात्र रूप से उत्तरदायी है।

[38] *चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ओ-एसिड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम, दिनांक 19 दिसंबर, 2017. प्राधिकारी ने निम्नानुसार नोट किया था:*

i. संबद्ध वस्तुओं के आयातों की जांच और घरेलू उद्योग का निष्पादन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन आरंभ किए जाने के बावजूद विचाराधीन उत्पाद के आयात महत्वपूर्ण हैं।

ii. आयात घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत और एनआईपी से उल्लेखनीय रूप से निम्न कीमत पर हैं, इसी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण कटौती हुई है।

iii. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग बाजार में उल्लेखनीय रूप से पाटित आयातों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए बार-बार किए गए प्रयासों के बावजूद घरेलू बाजार में अपने उत्पाद की बिक्री नहीं कर सका है। उस समय भी जब घरेलू उद्योग ने उत्पादन आरंभ किया था और नई सुविधाओं का उपयोग सीमित स्तर पर सृजित किया गया था, कुछ विशिष्ट स्तरों पर पहुंचने के बाद उत्पादन और क्षमता में महत्वपूर्ण गिरावट आई थी।

iv. उपभोक्ता चीन से पाटित माल की उपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग से क्रय करने के अनिच्छुक हैं। घरेलू उद्योग उल्लेखनीय वित्तीय हानियों, नकद हानि और निवेशों पर ऋणात्मक आय का सामना कर रहा है।

ग) संबद्ध देशों से आयात कीमत कटौती, कीमत ह्रास/न्यूनीकरण और कम कीमत पर बिक्री के रूप में घरेलू उद्योग पर कीमत प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं।

घ) संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत, जो कि एक मूल्यवर्धित उत्पाद है, सीआर स्टील की आयात कीमत की तुलना में निम्न है, जो संबद्ध वस्तुओं को बनाने के लिए एक आधार (सब्सट्रेट) है।

ड.) ईजी स्टील के लिए आवेदक को ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत की गई कीमत सीआर स्टील कीमतों की तुलना में समान या निम्न है। उपभोक्ताओं ने आयातित ईजी स्टील की कीमत को उद्धरित किया है और आवेदक को आयातित ईजी स्टील की कीमत के सदृश रहने को कहा है।

च. आर्थिक पैरामीटरों में सुधार निम्न या शून्य आधार प्रभाव के कारण है। प्राधिकारी ने सीपीवीसी – चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य[39] में समान स्थिति का सामना किया है।

छ. याचिकाकर्ता अनुमानित निष्पादन को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं और सिर्फ 5-15 प्रतिशत के क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहा है। पीओआई – पश्चात आंकड़े समान डाटा को प्रतिबिंबित करते हैं। घरेलू बिक्रियों ने कुल मांग में नगण्य हिस्सा (10-15 प्रतिशत) अधिग्रहित किया है। समान स्थिति "चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित"[40] "एन, एन –डाइसक्लोहिक्सिल कार्बोडाइमाइड (डीसीसी)" में विद्यमान हैं जिसमें इस तथ्य के बावजूद कि घरेलू उद्योग ने अपने पूर्वानुमानित स्तरों को लगभग प्राप्त कर लिया था, प्राधिकारी ने निष्कर्ष दिया था कि घरेलू उद्योग वास्तविक मंदी का सामना कर रहा था।

ज. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लाभप्रदता अनुमानित स्तरों से काफी निम्न हैं कि याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए उल्लेखनीय मांग है। वास्तविक मंदी के मामलों में, आर्थिक पैरामीटरों के सुधार की सीमित प्रासंगिकता है।

झ. घरेलू उद्योग ने पीओआई –पश्चात आंकड़े (जनवरी, 2021 से जून, 2021) प्रस्तुत किए हैं। पीओआई अवधि की तुलना में पीओआई –पश्चात अवधि में उत्पादन, बिक्रियों और लाभप्रदता के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन ने गिरावट दर्शायी है।

ठ. पीओआई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा की गई अधिकतर बिक्रियां खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों, चिकित्सा उपकरणों, निर्माण/आर्टिटेक्चर खंड में थीं जहां आयातों की उपस्थिति सीमित है। घरेलू उद्योग ऑटोमोटिव, घरेलू मनोरंजन और घरेलू उपकरणों के बाजार में प्रवेश करने में सक्षम नहीं था जहां संबद्ध देशों से आयात पाटित किए जा रहे हैं।

---

[39] *ऊपर प्राधिकारी ने निम्नानुसार नोट किया था:*

"जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। ***हालांकि, जांच की अवधि में संयंत्र को आरंभ करने के कारण यह स्वाभाविक था।***

[40] [40] *"क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां: प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की कुल क्षमता***कि.ग्रा. की है।* ***घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग पीओआई के दौरान ***प्रतिशत के पूर्वानुमानित स्तर के आसपास बना रहा है।***

*बाजार हिस्सा:****यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में व्यावसायिक उत्पादन के आरंभ होने के बाद वृद्धि होनी आरंभ हुई है।***

निष्कर्ष

किए गए अनुरोधों और उठाए गए मुद्दों की जांच किए जाने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष देते हैं कि:

क).....

ग) ऊपर उल्लिखित क्षति का प्रकटीकरण वास्तविक मंदी के रूप में है।"

ढ. केवल हानियों की अनुपस्थिति घरेलू उद्योग की स्थापित/अस्थापित स्थिति का निर्णय करने के आधार का निर्माण नहीं करती। परियोजना स्व-वित्त पोषित है और यदि सांकेतिक लागत को जोड़ा जाना होता तो, लाभप्रदत्ता का पैरामीटर एक पूरी तरह से पृथक चित्र प्रस्तुत करता।

ण. पूर्वानुमानित निष्पादन की तुलना में घरेलू उद्योग का वास्तविक निष्पादन वास्तविक मंदी के मामले में प्रासंगिक है। पूर्वानुमानित निष्पादन के साथ वास्तविक निष्पादन की तुलना दर्शाती है कि घरेलू उद्योग अनुमानों के अनुसार निष्पादन करने में सक्षम नहीं है।

त. पूर्व धारणाओं के आधार पर अनुमानों का आकलन कि आवेदक एक क्षतिरहित/उचित कीमत पर संबंधित उत्पाद की बिक्री करने में सक्षम होगा, यह दर्शाता है कि पीओआई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित लाभ में 100-120 प्रतिशत की कमी आयी है।

थ. पीओआई के दौरान वास्तविक उत्पादन मात्रा में परियोजना रिपोर्टें में अपेक्षित उत्पादन की तुलना में 275-325 प्रतिशत की गिरावट आई है।

द. पीओआई के दौरान अर्जित वास्तविक लाभों में अनुमानित लाभों की तुलना में 550-600 प्रतिशत की कमी आई है।

ध. घरेलू उद्योग के वार्षिक उत्पादन पर कोविड-19 लॉकडाउन का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव दिखायी नहीं देता। तिमाही-वार डाटा का विश्लेषण यह प्रकट करता है कि कोविड-19 के कारण याचिकाकर्ता के कारोबार का कोई महत्वपूर्ण विघटन नहीं हुआ है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

69. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन किसी उद्योग की स्थापना के लिए वास्तविक मंदी के संबंध में है न कि वास्तविक क्षति के संबंध में। क्षति विश्लेषण के बारे में आगे बढ़ने से पूर्व "किसी उद्योग की स्थापना के लिए वास्तविक मंदी" की संकल्पना के संबंध में विशिष्ट कानूनी पहलुओं का उल्लेख करने की जरूरत है।

छ.3.1 किसी उद्योग की स्थापना के लिए वास्तविक मंदी

70. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में कि जांच शुरुआत अधिसूचना में उस आधार को सम्मिलित किया गया है जिस पर घरेलू उद्योग को "अस्थापित" माना गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों के नियम 6(1) में ऐसा कुछ भी शामिल नहीं है जो प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की स्थापित/अस्थापित स्थिति के संबंध में कारणों को प्रकट करने के लिए बाधित करे।

71. प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध को नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग एक स्थापित उद्योग है और इसीलिए, वास्तविक मंदी का कोई मामला नहीं बनता। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो एडी समझौते और न ही पाटनरोधी नियमावली में "वासतविक मंदी" की कोई परिभाषा दी गई है। समझौते के साथ ही नियमावली में इसका सिर्फ क्षति के तीन प्रकारों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है जिसका घरेलू उद्योग पाटित आयातों के परिणामस्वरूप सामना कर सकता है और वास्तविक मंदी के मूल्यांकन के संबंध में कोई और मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

72. अन्य हितबद्ध पक्षकारों, साथ ही घरेलू उद्योग ने वास्तविक मंदी से संबंधित अन्य सामग्री साथ ही प्राधिकारी द्वारा आयोजित वास्तविक मंदी को शामिल करने वाली विभिन्न पिछली जांचों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी द्वारा ऐसे अनुरोधों पर ऐसी सीमा तक विचार किया गया है जहां तक वे वर्तमान जांच के लिए संगत हैं।

73. मोरोक्को –एचआरसी(टर्की) में डब्ल्यूटीओ पैनल रिपोर्ट के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पैनल ने न तो वास्तविक मंदी के मूल्यांकन के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया है न ही इसने मोरोक्कन जांच प्राधिकारियों द्वारा तैयार मानदंड की समग्रता में उपयुक्तता की पुष्टि की है, बल्कि इसकी बजाय मोरोक्कन पाटनरोधी प्राधिकारियों द्वारा किए गए मूल्यांकन की उपयुक्तता का विश्लेषण किया है। पैनल ने इस संबंध में कोई निर्देशन उपलब्ध नहीं कराया है कि राष्ट्रीय जांचकर्ता प्राधिकारियों को एक उदीयमान उद्योग को कैसे परिभाषित करना चाहिए और ऐसे मूल्यांकन के लिए किसी उचित पद्धति का प्रयोग करने के लिए इसे राष्ट्रीय जांचकर्ता

प्राधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है बशर्ते कि यह उद्देश्यपरक तथ्यों और सकारात्मक साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए।

74. प्राधिकारी वास्तविक मंदी के संबंध में पाटनरोधी करार के संशोधन के संबंध में डब्ल्यूटीओ वार्ता समूह के प्रस्ताव में निर्धारित किए गए पैरामीटरों को नोट करते हैं। हालांकि, प्रस्ताव का कोई कानूनी मूल्य नहीं है, प्राधिकारी ने, पिछली जांचों[41] में दिए गए अनुसार यह मूल्यांकन करने में कि क्या घरेलू उद्योग उदीयमान/शुरुआती अवस्था में है या एक स्थापित उद्योग है, अन्य कारकों के मध्य इन कारकों से मार्गदर्शन लिया है।

75. उत्तर उल्लिखित अनुरोधों के अध्ययन के पश्चात, प्राधिकारी धारित करते हैं कि किसी उद्योग की वास्तविक मंदी के संबंध में कोई मूल्यांकन ऐसे मामलों में किया जा सकता है जिनमें घरेलू उद्योग ने स्वयं को बाजार में स्थापित नहीं किया है और एक उचित समय अवधि के लिए व्यावसायिक प्रचालन में नहीं है या जिनमें उक्त उद्योग ने अभी उत्पादन आरंभ नहीं किया है, किन्तु समान उत्पाद के उत्पादन के लिए संसाधनों की एक उचित और पर्याप्त प्रतिबद्धता की गई है जिसे आयात करने वाले देश के क्षेत्र में पहले कभी उत्पादित नहीं किया गया है। अत:, ऐसे उद्योगों को निम्नलिखित प्रकारों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है:

i. शुरुआती अवस्था में उद्योग: कोई उद्योग जिसने अभी व्यावसायिक उत्पादन आरंभ नहीं किया है किंतु उत्पादन आरंभ करने के लिए पर्याप्त प्रतिबद्धता की गई है;

ii. उदीयमान उद्योग: कोई उद्योग जिसने हालांकि व्यावसायिक उत्पादन आरंभ कर दिया है किन्तु उचित समयावधि के लिए व्यावसायिक प्रचालन में नहीं है और अभी बाजार में अपनी व्यावसायिक उपस्थिति स्थापित करनी है।

छ.3.2 वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए वास्तविक मंदी

76. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए कि क्या आवेदक एक नया उद्योग है या एक विद्यमान उद्योग है, जो अपने विद्यमान बुनियादी ढांचे, विपणन चैनलों और उपभोक्ता आधार से लाभ प्राप्त कर रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने वालसाड, गुजरात में नए निवेश प्राप्त करने के द्वारा ईजी स्टील ने एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित की है। आवेदक द्वारा जुलाई, 2019 में उत्पादन आरंभ करने से पूर्व, भारत में ईजी स्टील का उत्पादन नहीं होता था और किसी अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अन्यथा रूप से दावा नहीं किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग एक स्थापित उद्योग है या अस्थापित उद्योग, प्राधिकारी ने निम्नलिखित कारकों की जांच की है:-

क) घरेलू उद्योग ने अपना उत्पादन कम आरंभ किया?

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने केवल जुलाई, 2019 में ही संबद्ध वस्तुओं का व्यावसायिक उत्पादन आरंभ किया था। संबद्ध वस्तु का उत्पादन पीओआई से केवल कुछ महीने पहले ही आरंभ हुआ और भारत में संबद्ध वस्तु का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है। यह नोट किया गया कि हालांकि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन आरंभ हो चुका है, पर उत्पादन पर्याप्त व्यावसायिक मात्रा तक नहीं पहुंचा है। घरेलू उद्योग के वास्तविक और अनुमानित उत्पादन आंकड़े दर्शाते हैं कि पीओआई में वास्तविक उत्पादन आंकड़ों ने अनुमानित आंकड़ों के पांचवे हिस्से को भी प्राप्त नहीं किया है, जो दर्शाता है कि उनकी अनुमानित व्यावसायिक उपस्थिति प्रभावित हुई है।

ख) समग्र रूप में घरेलू बाजार के आकार की तुलना में उत्पादन का आकार

78. आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र भारतीय उत्पादक है। तथापि, पीओआई के दौरान आवेदक का बाजार हिस्सा 5-15 प्रतिशत की रेंज में है और संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा 70-80 प्रतिशत के रेंज में है। संबद्ध देशों से आयात भारत में संबद्ध वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन के 5 गुणा से अधिक है।

---

[41] *ऊपर दी गई टिप्पणी 21,23 और 26*

ग) उत्पादन और क्षमता उपयोग की स्थिरता

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का उत्पादन जुलाई, 2019 में आरंभ हुआ था और तिमाही से तिमाही आधार पर उत्पादन आंकड़े पीओआई के दौरान वृद्धिकारी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। हालांकि उत्पादन में वृद्धि हुई है, तिमाही से तिमाही आधार पर क्षमता उपयोग *** प्रतिशत के अनुमानित निष्पादन की तुलना में *** प्रतिशत की रेंज में हैं। यह टिप्पणी करते हुए अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कुछ अनुरोध किए गए हैं कि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग और उत्पादन संबंधी आंकड़े घरेलू उद्योग की अस्थापित पदवी को निर्धारित करने की एकमात्र आधार नहीं हो सकते। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य रूप से यह आशा की जाती है कि कोई उद्योग, जिसने अभी हाल ही में अपना उत्पादन आरंभ किया है, क्रमिक रूप से अपने क्षमता उपयोग और परिणामस्वरूप अपने उत्पादन स्तर में वृद्धि करेगा। तथापि, तत्काल मामले में, पीओआई पश्चात आंकड़े प्रकट करते हैं कि क्षमता उपयोग साथ ही उत्पादन संबंधी आंकड़ों में वास्तव में गिरावट आई है।

80. प्राधिकारी ने ऊपर विचार विमर्श की गई वास्तविक मंदी से संबंधित कानूनी स्थिति के आधार पर क्षति विश्लेषण किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग पिछले तीन वर्षों के लिए क्षति संबंधी मानदंडों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि यह बहुत कम समय से अस्तित्व में हैं। घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2019 से मार्च, 2019 की अवधि के लिए क्षति संबंधी मानदंड और पीओआई और पीओआई-पश्चात अवधि के लिए तिमाही-वार क्षति संबंधी पैरामीटर उपलब्ध कराए हैं।

81. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच करने और यह मूल्यांकन करने के लिए परियोजना रिपोर्ट में किए अनुमानों के साथ इसकी तुलना करने का अनुरोध किया है कि क्या घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए वास्तविक मंदी है या नहीं।

82. प्राधिकारी ने बहुत से हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर और अपने लगातार अभ्यास के अनुरूप घरेलू उद्योग के पीओआई –पश्चात आंकड़ों की भी जांच की है।

मांग का मूल्यांकन

83. प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादक की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत का निर्धारण किया है। इस प्रकार आकलित की गई मांग नीचे तालिका में दी गई है:-

विवरण(मात्रा मी.टन में)	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**पीओआई (जनवरी 2020 से दिसंबर 2020)**
कोरिया गणराज्य से आयात	44,515	58,789	69,486	62,663
प्रवृत्ति	100	132	156	141
जापान से आयात	67,907	88,442	80,333	71,734
प्रवृत्ति	100	130	118	106
सिंगापुर से आयात	5,313	26,045	20,157	10,964
प्रवृत्ति	100	490	379	206
संबद्ध देशों से कुल आयात	**1,17,735**	**1,73,276**	**1,69,976**	**1,45,360**
प्रवृत्ति	100	147	144	123
अन्य देशों से आयात	27,494	46,698	35,388	19,216
प्रवृत्ति	100	170	129	70
कुल आयात	**1,45,229**	**2,19,974**	**2,05,364**	**1,64,576**

विवरण(मात्रा मी.टन में)	2017-18	2018-19	2019-20	पीओआई (जनवरी 2020 से दिसंबर 2020)
प्रवृत्ति	100	151	141	113
घरेलू बिक्रियां	-	-	***	***
प्रवृत्ति	-	-	100	283
मांग/स्पष्ट खपत	**1,45,229**	**2,19,974**	***	***
प्रवृत्ति	100	151	148	132
के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा				
- मांग	81%	79%	***	***
मांग का दायरा	80-90	70-80	70-80	70-80
- कुल आयात	81%	79%	83%	88%
कुल आयातों का दायरा	80-90	70-80	80-90	80-90
- घरेलू बिक्रियां/उत्पादन	-	-	***	***
घरेलू बिक्रियां/उत्पादन का दायरा	-	-	1700-1800	500-600

84. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

i. आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में कुल रूप में संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है।

ii. संबद्ध देशों से आयातों ने पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा व्यावसायिक प्रचालनों को आरंभ करने के बाद भी भारतीय मांग (70-80 प्रतिशत) के महत्वपूर्ण भाग को अधिकृत करना जारी रखा है,

iii. पीओआई के दौरान भारत में कुल आयातों के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों ने प्रमुख हिस्से को (80-90 प्रतिशत) अधिकृत कर रखा है।

iv. संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा पीओआई के दौरान घरेलू बिक्रियों/उत्पादन के 5 गुणा से अधिक है।

समग्र आकलन

85. डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3, पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 और अनुबंध-II (iii) में यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अधिक देश से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों के अध्यधीन साथ-साथ रखे जा रहे हों, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे, यदि वह निर्धारित करता है कि:

क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन 2 प्रतिशत से अधिक निर्यात की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का 3 प्रतिशत (अथवा अधिक) है अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है, आयात सार्वजनिक रूप से समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक के लिए होता है, और

ख. आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और आयातित उत्पादों तथा समान घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयात के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन सही है।

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन निर्धारित सीमाओं से अधिक है। प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है।

87. आयातों के प्रभाव की संचयी आकलन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई संबद्ध वस्तु के साथ समान व्यावसायिक स्थितियों के तहत तुलनीय बिक्री सरणी के जरिए सीधे भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।

88. इसलिए, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संचित रूप से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का आकलन किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयात घरेलू बाजार में विक्रय किए गए माल के समान हैं। विभिन्न देशों से पाटित आयात एक साथ भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

89. पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष या निरपेक्ष संदर्भ में पाटित आयातों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन से, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त सौदा-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा और पाटित आयातों का अंश इस प्रकार है:

विवरण	**इकाई**	**जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019**	**अक्तूबर, 2019 से सितंबर, 2019**	**जांच की अवधि – तिमाही**				**जांच की अवधि**
				जनवरी, 2020 से मार्च, 2020	**अप्रैल, 2020 से जून, 2020**	**जुलाई, 2020 से सितंबर, 2020**	**अक्तूबर, 2020 से दिसंबर, 2020**	**जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2020**
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	113	208	239	369	374	
संबद्ध देशों से आयात	मी.टन	46,866	30,506	39,502	38,443	23,420	43,995	1,45,360
	सूचीबद्ध	100	65	84	82	50	94	
अन्य देशों से आयात	मी.टन	12,043	6,797	4,727	5,831	3,570	5,088	19,216
	सूचीबद्ध	100	56	39	48	30	42	
मांग (मी.टन)	मी.टन	***	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	**100**	**65**	**80**	**81**	**58**	**94**	
बाजार अंश								
याचिकाकर्ता	%	4%	6%	10%	11%	24%	15%	14%

विवरण	इकाई	जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019	अक्तूबर, 2019 से सितंबर, 2019	जांच की अवधि – तिमाही				जांच की अवधि
				जनवरी, 2020 से मार्च, 2020	अप्रैल, 2020 से जून, 2020	जुलाई, 2020 से सितंबर, 2020	अक्तूबर, 2020 से दिसंबर, 2020	जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2020
का अंश	सूचीबद्ध	100	173	260	294	639	398	
संबद्ध देशों का आंश	%	***	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	105	101	86	100	
अन्य देशों का अंश	%	***	***	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	87	49	60	51	45	

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा महत्वपूर्ण है और यह भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग की करीब 70-80 प्रतिशत पूर्ति करती है।

91. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा पूरी जांच अवधि के दौरान पर्याप्त रही। जिस समय के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन शुरु हुआ, संबद्ध देशों से आयात कुल भारतीय मांग का 70-80 प्रतिशत थे और यहां तक कि जांच की अवधि के दौरान भी वही रेंज रही।

पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

92. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, नियमावली के अनुबंध II (ii) के अनुसार, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से एक महत्वपूर्ण कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों को अन्यथा मंद करने के लिए है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा में हो गई होती। इस संबंध में, प्राधिकारी ने पाटित आयातों के कारण से कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत ह्रास/कीमत मंदी की जांच की है।

क) कीमत कटौती

93. कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए, उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत, समान स्तर के व्यापार में सभी निवल छूटों और करों के बीच एक तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों को कारखाना बाह्य स्तरों पर निर्धारित किया गया है।

कीमत कटौती	मुद्रा	कोरिया गणराज्य	जापान	सिंगापुर	संबद्ध देश
पहुंच मूल्य	रु./मी.टन	49,295	49,851	42,998	49,095
घरेलू बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./मी.टन	***	***	***	***
पहुंच मूल्य के प्रतिशत के रूप में कीमत कटौती	**%**	***	***	***	***
प्रवृत्ति	**रेंज**	**15-25**	**15-25**	**30-40**	**15-25**

94. उपरोक्त तालिका से, यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी कटौती कर रहे हैं |

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

95. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव, कीमतों को एक महत्वपूर्ण मात्रा में मंद करने अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा हो गई होती, लागतों और कीमतों की पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है।

कीमत मंदी/ ह्रास	**इकाई**	**जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019**	**अक्तूबर, 2019 से सितंबर, 2019**	**जांच की अवधि – तिमाही**				**जांच की अवधि**
				जनवरी, 2020 से मार्च, 2020	**अप्रैल, 2020 से जून, 2020**	**जुलाई, 2020 से सितंबर, 2020**	**अक्तूबर 2020 से दिसंबर, 20200**	**जनवरी, 2020 से दिसंबर 2020**
बिक्रियों की लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	89	88	94	101	94
बिक्री कीमत (निवल)	रु./मी.टन	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	93	90	97	107	98
पहुंच कीमत	रु./मी.टन	44,676	49812	47,293	50,293	49,276	49,568	49,095
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	106	113	110	111	110

96. उपरोक्त तालिका से, यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि की प्रत्येक तिमाही के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत से कम है।

ग) कम कीमत पर बिक्री

97. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान आयातों के एनआईपी और पहुंच कीमत की तुलना करके कम कीमत की बिक्री निर्धारित की है।

देश	**इकाई**	**कोरिया गणराज्य**	**जापान**	**सिंगापुर**	**संबद्ध देश**
एनआईपी	रु./मी.टन	***	***	***	***
पहुंच कीमत	रु./मी.टन	49,295	49,851	43,009	49,095
कम कीमत पर बिक्री	रु./मी.टन	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	**%**	***	***	***	***
	रेंज	**नकारात्मक**	**नकारात्मक**	**10-20**	**नकारात्मक**

98. यह देखा गया है कि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत/उचित कीमत से अधिक है, जिसके कारण जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक रूप से कम कीमत पर बिक्री हो रही है। यह भी नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग की वास्तविक बिक्री कीमत घरेलू उद्योग के लिए गैर क्षतिकारी कीमत/उचित कीमत से काफी अधिक है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

99. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; ऐसे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं, जिनका वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

100. क्षमता उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन इस प्रकार है:

विवरण	**इकाई**	**जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019**	**अक्तूबर, 2019 से सितंबर, 2019**	**जांच की अवधि – तिमाही**				**जांच की अवधि**
				जनवरी, 2020 से मार्च, 2020	**अप्रैल, 2020 से जून, 2020**	**जुलाई 2020 से सितंबर, 2020**	**अक्तूबर 2020 से दिसंबर 2020**	**जनवरी, 2020 से मार्च, 2020**
संस्थापित क्षमता	मी.टन	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100	100	100	
कुल उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	208	239	369	374	
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	208	239	369	374	
घरेलू बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	208	239	369	374	

101. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है और उसने जुलाई 2019 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया है। तद्नुसार, याचिकाकर्ता के उत्पादन और क्षमता उपयोग में जांच की अवधि की विभिन्न तिमाहियों के दौरान एक वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई गई है।

102. तथापि, याचिकाकर्ता का उत्पादन और क्षमता उपयोग भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग को ध्यान में रखते हुए काफी कम रहा है। याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तुओं की काफी मांग होने के बावजूद, जांच की अवधि के दौरान केवल 5-15 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहा है।

ख) लाभप्रदता

103. घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री से घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ इस प्रकार है:

लाभ/(हानि हानि)	????	जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019	अक्तूबर, 2019 से दिसंबर, 2019	जांच की अवधि – तिमाही				जांच की अवधि
				जनवरी, 2020 से मार्च, 2020	अप्रैल, 2020 से जून, 2020	जुलाई 2020 से सितंबर 2020	अक्तूबर 2020 से दिसंबर 2020	जनवरी, 2020 से दिसंबर 2020
लाभ/(हानि) प्रति इकाई	रु./मी.टन	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	168	135	154	224	
लाभ/(हानि) प्रति इकाई	लाख रु.	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	350	323	568	840	

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री पर लाभ अर्जित करने में समर्थ रहा है।

ग) नकदी लाभ

105. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित किया गया नकदी लाभ इस प्रकार है:-

नकदी लाभ	इकाई	जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019	अक्तूबर, 2019 से दिसंबर, 2019	जांच की अवधि – तिमाही				जांच की अवधि
				जनवरी, 2020 से मार्च, 2020	अप्रैल, 2020 से जून 2020	जुलाई 2020 से सितंबर, 2020	अक्तूबर, 2020 से दिसंबर, 2020	जनवरी 2020 से दिसंबर 2020
नकदी लाभ	रु. लाख में	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	181	180	302	399	
नकदी लाभ/मी.टन	रु./मी.टन	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	87	75	82	106	

106. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री पर नकदी लाभ अर्जित करने में समर्थ रहा है।

घ) नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) और निवेशों को जुटाने की क्षमता

107. याचिकाकर्ता की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल इस प्रकार है:

आरओसीई	इकाई	जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019	अक्तूबर, 2019 से दिसंबर, 2019	जांच की अवधि – तिमाही				जांच की अवधि
				जनवरी, 2020 से मार्च, 2020	अप्रैल, 2020 से जून 2020	जुलाई 2020 से सितंबर 2020	अक्तूबर 2020 से दिसंबर 2020	जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2020

आरओसीई	इकाई	जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019	अक्तूबर, 2019 से दिसंबर, 2019	जांच की अवधि – तिमाही				जांच की अवधि
				जनवरी, 2020 से मार्च, 2020	अप्रैल, 2020 से जून 2020	जुलाई 2020 से सितंबर 2020	अक्तूबर 2020 से दिसंबर 2020	जनवरी, 2020 से दिसंबर, 2020
पीबीआईटी	लाख रु. में	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	204	197	338	469	
पीबीआईटी	रु./मी.टन	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	98	83	91	125	
आरओसीई	%	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	173	155	181	231	

108. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री पर नियोजित पूंजी पर सकारात्मक प्रतिफल अर्जित करने में समर्थ रहा है।

ड.) वस्तु सूचियां

109. प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता निश्चित आवेदनों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करता है और संबद्ध वस्तुओं की कोई वस्तुसूची नहीं रखता।

च) उत्पादकता

110. कर्मचारियों की संख्या और प्रति कर्मचारी उत्पादकता इस प्रकार है:-

उत्पादकता	इकाई	जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019	अक्तूबर, 2019 से दिसंबर, 2019	जांच की अवधि – तिमाही				जांच की अवधि
				जनवरी, 2020 से मार्च, 2020	अप्रैल, 2020 से जून 2020	जुलाई 2020 से सितंबर 2020	अक्तूबर 2020 से दिसंबर 2020	जनवरी, 2020 से दिसंबर 2020
नामावली पर कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100	100	100	
उत्पादन/कर्मचारी	मी.टन	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	208	239	370	375	

111. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रति कर्मचारी उत्पादन में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

वास्तविक निष्पादन की अनुमानित निष्पादन के साथ तुलना

112. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वास्तविक निष्पादन और वास्तविक क्षति वाले मामलों में घरेलू उद्योग के अनुमानित निष्पादन के साथ तुलना करने की प्राधिकारी की एक सतत

प्रक्रिया है। नीचे दी गई तालिका वास्तविक निष्पादन की, इसकी परियोजना रिपोर्ट के अनुसार घरेलू उद्योग के अनुमानित निष्पादन के साथ तुलना को दर्शाती है।

विवरण	यूओएम	वास्तविक निष्पादन	अनुमानित निष्पादन
क्षमता	मी.टन	***	***
क्षमता उपयोग	%	***	***
उत्पादन	मी.टन	***	***
उत्पादन में कमी	मी.टन	***	-
उत्पादन में कमी	%	***	-
प्रवृत्ति		275-325	
लाभ	लाख रुपए में	***	***
लाभ में कमी	लाख रुपए में	***	-
लाभ में कमी	%	*** 550-600	-

113. अनुमानित निष्पादन की तुलना में वास्तविक निष्पादन की तुलना के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं :

i. जांच की अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन की मात्रा, परियोजना रिपोर्ट में संभावित उत्पादन की तुलना में 175-225 प्रतिशत तक कम है।

ii. जांच की अवधि के दौरान अर्जित वास्तविक लाभ, परियोजना रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित लाभों की तुलना में 350-400 प्रतिशत तक कम है।

जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का विश्लेषण

114. कई हितबद्ध पक्षकारों ने सुनवाई के दौरान और उनके लिखित अनुरोधों में एक सामान्य मामला उठाया है कि घरेलू उद्योग के जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए क्योंकि वर्तमान मामला वास्तविक क्षति का मामला है।

115. अत: प्राधिकारी ने अपनी सतत प्रक्रिया के अनुसार जनवरी, 2021 से जून 2021 तक के, घरेलू उद्योग के जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का विश्लेषण करने का निर्णय लिया है। जांच की अवधि के बाद के आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं-

विवरण	इकाई	जांच की अवधि –तिमाही				जांच की अवधि के बाद तिमाही	
		जनवरी, 2020 से मार्च, 2020	अप्रैल, 2020 से जून 2020	जुलाई 2020 से सितंबर 2020	अक्तूबर 2020 से दिसंबर 2020	जनवरी, 2021 से मार्च 2021	अप्रैल 2021 से जून 2021

उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	115	178	180	138	64
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	115	178	180	138	64
बिक्रिया	मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	115	178	180	138	64
पीबीटी प्रति इकाई	रु./मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	81	92	133	62	(33)
पीबीटी प्रति इकाई	रु./मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	84	93	127	70	4
आरओसीई	%	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	89	105	133	72	2

116. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, क्षमता उपयोग, पीबीटी, पीबीआईटी, और आरओसीई में जांच की अवधि की तुलना में जांच की अवधि के बाद की अवधि में गिरावट आई है।

117. याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तुओं की एक महत्वपूर्ण मांग होने के बावजूद जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान केवल 0-10 प्रतिशत के क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहा है।

ज. क्षति मार्जिन की मात्रा

118. प्राधिकारी ने यथा संशोधित नियमावली के अनुबंध-III के साथ पठित नियम में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित की है। उत्पाद की घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पादन की लागत के संबंध में सूचना/आंकड़ों को स्वीकार करके और जांच की अवधि के लिए पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित कराकर विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत के साथ एनआईपी की तुलना की गई है। एनआईपी के निर्धारण के लिए कच्ची सामग्रियों व यूटिलिटी के सर्वोत्तम तिमाही उपयोग और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम तिमाही उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण अथवा गैर-आवर्ती व्ययों तथा/अथवा परिसंपत्तियों को उत्पादन और/अथवा एनआईपी की लागत से बाहर किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के नियोजित औसत पूंजी (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां व औसत कार्यशील पूंजी) पर एक तर्कसंगत प्रतिफल (22 प्रतिशत की दर पर प्री-टेक्स) के लिए ब्याज, कारपोरेट कर तथा लाभ को अनुमत किया गया है, ताकि नियमावली के अनुबंध-III में विनिर्दिष्ट एनआई निकाली जा सके।

119. उपरोक्त पहुंच कीमत और निर्धारित एनआई के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन, जो प्राधिकारी द्वारा यथा-निर्धारित है, नीचे तालिका में दिया गया है:-

उत्पादक/निर्यातक	**एनआईपी (रु./मी.टन)**	**पहुंच मूल्य (रु./मी.टन)**	**क्षति मार्जिन (रु./मी.टन)**	**क्षति मार्जिन %**	**रेंज**
कोरिया गणराज्य					
पोस्को ग्रुप	***	***	***	***	नकारात्मक

डोंगकुक स्टील मिल कं. लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
हुंडई स्टील कंपनी	***	***	***	***	नकारात्मक
डीके डोंगशिन कं. लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
सभी अन्य	***	***	***	***	0-10
जापान					
निप्पो स्टील कारपोरेशन	***	***	***	***	नकारात्मक
सभी अन्य	***	***	***	***	10-20
सिंगापुर					
कोई अन्य उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	10-20

झ. गैर-आरोपण विश्लेषण

120. नियमों के अनुसार, प्राधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों के अलावा किसी ज्ञात कारक की जांच करना आवश्यक है, जो साथ ही साथ घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों के कारण से हुई क्षति के लिए पाटित आयात जिम्मेदार नहीं हों। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य के साथ-साथ शामिल हैं, पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं तथा उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में बदलाव और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता। नीचे यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों का क्षति के लिए योगदान हो सकता है, जिसके कारण घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक क्षति हुई है:

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

121. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के अलावा अन्य स्रोतों से संबद्ध वस्तुओं के आयात या तो न्यूनतम से कम स्तर पर है या अपाटित/गैर क्षतिकारी हैं।

ख) मांग में संकुचन

122. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है |

ग) खपत की पद्धति में परिवर्तन

123. विचाराधीन उत्पाद की खपत की पद्धति में कोई ज्ञात वास्तविक बदलाव नहीं आया है |

घ) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

124. संबद्ध वस्तुओं के आयात किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं हैं और देश में आसानी से आयात किए जा सकते हैं।

ड) प्रौद्योगिकी में बदलाव

125. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।

च) निर्यात निष्पादन

126. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है |

छ) उत्पादकता

127. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान सुधार आया है।

ञ. भारतीय उद्योग के हित, लोक हित एवं अन्य मामले

ञ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

128. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

क) वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क लगाना लोक हित के खिलाफ होगा। घरेलू उद्योग पहले से ही अच्छा निष्पादन कर रहा है और इसीलिए पाटनरोधी शुल्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है।

ख) मांग आपूर्ति में काफी अंतर है और लगभग समग्र मांग आयातों के ज़रिए पूरी की जा रही है।

ग) पाटनरोधी शुल्क लगाने से याचिकाकर्ता के एकाधिकार की स्थापना होगी।

घ) पाटनरोधी शुल्क लगाने से न केवल प्रयोक्ता उद्योग की लागत में वृद्धि होगी, अन्तिम प्रयोक्ता के प्रभाव पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए अनिवार्य उत्पाद, जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर की लागत बढ़ेगी।

ड.) प्राथमिक कच्ची सामग्री सीआर स्टील की कीमत नवंबर , 2019 से बढ़ रही हैं और पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयातों की कीमतों में और भी वृद्धि होगी।

च) भारत सरकार ने मेटल की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में प्राधिकारी द्वारा एक सकारात्मक सिफारिश किए जाने के बावजूद लोक हित में सीमा शुल्क[42] समाप्त किया है और कई स्टील उत्पादों[43] पर पाटनरोधी/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को बंद किया है।

छ) प्राधिकारी से अनुरोध है कि प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा दाखिल किए गए उत्तरों के आधार पर प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का आकलन करें।

ज) भारत सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग के लाभ और संवर्धन के लिए कई नीतियां शुरु की हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

क. घरेलू खरीद नीति

ख. इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)

ग. गुणवत्ता नियंत्रण आदेश तथा अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण

घ. इस्पात स्क्रेप रिसाइकल नीति

ड. पीएलआई योजना

झ) इसके अलावा, यदि आवेदक आयात प्रतिस्पर्धा के बारे में चिंतित है, तो उसे एफटीए के रूप में बुनियादी सीमा शुल्क न लगाए जाने के कारण इसका सामना करना पड़ रहा है और तब, आवेदक को रक्षात्मक उपायों के तहत राहत प्राप्त करनी चाहिए।

ञ) यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं तो यह संदर्भ कीमत के आधार पर होना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि संदर्भ कीमत के समान अथवा उससे अधिक कीमत पर किए गए आयातों से पाटनरोधी शुल्क आवश्यक नहीं होगा और साथ ही घरेलू उद्योग को संरक्षण प्राप्त होगा।

ट) चूंकि क्षति संबंधी सूचना केवल 18 माह की अवधि से संबंधित है, प्राधिकारी 2.5 वर्षों – 3.5 वर्षों तक की कम समय अवधि के लिए शुल्क की सिफारिश कर सकते हैं, अत: प्राधिकारी याचिकाकर्ता की 4 वर्षों

---

[42] अलॉय स्टील के स्ट्रेटलेंथ बार और रॉड, नान-कोबाल्ट ग्रेड के हाई स्पीड स्टील, स्टील के फ्लेट रोल्ड उत्पाद, एल्युमीनियम या जिंक के अलॉय के साथ प्लेटेड या कोटेड तथा कतिपय होट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लेट उत्पाद।

[43] स्टेनलेस स्टील, होट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड उत्पाद

की क्षति सूचना के आधार पर एक समीक्षा करने की स्थिति में होंगे। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से ओ-एसिड[44] के मामले में ऐसा किया था।

अ.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

129. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क) यह अनुरोध किया जाता है कि भारत से प्रयोक्ता उद्योग और असंगत आयातकों की न्यूनतम भागीदारी रही है, जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि प्रयोक्ता और डाउनस्ट्रीम उद्योग पाटनरोधी शुल्क लगाने का विरोध नहीं करते।

ख) लोक हित के मामलों का समाधान करते हुए, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के हित को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिसने भारत में निर्माण इकाई लगाकर काफी निवेश किया है और लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं।

ग) शुल्क के संदर्भ कीमत रूप के संबंध में अनुरोध, प्रयोक्ता उद्योग द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा किया गया है और इसीलिए, इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।

घ) कच्ची सामग्री, सीआर स्टील की कीमत में जांच की अवधि के बाद वृद्धि हुई है और इसलिए शुल्क का संदर्भ कीमत रूप अप्रभावी होगा।

ड) कम अवधि के लिए लगाया गया शुल्क घरेलू उद्योग के समक्ष वास्तविक क्षति का समाधान करने में प्रभावी नहीं होगा।

च) पांच वर्षों की अवधि के लिए शुल्क लगाने की सिफारिश करना प्राधिकारी की प्रक्रिया रही है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस प्रथा को बदलने के लिए कोई उचित कारण नहीं दिए गए हैं।

छ) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर बुनियादी सीमा शुल्क 0 प्रतिशत है, जो संबंधित एफटीए के तहत संबद्ध देशों के साथ है। अत: आवेदक के लिए आयातों पर कोई सीमा शुल्क संरक्षण उपलब्ध नहीं है।

ज) भारत सरकार द्वारा संचालित घरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने की योजनाओं के संबंध में, निम्नलिखित अनुरोध किए जाते हैं:-

क. सरकारी परियोजनाओं के लिए स्वदेशी खरीद नीति: आवेदक सरकार या सरकारी संस्थाओं को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री नहीं कर रहा है, और इसीलिए वर्तमान जांच के लिए, खरीद के लिए तरजीह देना अप्रभावी है।

ख. इस्पात आयात निगरानी प्रणाली: यह कार्यक्रम इस्पात आयातों पर सांख्यिकी डेटा एकत्र करने के लिए शुरु किया गया था और इसका आयातों पर कोई संबंध नहीं है।

ग. गुणवत्ता नियंत्रण आदेश तथा अनिवार्य बीआईएस प्रमाण-पत्र: यह कार्यक्रम घरेलू निर्माण के लिए उत्पादकता, प्रभाव और प्रतिस्पर्धा में सुधार करते हुए मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए है। इसका केवल इतने प्रभाव को छोड़कर कि ऐसे आयात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की अनुपालना करेंग, किए जा रहे आयातों पर कोई प्रभाव नहीं है।

घ. इस्पात स्क्रेप रिसाइकल नीति: यह संसाधन के संरक्षण और ऊर्जा बचत के लिए है और यह फेरस स्क्रेप के लिए एक पर्यावरणीय दृष्टि से मजबूत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करने के लिए है।

ड. पीएलअपाई योजना: "विशिष्ट इस्पात" के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य देश में विशिष्ट इस्पात ग्रेड का निर्माण करने को बढ़ावा देना है। पीएलआई प्रोत्साहन से विशिष्ट

---

[44] उपरोक्त नोट 39

इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। यह योजना जांच की अवधि के दौरान प्रचालन में नहीं थी और अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई है।

ञ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

130. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जांच शुरु करने की अधिसूचना जारी की थी। सभी प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कई अनुरोध किए हैं, जिनकी प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित पैरा में जांच की गई है:-

131. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क या कोई अन्य शुल्क लगाने का प्रयोजन व्यापार उपचार जांचों के परिणाम के रूप में, ऐसे घरेलू उद्योग के लिए एक समान स्तर प्रदान करना है, जो अनुचित आयातों के परिणामस्वरूप क्षति का सामना कर रहे हैं, जिससे आयात करने वाले सदस्य के लिए कोई स्थान नहीं रहता। पाटनरोधी नियमावली, 1995 के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि लगाए गए शुल्क की मात्रा घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए और घरेलू उद्योग के निष्पादन पर अनुचित आयातों के प्रभावों को रोकने के लिए आवश्यकता के अनुसार होती है। कमतर शुल्क नियम का प्रयोग इसे निश्चित कर देता है कि घरेलू उद्योग को कोई अनुचित लाभ न मिले।

132. कुछ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से याचिकाकर्ता के एकाधिकार की स्थापना होगी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने जुलाई 2019 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया है और इस अवधि से पूर्व, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में भारत की मांग आयातों के ज़रिए पूरी की जा रही थी। वर्तमान में घरेलू उद्योग के पास बाजार अंश का मात्र 15 प्रतिशत हिस्सा है और शेष की पूर्ति आयातों से हो रही है। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से विचाराधीन उत्पाद के आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इससे केवल यह सुनिश्चित होगा कि वे भारतीय बाजार में उचित कीमत पर प्रवेश करें। पाटनरोधी शुल्क का तात्पर्य केवल पाटित आयातों को रोकना और घरेलू उद्योग को उसका स्थान प्रदान करना है, जिसके विकास पर वास्तव में क्षति पहुंची है। बाजार में पर्याप्त हिस्सा ऐसे आयातों द्वारा अभी भी पूरा किया जाएगा।

133. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जांच के दौरान, विचाराधीन उत्पाद का दायरा कम हुआ है क्योंकि घरेलू उद्योग इसका निर्माण नहीं कर रहा था अथवा उसके निर्माण की क्षमता नहीं थी। पाटनरोधी शुल्क, जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना में अधिसूचित किया गया है, मूल विचाराधीन उत्पाद के बहुत ही कम हिस्से पर लागू होगा। जबकि प्रयोक्ता उद्योग ने कई अनुरोध, विचाराधीन उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में किए हैं, उनमें से किसी भी अनुरोध को साबित नहीं किया गया। इसके अलावा, उनमें से किसी ने भी पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में कोई ठोस सूचना प्रस्तुत नहीं की थी।

134. इस्पात उद्योग में लगे निर्माताओं के लाभ के लिए भारत सरकार के कुछ कार्यक्रमों और योजनाओं की मौजूदगी के संबंध में अनुरोधों के बारे में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग, विदेशी निर्यातकों/विदेशी उत्पादकों द्वारा क्षतिकारी आयात किए जाने के फलस्वरूप क्षति का सामना कर रहा है, इस तथ्य को ऐसे कार्यक्रमों की मौजूदगी बदल नहीं सकती। यह भी प्रदर्शित नहीं किया गया है कि कैसे घरेलू उद्योग को ऐसे कार्यक्रमों से लाभ हो रहा है। इसके अलावा, यहां तक कि जब किसी घरेलू उद्योग को ऐसे कार्यक्रमों से लाभ होता है, लेकिन पाटित आयातों के कारण क्षति का सामना करता है, वहां इससे व्यापार उपचार जांच के लिए यह एक उपयुक्त मामला बनेगा।

135. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुल्क का संदर्भ कीमत रूप आवश्यक नहीं है, जहां पर प्रमुख कच्ची सामग्रियों पर महत्वपूर्ण कीमत उतार-चढ़ाव होता है। उदाहरण के लिए, यह संभव है कि आयात कीमतें मुख्यत: इस तथ्य के

चलते बढ़ती हैं कि प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमतें बढ़ गई हैं। ऐसे मामले में, घरेलू उद्योग को प्रभावी संरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि होने से उनकी लागतों में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही, यदि प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमतों में गिरावट आती है, तो घरेलू उद्योग को अतिरिक्त संरक्षण मिलता है और निर्यातकों/आयातकों को अनावश्यक रूप से दंडित किया जाता है, जबकि वे पाटन या उसके कारण क्षति में शामिल नहीं होते। इस प्रकार, शुल्क का संदर्भ कीमत रूप बढ़ते बाजार में अप्रभावी बन जाता है और एक गिरते बाजार में अतिरिक्त संरक्षण देना आवश्यक हो जाता है।

136. प्राधिकारी इस्पात उत्पादों पर लगाए गए कतिपय प्रतिसंतुलनकारी और पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करने के भारत सरकार के निर्णय के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट करते हैं। पाटनरोधी नियमावली, 1995 के तहत प्राधिकारी को संबद्ध उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और क्या इन दोनों के बीच कोई कारणात्मक संबंध मौजूद है, इनकी जांच करना है। यदि प्राधिकारी इन तीनों पहलुओं पर सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो ही वह पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करते हैं।

क. प्रकटन-पश्चात टिप्पणियां

137. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण के उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध दोहराई गई पद्धति के हैं और हितबद्ध पक्षकारों ने अधिकांशत: अपने पहले के अनुरोधों को दोहराया है। प्राधिकारी ने पूर्वोक्त पैराओं में पहले ही ऐसे अनुरोधों की जांच की है और प्राधिकारी द्वारा केवल अतिरिक्त अनुरोधो की उन्हें संगत पाए जाने की सीमा तक निम्नलिखित जांच की गई है:

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

138. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. विशेष फार्मेबिलिटी ग्रेड के ईजी स्टील (डीप ड्राइंग गुणवत्ता) जिसके एक तरफ कोटिंग हो अर्थात जेएफई-सीई-ईजेड, जेएफई-सीएफ-ईजेड, जेएफई-सीजीएक्स-ईजेड, जेईसी270ई, जेईसी270एफ, जेएफईसी260जी, एसईसीई, एसईसीएफ और एसईसीजी (जिसे संयुक्त रूप से "विनिर्दिष्ट ग्रेड" कहा जाता है):

i. घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक रूप से उत्पादित और/या बेचे नहीं जाते हैं।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक रूप से उत्पादित ग्रेडों के साथ वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय/बदलने योग्य नहीं है; और

iii. अपने विशिष्ट विनिर्देशनों और उच्च गुणवत्ता के कारण घरेलू उद्योग से प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं।

ख. उत्तर न प्रस्तुत करने से बाहर रखने की मांग करने के जेएफई स्टील के अधिकार से पक्षपात नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है। वास्तव में, स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने न केवल इसे माना था बल्कि जापान से एक ऐसे उत्पादक द्वारा बाहर रखने के अनुरोध की अनुमति प्रदान की थी जिसने जांच में सहयोग नहीं किया था।

ग. जेएफई द्वारा उत्पादित उत्पादों का एक प्रमुख प्रयोक्ता अर्थात होंडा ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता वन साइडिड कोटिंग इलैक्ट्रोगलवनाइज्ड स्टील का वाणिज्यिक रूप से उत्पादन और/या बिक्री नहीं करता है।

घ. इसके बावजूद प्रकटन विवरण में यह दर्ज है कि याचिकाकर्ता ने ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त वन साइड कोटेड ईजी स्टील के बिक्री के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जो गलत हैं।

ड. यदि वास्तव में याचिकाकर्ता ने वन साइडिड कोटिंग इलैक्ट्रोगलवनाइज्ड स्टील के उत्पादन और बिक्री के संगत साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं तो उन्हें हितबद्ध पक्षकारों को भी दिया जाना चाहिए था। घरेलू उद्योग द्वारा वन साइडिड कोटिंग इलैक्ट्रोगलवनाइज्ड स्टील के वाणिज्यिक उत्पादन और बिक्री का साक्ष्य दर्शाने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा कोई बीजक रिकॉर्ड में भी नहीं दिया गया है। इसे देखते हुए, वर्तमान प्रकटन

विवरण और कार्यवाही प्रक्रिया तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के कारण एडी नियमावली के नियम 16 के उल्लंघन में है।

च. पीसीएन आंकड़ों को घरेलू उद्योग द्वारा दायर करने संबंधी जापानी मिलों के अनुरोधों (पूर्ववर्ती अनुरोध) को न तो रिकॉर्ड किया गया है और न ही प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा आकलित प्रतीत होते हैं। इसे न मानते हुए कि यह बात पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अंतर्गत विहित विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों का उल्लंघन है[45] , प्राधिकारी से निम्नलिखित पर पुनर्विचार करने का अनुरोध है।

छ. प्राधिकारी ने लेमिनेटेड ईजी स्टील को पीयूसी के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव किया है। एलजी इंडिया का अनुरोध है कि सभी प्रकार के लेमिनेटेड ईजी स्टील को बाहर रखा जाना चाहिए। किसी पूर्वाग्रह के बिना एलजी इंडिया अनुरोध करता है कि लेमिनेटेड ग्रेड को अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पीसीएम इलैक्ट्रोगलवनाइज्ड स्टील शीट, आदि। इसलिए, वीसीएम और पेट लेमिनेटेड ग्रेड को भी लेमिनेटेड ईजी स्टील में शामिल किया जाए। इसके अलावा, जैसा स्वयं घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि वह लेमिनेटेड ग्रेड ईजी स्टील नहीं बनाता है। तद्नुसार घरेलू उद्योग का एलडीपीई फिल्म का न्यूनतम माइक्रोन संबंधी प्रस्ताव अव्यवहार्य है। इसके अलावा, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि लेमिनेटेड ईजी स्टील किसी माइक्रोन का हो सकता है। इस समय एलजी इंडिया 30 माइक्रोन का लेमिनेटेड ईजी स्टील आयात कर रहा है और भविष्य में 30 माइक्रोन से कम का लेमिनेटेड ईजी स्टील आयात कर सकता है क्योंकि लेमिनेटेड ईजी स्टील आवेदक द्वारा विनिर्मित नहीं होता है, इसलिए न्यूनतम 50 माइक्रोन की अपेक्षा को प्रकटन विवरण के पैरा 12 में प्रदत्त लेमिनेटेड ईजी स्टील के वर्णन से हटा दिया जाए। एलजी इंडिया निम्नलिखित संशोधित वाक्य का अनुरोध करता है:

"*वीसीएम इलैक्ट्रोगलवनाइज्ड स्टील शीट या पैट कोटेड इलैक्ट्रोगलवनाइज्ड स्टील स्टील शीट जो बेयर इलैक्ट्रोगलवनाइज्ड स्टील हैं तथा जिन्हें किसी उचित प्राइमर और/या टॉपसाइड पर बेसकोट के साथ फोस्फेट पूर्व-उपचार के अधीन रखा जाता है और किसी प्राइमर और/या बॉटम साइड में बैककोट और टॉप साइड पर लेमिनेटेड हों, प्रिंटेड – विनाइल/पैट/एएलएफ या एलडीपीई फिल्म के किसी माइक्रोन सहित हों*"

ज. लेमिनेटेड ईजीएस की परिभाषा से 50 माइक्रोन की न्यूनतम मोटाई को बाहर रखने के प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। व्हर्लपूल इंडिया 25 माइक्रोन की न्यूनतम मोटाई वाले लेमिनेटेड ईजी स्टील का आयात करता है।

झ. प्रिंटेड ईजी स्टील को बाहर रखने के लिए प्रस्तावित भाषा के संबंध में यह अनुरोध किया गया है कि बैककोट का आवश्यक रूप से रंगीन होना जरूरी नहीं है परंतु वह पारदर्शी भी हो सकता है जैसा डोंगकुक द्वारा उत्पादित उत्पादों के मामले में हुआ है। इसके अलावा, टॉप साइड पर रंगों को तीन रंगों तक सीमित रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि टॉप साइड पर सामान्यत: दो रंगों से मुद्रण किया जाता है। निम्नलिखित भाषा प्रस्तावित है:

"बेयर इलैक्ट्रोगलवनाइज्ड स्टील जिसे टॉप साइड पर किसी उचित प्राइमर और/या कलर्ड बेसकोट तथा बॉटम साइड पर प्राइमर और/या बैककोट के साथ फोस्फेट पूर्व उपचार के अधीन रखा जाता है और टॉप साइड पर न्यूनतम दो रंगों से मुद्रित किया जाता है।"

ञ. एलजी इंडिया का अनुरोध है कि आवेदन में कोई वास्तविक मंदी नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदंडों में सुधार प्रदर्शित हुआ है।

---

[45] *प्राधिकारी के लिए प्रकटन विवरण में अपने विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन अपेक्षित है, उनका प्रकटन नहीं करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है - निरमा बनाम भारत संघ, 2017 (358) ई.एल.टी 146 (गुजरात) देखें।*

ट. घरेलू उद्योग को कथित पाटित आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभप्रदत्ता, नकद लाभ, आरओसीई और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में पूरी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।

ठ. याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा की गई और प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई परियोजना रिपोर्ट 2019 में तैयार हुई है और उसमें घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों संबंधी कतिपय अनुमान हैं (कोविड-19 महामारी की प्रत्याशा के बिना)। स्वीकृत रूप से घरेलू उद्योग ने एक संयंत्र स्थापित किया और जुलाई, 2019 में पीयूसी का वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया। इसी समय उसने कतिपय वित्तीय अनुमानों के साथ एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की। तथापि पीओआई में भारत सरकार द्वारा लागू कोविड संबंधी निवारक उपायों के साथ कोविड-19 महामारी के कारण घरेलू उद्योग उन अनुमानों को अनेक अन्य भारतीय और वैश्विक उद्योगों की तरह भी प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए प्राधिकारी को परियोजना रिपोर्ट अस्वीकार करनी चाहिए और अपने विश्लेषण को क्षति अवधि में वास्तविक कार्य-निष्पादन तक सीमित रखना चाहिए।

ड. किसी पक्षपात के बिना यह अस्पष्ट है कि प्राधिकारी ने क्षमता उपयोग और उत्पादन के वास्तविक निष्पादन और अनुमानित निष्पादन की अपनी तुलना को क्यों सीमित किया है। इससे केवल ऐसा लगता है कि अन्य मापदंडों की तुलना से यह पता चल सकता है कि अनुमानित निष्पादन की तुलना में वास्तविक कार्य-निष्पादन में कोई कमी नहीं रही है।

ढ. नीचे सूचीबद्ध ऐसे विभिन्न अनेक कारक हैं जिन्होंने संभवत: घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित किया हो।

I. अंतिम प्रयोक्ताओं/क्रेताओं से उत्पाद अनुमोदनों का अभाव, जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री और कीमतें कम हो गई – याचिकाकर्ता ने इस बात को लिखित अनुरोध के पैरा 70 स्वीकार किया है।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा कम कीमतों पर कम ग्रेड की बिक्री।

iii. संयंत्र के योजना स्तर और आरंभिक स्तर के बीच बाजार की दशाओं में बदलाव और नई क्षमता वृद्धि।

iv. उच्चतर छूटों के साथ बढ़े हुए बाजार व्यय।

v. स्वीकृत रूप से याचिकाकर्ता ऐसी कीमतें दे रहा है जो बाजार में प्रस्तावित कीमतों से लगभग 30 प्रतिशत अधिक है।

ण. प्राधिकारी से अंतिम जांच परिणाम में एनएससी के लिए उक्त अलग-अलग पाटन और क्षति मार्जिन की पुष्टि करने का अनुरोध है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

139. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. प्राधिकारी को पीयूसी के दायरे, अपवर्जन अनुरोध को अस्वीकार करने और अंतिम जांच परिणाम में घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में अपने अवलोकनों की पुष्टि करनी चाहिए।

ख. असहयोगी असंबंधित व्यापारी के ज़रिए उत्पादकों/निर्यातकों डोगकुक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड और निप्पोन स्टील कारपोरेशन द्वारा किए गए निर्यातों की निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ उपेक्षा नहीं की जा सकती है। प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार असहयोगी असंबंधित व्यापारी के ज़रिए किए गए निर्यातों के लिए प्रतिकूल उपलब्ध तथ्यों को अपनाना चाहिए।

ग. भारत ने अपने संबंधित पक्षकारों को डोंगकुक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड और हुंदई स्टील कंपनी, कोरिया गणराज्य द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में, प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए कि क्या ऐसे संबंधित आयातकों ने भारत में अन्य संबंधित पक्षकारों को वस्तुओं की पुन: बिक्री की है और क्या ऐसे संबंधित पक्षकारों ने भागीदारी की है और पुनर्बिक्री संबंधी कीमत सूचना दी है।

घ. डोंगकुक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड और हुंदई स्टील कंपनी, कोरिया गणराज्य द्वारा निर्यातों के संबंध में यदि संबंधित आयातक ने भारत में असंबंधित पक्षकारों को वस्तुओं की पुन: बिक्री की है तो प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए कि क्या संबंधित आयातक ने लाभ अथवा हानि पर पुन: बिक्री की है। यदि संबंधित आयातकों ने घाटे में असंबंधित पक्षकारों को संबद्ध वस्तु की पुन: बिक्री की है तो प्राधिकारी को निर्यात कीमत और पहुंच मूल्य में समायोजन करने चाहिएं।

ड. हुंदई स्टील कंपनी, कोरिया गणराजय के मामले में, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य निर्धारित करते समय समुद्री भाड़े संबंधी समायोजन की अनुमति दी है। तथापि, कंपनी को कोरिया गणराज्य के भीतर संबद्ध वस्तु बेचने के लिए कोई समुद्री भाड़ा नहीं देना पड़ेगा और इसलिए समुद्री भाड़े के लिए कोई समायोजन नहीं करना चाहिए।

च. घरेलू बाजार में तुलनीय बिक्रियों की अनुपस्थिति के संबंध में पोस्को का दावा अविश्वसनीय है और उसमें आगे जांच जरूरी है।

छ. यदि कोई तुलनीय घरेलू बिक्रियां नहीं हैं तो सामान्य मूल्य की गणना निर्यातक देश या क्षेत्र से उचित तीसरे देश को निर्यात के समय समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत के आधार पर की जानी चाहिए क्योंकि वह बाजार वास्तविकताओं पर आधारित है और उत्पादन लागत तथा तर्कसंगत लाभ पर आधारित काल्पनिक कीमत से अधिक प्रतिनिधि है।

ज. पोस्को स्टीलियान कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत को निर्यात के संबंध में निर्यात कीमत निर्धारण के लिए समुद्री भाड़े का कोई समायोजन नहीं हुआ है, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा कोरिया गणराज्य से अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए किया गया है।

झ. निप्पोन स्टील कारपोरेशन के सामान्य मूल्य के संबंध में प्राधिकारी ने नोट किया है कि असहयोगी संबंधित पक्षकार को की गई घरेलू बिक्रियां कुल घरेलू बिक्रियों के अनुसार मामूली है और प्राधिकारी ने तद्नुसार कुल घरेलू बिक्रियों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। तथापि, पाटनरोधी जांच में यह सुस्थापित स्थिति है कि भारत को घरेलू बिक्रियों और/या निर्यात बिक्रियों में शामिल उत्पादक/निर्यातक के सभी संबंधित पक्षकारों के लिए जांच में भाग लेना आवश्यक है। यदि किसी संबंधित पक्षकार/रों को की गई बिक्रियां कुल बिक्रियों की तुलना में मामूली भी हों तो भी संबंधित पक्षकार के भाग नहीं लेने का बहाना नहीं बन सकती हैं। प्राधिकारी को निप्पोन स्टील कारपोरेशन को असहयोगी उत्पादक/निर्यातक मानना चाहिए और प्रश्नावली के उत्तर में प्रदत्त सूचना को अस्वीकृत करना चाहिए और प्राधिकारी को प्रतिकूल उपलब्ध तथ्यों के अनुसार पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण की कार्यवाही करनी चाहिए।

ञ. यदि वास्तविक बिक्री कीमत सूचना के आधार पर निप्पोन स्टील कारपोरेशन के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित होता है तो प्राधिकारी ने कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए वारंटी के समायोजन की गलत ढंग से अनुमति दी है। वारंटी उत्पाद की एक अंतर-निहित लागत होती है जो कारखानाद्वार कीमत का भाग होती है। प्राधिकारी ने कारखानाद्वार निर्यात कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ वारंटी के किसी समायोजन की अनुमति नहीं दी है।

ट. संबद्ध देशों से देश-वार कम कीमत पर बिक्री और भारित औसत कम कीमत पर बिक्री तथा प्रकटन विवरण के पैरा 99 और 100 में क्षति रहित कीमत/उचित कीमत के साथ पहुंच कीमत की तुलना का निर्धारण उचित नहीं है। प्राधिकारी के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 या पाटनरोधी नियमावली, 1995 के प्रावधानों के अनुसार संबद्ध देशों के लिए देश-वार कम कीमत पर बिक्री और भारित औसत कम कीमत पर बिक्री की जांच करने की कोई कानूनी अपेक्षा नहीं है।

ठ. प्राधिकारी की पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के आकलन के लिए संबद्ध देशों हेतु देश-वार कम कीमत पर बिक्री और भारित औसत कम कीमत पर बिक्री निर्धारित नहीं करने की संगत प्रक्रिया है। इसके

अलावा, हाल में समाप्त हुई सभी जांचों में प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के लिए देश-वार कम कीमत पर बिक्री और भारित औसत कम कीमत पर बिक्री की ऐसे जांच नहीं की है। कुछ संगत उदाहरण इस प्रकार हैं:

क. चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 5.5 माइक्रोन के एल्युमिनियम फॉयल के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच –अंतिम जांच परिणाम दिनांक 14 मार्च, 2022

ख. बंगला देश और थाइलैंड से क्लियर फ्लोट ग्लास के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच – अंतिम जांच परिणाम 29 जून, 2022

ग. चीन जन.गण., जापान और कोरिया गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित टोलीन डाइआइसोसाइनाइड के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच - अंतिम जांच परिणाम दिनांक 24 जून, 2022

घ. चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कतिपय रबड़ रसायन अर्थात् टीडीक्यू, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीवीआई और चीन जन.गण. तथा यूरोपीय संघ के मूल के वहां से निर्यातित सीबीएस के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम दिनांक 30 मार्च, 2022

ड. रूस, जार्जिया और ईरान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अमोनियम नाइट्रेट के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा - अंतिम जांच परिणाम दिनांक 10 जून, 2022

ङ. प्राधिकारी के लिए कमतर शुल्क नियम के कारण केवल सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए तथा उत्पादकों/निर्यातकों की शेष सभी अन्य श्रेणी के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित करना अपेक्षित है। देशवार कम कीमत पर बिक्री और भारित औसत कम कीमत पर बिक्री निर्धारित करना अपेक्षित नहीं है।

ढ. एनआई के साथ देश-वार औसत पहुंच कीमत की तुलना क्षति की मौजूदगी और पाटनरोधी शुल्क लागू करने के लिए असंगत है। होनस्ट इंटरप्राइजिज लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी[46] पर भरोसा किया गया है।

ण. यह अवलोकन कि घरेलू उद्योग की वास्तविक बिक्री कीमत (एनएसआर) घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत (एनआईपी) से अधिक है, पाटनरोधी नियमावली में अधिदेशित नहीं है और घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के प्रयोजनार्थ और पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश के लिए संगत नहीं है। आल इंडिया ग्लास मैन्युफैचरर्स फेडरेशन बनाम यूओआई[47] मामले में माननीय न्यायाधिकरण के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

त. घरेलू उद्योग ने पीओआई के दौरान लाभ कमाया है क्योंकि घरेलू उद्योग की पूरी परियोजना स्व-वित्तपोषित है और इसलिए कम ब्याज लागत के कारण बचत हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की अधिकांश बिक्रियां उन क्षेत्रों में हैं जिनमें आयातों से कम प्रतिस्पर्धा है।

थ. यद्यपि घरेलू उद्योग लाभ कमा रहा है, तथापि लाभप्रदता इस तथ्य को देखते हुए उम्मीद से काफी कम है कि याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और भारत में संबद्ध वस्तु की भारी मांग है। घरेलू उद्योग का कुल लाभ समग्र रूप से कम है और दीर्घावधिक रूप से सतत् नहीं है।

द. घरेलू उद्योग भारत में संबद्ध वस्तु की भारी मांग के बावजूद पीओआई के बाद काफी कम क्षमता उपयोग पर प्रचालन करता रहा है।

ध. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन क्षति रहित कीमत के गलत निर्धारण के के कारण कम है।

न. प्राधिकारी को एनआईपी निर्धारित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग के बजाए पीओआई के दौरान सभी चार तिमाहियों में से सर्वोत्तम

[46] 2016 (341) ELT 263
[47] 2016 (342) ELT 563

प्राप्त क्षमता उपयोग पर विचार करना चाहिए। चीन जन.गण. से एन,एन-डिसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड (डीसीसी) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच पर भरोसा किया गया है।

प. आवेदक इलैक्ट्रोगलवनाइज्ड स्टील के उत्पादन के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री सीआर स्टील खरीदता है। इलैक्ट्रोगलवनाइज्ड स्टील के उत्पादन के दौरान कोई उत्पादन घाटा नहीं होता है फार्मुलेट की नीति अपनाकर वर्तमान जांच में कच्ची सामग्री की लागत को मानकीकृत नहीं किया जा सकता है जो व्यापारिक वास्तविकताओं से रहित है।

फ. पीआर स्टील से इलैक्ट्रोगलवनाइज्ड स्टील के उत्पादन के लिए कुल लागत के रूप में प्रतिशत प्राधिकारी द्वारा अनुमत परिवर्तन लागत से काफी अधिक है। इलैक्ट्रोगलवनाइज्ड स्टील एक विशिष्ट उत्पाद है जिसमें निवेश और प्रौद्योगिकी की काफी मात्रा अपेक्षित है।

ब. एनआईपी के निर्धारण के समय आवेदक अनुरोध करता है कि प्राधिकारी को 22 प्रतिशत आरओसीई की अनुमति देने के लिए आवेदक द्वारा किए गए वास्तविक निवेश तक स्वयं को सीमित नहीं करना चाहिए बल्कि योजनागत पूंजी निवेश अर्थात डाउनस्ट्रीम उत्पादन कार्यकलाप के लिए अल्पावधिक तरल निधियों के रूप में आबंटित राशि पर भी विचार करना चाहिए।

भ. प्राधिकारी ने गैर-अनुमत एसजीए व्ययों और एनआईपी की गणना के समय गैर-अनुमत कार्यशील पूंजी संबंधी ब्यौरों का अलग-अलग विवरण नहीं दिया।

म. प्रकटन विवरण में दिए गए तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी आई है।

क3. प्राधिकारी द्वारा जांच

140. प्राधिकारी जेएफई स्टील कारपोरेशन के अपवर्जन संबंधी अनुरोध को स्वीकार नहीं करने के संबंध में उनके अनुरोध को नोट करते हैं। यह नोट किया गया है कि जेएफई स्टील कारपोरेशन ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है जिससे प्राधिकारी यह पता नहीं लगा पाए हैं कि क्या जेएफई स्टील कारपोरेशन ने भारत को उन ग्रेडों का निर्यात किया है जिनके लिए वह अपवर्जन की मांग कर रहा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पादों में जापान से भागीदार निर्यातकों ने विधिवत रूप से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और उनमें से कुछ को उनके उत्तरों में विशिष्ट कमियों के कारण असहयोगी माना गया है। जो स्थिति वर्तमान जांच में जेएफई स्टील से बिल्कुल अलग है, जहां निर्यातक ने न स्वयं का प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। अत: प्राधिकारी उक्त उत्पाद के अपवर्जन के अनुरोध को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं।

141. प्राधिकारी वन साइड कोटेड ईजी स्टील के उत्पादन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध को नोट करते हैं। घरेलू उद्योग ने वन साइड कोटेड ईजी स्टील की आपूर्ति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और उसी को प्राधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया है । तथापि इसे गोपनीय जानकारी के रूप में माना जाता है।

142. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के कुछ आर्थिक मापदंडों में सुधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट करते हैं। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जुलाई, 2019 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया था और इसलिए आधार वर्ष के प्रभाव के कारण आर्थिक मापदंड वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाएंगे। तथापि, पीओआई के बाद के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि अनेक मापदंडों में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई। क्षति विश्लेषण और वास्तविक मंदी से संबंधित अन्य मुद्दों पर पहले ही ऊपर संगत पैराओं में विचार किया गया है।

143. प्राधिकरण घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में कोविड-19 के प्रभाव के विश्लेषण-विचार के बारे में अन्य इच्छुक पक्षों की प्रस्तुतियों को नोट करता है। प्राधिकरण ने अपनी पिछली प्रथा के अनुरूप परियोजना रिपोर्ट पर भरोसा किया है। यह देखते हुए कि चोट की परीक्षा घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए सामग्री मंदता के संबंध में है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि कोविड-19 महामारी पर विचार न करने से घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं हुई है। साथ ही प्राधिकरण ने पीओआई के बाद के आंकड़ों के साथ-साथ घरेलू उद्योग के वास्तविक प्रदर्शन को भी अपने विश्लेषण के उद्देश्य से ध्यान में रखा है।

144. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा बहिष्करण के लिए प्रस्तावित परिभाषा पर टिप्पणियों के बारे में, प्राधिकरण नोट करता है कि इस तरह की परिभाषा में कई तकनीकी शामिल हैं जिन्हें दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। तदनुसार, प्राधिकरण ने पैरा 22-23 में उल्लिखित पीयूसी के दायरे में जेनेरिक बहिष्करण किए हैं।

145. समुद्र भाड़े के कारण हुंडई स्टील कंपनी को दिए गए समायोजन के संबंध में घरेलू उद्योग प्रस्तुतियों के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया कि सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि हुंडई स्टील कंपनी ने समुद्र मार्ग के माध्यम से अपने ग्राहकों को कुछ घरेलू बिक्री की थी क्योंकि वे बंदरगाहों के पास स्थित थे। तदनुसार, उन लेन-देनों के लिए समुद्री माल ढुलाई के कारण निर्यातक को उचित समायोजन दिए गए थे। इसके विपरीत, पॉस्को SteeLeON कं, समुद्र मार्ग के माध्यम से अपनी कोई भी घरेलू बिक्री नहीं की है और इसलिए, इस तरह के किसी भी समायोजन की अनुमति नहीं दी गई है।

146. क्षति रहित कीमत की गणना और उसके प्रकटन के बारे में आवेदक द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति रहित कीमत एडी नियमावली, 1995 के अनुबंध-III के अनुसार और प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की गई है।

क. एनआईपी निर्धारित करने के लिए पीओआई के दौरान सभी चार तिमाहियों के बीच प्राप्त सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करने के आवेदक के सुझाव के संबंध में निम्नलिखित नोट किया जा सकता है:

i. आवेदक ने जुलाई, 2019 से संबद्ध वस्तु का वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया है। तद्नुसार आवेदक ने पीओआई (अर्थात जुलाई, 2019 या दिसंबर, 2020 को वाणिज्यिक उत्पादन के शुरु होने की तारीख से) सहित सभी छह वित्तीय तिमाहियों के लिए तिमाही-वार क्षमता उपयोग के ब्यौरे प्रदान किए हैं।

ii. इस संबंध में यह भी नोट किया गया है कि डीपीआर में पीओआई के दौरान ***प्रतिशत क्षमता उपयोग के लक्ष्य के लिए जुलाई, 2019 में *** रुपए का निवेश परिकल्पित है। यद्यपि प्रपत्र-के के अनुसार पीओआई की शुरुआत में (जनवरी, 2020) में वास्तव में लगाई गई परिसंपत्तियां केवल *** करोड़ रु. की हैं और शेष धनराशि को ब्याज कमाने वाली "नकद समतुल्य तरल निधियों" में रखा गया है।

iii. चूंकि यह सत्य है कि किसी उत्पाद की सामान्य लागत वाणिज्यिक उत्पादन शुरु होने के बाद कुछ समय लेती है और आरंभिक लागत अधिक हो सकती है। इसलिए वास्तविक मंदी के मामले में डीजीटीआर की संगत प्रक्रिया निम्नानुसार नोट की गई है:

"वास्तविक मंदी के मामले में आंकड़े सभी चार वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। अत: क्षमता को ईष्टम परियोजना रिपोर्ट में अनुमानों के साथ पठित उपलब्ध आंकड़ों तथा प्रौद्योगिकी/पूंजीगत उपकरण आपूर्तिकर्ता से आंकड़ों के आधार पर बनाया जाएगा। दीर्घावधिक ऋणों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रस्तुत रिपोर्टों को भी इस प्रयोजनार्थ मांगा जा सकता।

iv. तद्नुसार एनएफ के लिए ईष्टतम क्षमता उपयोग और पीओआई के लिए पीयूसी के स्थाई व्यय एसओपी मैनुअल के पैरा 9.6.48 के साथ पठित नियमावली के अनुबंध-III के खंड 4(iii) के अनुसार उत्पादन क्षमताओं के अकुशल उपयोग द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, को निष्क्रिय करने के लिए ***एमटी होने पर विचार किया गया है। इस प्रकार, इस संबंध में घरेलू उद्योग के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

ख. कच्ची सामग्री की लागत को ईष्टतम बनाने के संबंध में यह नोट किया जाता है कि नियमावली के अनुबंध-III का खंड 4(i) कच्ची सामग्री की सभी लागतों पर लागू है जिनमें सीआर स्टील के अलावा "रसायन" भी शामिल हैं। सीआर स्टील खपत मानक आवेदक के दावे के अनुसार ईष्टतम बनाए गए हैं। इसके अलावा, आवेदक ने अपने प्रपत्र-बी में रसायन को ईष्टतम नहीं बनाया जिसे विशेष रूप से किवल एक पीसीन उत्पादित करने वाले घरेलू उद्योग के लिए नियमावली के अनुबंध-III का खंड 4(i) के अनुसार डीजीटीआर द्वारा विधिवत् रूप से ईष्टतम बनाया गया है। इस प्रकार, इस संबंध में घरेलू उद्योग का तर्क निराधार है और इसलिए स्वीकृत नहीं होता है।

ग. पीयूसी के उत्पादन के लिए उच्चतर मूल्यवर्धन जिसके लिए काफी मात्रा में निवेश और प्रौद्योगिकी आवश्यक है, से संबंधित घरेलू उद्योग के तर्क के बारे में निम्नलिखित नोट किया जा सकता है:

i. नियोजित पूंजी पर आय नियमावली के अनुबंध-III और प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार परिकलित की गई है। इस अनुमत आय (ब्याज/वित्त लागत, कारपोरेट कर और सामान्य लाभ के लिए) ने वर्तमान मामले में सुनिश्चित न्यूनतम आय सीमा को पार कर लिया है और इसलिए इसकी अनुमति है।

ii. नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार, प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया और सामान्यत: स्वीकृत लागत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार, आय पीयूसी के लिए व्यापार में किए गए वास्तविक निवेश पर प्रदान की जाती है और न कि योजनागत/रखे गए ब्याज वाली जमा/मानीकीकृत निवेश पर।

iii. चूंकि पीयूसी के लिए एनएफए (मूल्य लाख रु. में) वलसाड-गुजरात में पीयूसी के लिए अलग समर्पित नए संयंत्र के लिए वास्तविक आधार(आबंटित नहीं) पर दावा किया गया है, इसलिए इसे स्वीकृत और इसकी अनुमति दी गई है। तथापि, इसे नियोजित पूंजी पर आय के प्रयोजनार्थ प्रति इकाई एनएफए की गणना के लिए ऊपर यथा-उल्लिखित (***एमटी) के रूप में डीजीटीआर द्वारा यथा-निर्धारित ईष्टतम उत्पादन द्वारा विभाजित किया गया है।

iv. आवेदक ने 31.12.2020 (पीओआई की अंतिम कार्यशील पूंजी में) के अनुसार ***करोड़ रु. के नकद समतुल्य तरल निधि (सीईएलएफ) और 31.12.2019 (पीओआई की आरंभिक कार्यशील पूंजी में) के अनुसार ***करोड़ रु. का दावा किया है, जिसे बिक्री की लागत में *** लाख रु. के प्राप्त ब्याज को जोड़कर वर्तमान परिसंपत्ति की व्यापार मद माना गया है और व्यापार आय माना गया है जबकि डीजीटीआर की प्रक्रिया के अनुसार कोई ब्याज कमाने वाला नकद/खाता शेष (जैसे सावधि जमा आदि) को व्यापार मद (वर्तमान परिसंपत्ति और अन्य आय दोनों) नहीं माना जाता है। आवेदक से स्पष्ट रूप से आरसीसी दस्तावेजों में इसे व्यापार मद मानने का औचित्य पूछा गया था। तथापि, आवेदक साक्ष्य सहित इस संबंध में कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं बता पाया कि सीईएलएफ निधियों को पूरी पीओआई में निवेश नहीं किया गया और केवल पीओआई की थोड़ी अवधि में निवेश किया गया, जिसके परिणामस्वरूप निवेशित सीईएलएफ पर काफी कम ब्याज प्राप्त हुआ। अत: इस संबंध में डीजीटीआर की प्रक्रिया के अनुसार ऐसे ब्याज वाले सीईएलएफ और उन पर अर्जित ब्याज (अन्य आय का भाग) को एनआईपी की गणना में गैर-व्यापारी मद माना गया है और इसलिए इसकी अनुमति नहीं है। अर्थात् प्रपत्र-के में दावा किए गए सीईएलएफ की वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में अनुमति नहीं दी गई है और वर्तमान जांच में एनआईपी की गणना के प्रयोजनाथ बिक्री लागत में प्राप्त इसके ब्याज को जोड़ने की अनुमति नहीं दी गई हे।

घ. अनुमति नहीं दिए गए एसजीए व्ययों के ब्यौरे और एनआईपी की गणना के समय कार्यशील पूंजी के गैर-अनुमत ब्यौरों के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्क के बारे में यह नोट किया जाए कि प्राधिकारी ने इस संबंध में अन्य जांचों में भी अपनाई गई डीजीटीआर की संगत प्रक्रिया के अनुसार एनआईपी और उसकी गणनाओं का प्रकटन किया है। किसी भी तरह दावा किया गया एसजीए दावा की गई एनआईपी का किवल 2 प्रतिशत से कम रहता है।

ड. प्राधिकारी पूर्ववर्ती जांच परिणामों के संबंध में आवेदक के अनुरोध के बारे में यह स्थिति है कि उन्हें मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं और उन्हें मामलों के अनुसार आकलित और विश्लेषित करना होता है।

ख. निष्कर्ष

147. उठाए गए तर्कों, दी गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उक्त जांच परिणाम में दर्ज उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:

क. आवेदक एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है। आवेदन एडी नियमावली,1995 के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है और वह भारत में संबद्ध उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है।

ग. आवेदन में जांच समस्त संगत सूचना दी गई है और उसमें वर्तमान जांच की शुरुआत को सही ठहराने के साक्ष्य दिए गए हैं।

घ. वर्तमान मामला घरेलू उद्योग के लिए सामग्री मंदता का था। घरेलू उद्योग पीयूसी का एकमात्र उत्पादक है और जुलाई 2019 में उत्पादन शुरू किया। घरेलू उद्योग अभी भी नवजात अवस्था में है और खुद को स्थापित करने की प्रक्रिया में है। क्षमता का उपयोग 5-15% के बीच रहा है। इसके अलावा, आयातक की बाजार हिस्सेदारी भी उसी श्रेणी में है जो विषय आयात की तुलना में घरेलू बाजार के 70-80% पर कब्जा कर लेती है।

ड. संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, शेष निर्यातकों के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है और यह मार्जिन सकारात्मक तथा काफी अधिक है।

च. जांच के दौरान यह पाया गया था कि डीसीएम कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य, समयांग स्टील कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य और बीएन स्टील कंपनी लिमिटेड, कोरिया गणराज्य ने पीओआई के दौरान पीयूसी का निर्यात नहीं किया। यदि वे PUC निर्यात करते हैं, तो वे एक नए शिपर समीक्षा के लिए फ़ाइल कर सकते हैं

छ. घरेलू उद्योग को निम्नलिखित के मद्देनजर वास्तविक मंदी झेलनी पड़ी है।

i. पाटित आयातों की मात्रा बढ़ गई है और काफी अधिक है।

ii. संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रहे हैं।

iii. आवेदक के उत्पादन में पीओआई में सुधार दर्शाया है तथापि देश में भारी मांग के बावजूद क्षमता उपयोग काफी कम रहा है। तथापि, यह शून्य आधार वर्ष प्रभाव के कारण हुआ है। पीओआई के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग काफी घट गया है।

iv. घरेलू उद्योग के अनुमानित निष्पादन के मुकाबले वास्तविक निष्पादन की तुलना से पता चलता है कि वास्तविक उत्पादन और लाभ में पीओआई के दौरान क्रमश: 175-225 प्रतिशत और 350-400 प्रतिशत की गिरावट आई है।

ज. ऐसे कोई अन्य कारक नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

झ. घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है।

ञ. पाटनरोधी शुल्क लागू होने से जनहित पर कोई खास प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ग. सिफारिश

148. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरु की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, संबद्ध देशों के दूतावास, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और

कारणात्मक संबंध के पहलुओं के संबंध में सकारात्मक सूचना देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। नियमावली के अनुसार, पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरु करने और संचालित करने के बाद तथा सकारात्मक पाटन मार्जिन और ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग की वास्तविक मंदी निर्धारित करने के बाद प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है।

149. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो सके। तद्नुसार, नीचे तालिका के कॉलम सं. 7 में दी गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर लगाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उप शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7210, 7212, 7225, 7209, 7211 और 7226	इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील**	कोरया गणराज्य`	कोरया गणराज्य सहित किसी भी देश	पॉस्को समूह में शामिल पोस्को स्टीलियान कं. लिमिटेड नहीं तो डीसीएम कंपनी लिमिटेड	शून्य	एमटी	यूएसडॉ.
2.	-वही-	वही-	कोरिया गणराज्य	कोरया गणराज्य सहित किसी भी देश	डोंगकुक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड	शून्य	-वही-	-वही-
3.	-वही-	वही-	कोरिया गणराज्य	कोरया गणराज्य सहित किसी भी देश	हुंदई स्टील कंपनी	शून्य	-वही-	-वही-
4.	-वही-	वही-	कोरिया गणराज्य	कोरया गणराज्य सहित किसी भी देश	डीके डोंगशिन कंपनी लिमिटेड	शून्य	-वही-	-वही-
5.	-वही-	वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	उपरोक्त नंबर 1 से 4 के अलावा कोई भी उत्पादक	16.05	-वही-	-वही-
6.	-वही-	वही-	संबद्ध देशों से इतर कोई देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी उत्पादक	16.05	-वही-	-वही-
7.	-वही-	वही-	जापान	जापान सहित कोई भी देश	निप्पोन स्टील कारपोरेशन	शून्य	-वही-	-वही-
8.	-वही-	वही-	जापान	जापान	उपरोक्त नंबर 7 के अलावा	64.08	-वही-	-वही-

				सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक			
9.	-वही-	वही-	संबद्ध देशों से इतर कोई देश	जापान	कोई उत्पादक	64.08	-वही-	-वही-
10.	-वही-	वही-	सिंगापुर	सिंगापुर सहित कोई भी देश	कोई उत्पादक	79.73	-वही-	-वही-
11.	-वही-	वही-	संबद्ध देश के अलावा कोई देश	सिंगापुर	कोई उत्पादक	79.73	-वही-	-वही-

***विचाराधीन उत्पाद ("पीयूसी") "हॉट रोल्ड अथवा कोल्ड रोल स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद, जो निरंतर इलैक्ट्रोलिटीकली प्लेटेड अथवा जिंक के साथ कोटेड हैं, एलाइंग एलिमेंट्स से युक्त अथवा उसके बिना" हैं। विचाराधीन उत्पाद सामान्य रूप से इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील के रूप में जाना जाता है।*

विचाराधीन उत्पाद अलाय अथवा नान-अलाय स्टील हो सकता है चाहे वह प्राइम अथवा नॉन-प्राइम गुणवत्ता का हो या नहीं। विचाराधीन उत्पाद कॉयल में अथवा नॉट इन कॉयल रूप में हो सकता है। विचाराधीन उत्पाद में इलैक्ट्रोग्लवानाइज्ड स्टील की सभी किस्में शामिल हैं चाहे वे कोटेड हों या न हों, पैसिवेटेड, प्रि-ट्रिटिड, प्रि-प्रिंटिड, कलर कोटेड, थिन आर्गेनिक कोटेड, क्रोमेटेड, फासफेटेड, प्रिंटिड हो या न हो, चाहे वे कारुगेटेड अथवा प्रोफाइल्ड हो या न हो और चाहे वे एंटी-फिंगरप्रिंट ट्रीटमेंट वाले हों या न हों।

निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया गया है:

i. फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद, जो एल्युमिनियम अथवा जिंक के साथ कोटेड अथवा प्लेटेड है।

ii. फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद जो न्यूनतम 9 प्रतिशत होते हुए निकेल के साथ जिंक और निकेल के अलॉय के साथ कोटेड अथवा प्लेटेड है।

iii. हॉट-डिप ग्लेवनाइज्ड फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद।

iv. टिन-मिल फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद।

v. लेमिनेटेड इलैक्ट्रोग्लवनाइज्ड स्टील

vi. मुद्रित इलैक्ट्रोग्लवनाइज्ड स्टील

विचाराधीन उत्पाद का प्रत्याशित अं तिम प्रयोग संक्षारण से संरक्षण के लिए है और प्रमुख रूप से इलैक्ट्रोनिक उपकरणों, ऑटो अनुप्रयोगों, उपभोक्ता इलैक्ट्रानिक्स, फर्नीचर, एचवीएसी, रूफिंग और साइडिंग, सीलिंग ग्रिड, निर्माण, कार्यालय उपस्करों आदि के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाता है।

विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के एचएस कोड 7210, 7212, 7225 और 7226 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के आयात सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के एचएस कोड 7209 और 7211 के तहत भी किए गए हैं।"

घ. आगे की प्रक्रिया

150. इस सिफारिश से उत्पन्न केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2022

FINAL FINDINGS

Case No. A.D (OI)-07/2021

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of "Electrogalvanized Steel" from Korea RP, Japan and Singapore.

F. No. 6/7/2021-DGTR - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the "Anti-Dumping Rules" or "Rules" or "AD Rules");

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. M/s American Precoat Speciality Private Limited (hereinafter referred to as the "petitioner" or the "applicant" or the "domestic industry" or "DI") filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") seeking initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Flat rolled products of hot rolled or cold rolled steel that are continuously electrolytically plated or coated with zinc, with or without alloying elements" (hereinafter referred to as "Electrogalvanized Steel" or "EG steel" or "subject goods" or "product under consideration" or the "PUC") originating in or exported from Korea RP, Japan and Singapore (hereinafter referred to as "subject countries"), citing that dumped imports of the subject goods from the subject countries are causing material retardation to the establishment of the domestic industry.

2. The Authority, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant issued a public notice vide Notification No. 6/7/2021-DGTR dated 28th June 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation in accordance with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury in the form of material retardation to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed in this investigation:

i. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Rules.

ii. The Authority issued a public notice dated 28th June 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the subject countries in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers / users and the domestic industry as per the information made available to it by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules. A copy of the non-confidential version of the application was circulated to the other interested parties.

v. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the producers / exporters in their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers / exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.

vi. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the anti-dumping investigation to the following known producers/exporters in the subject countries and offered an opportunity to them to make their submissions known in accordance with Rule 6(2) of the Rules:

(i) Hyundai Steel Company

(ii) Traverse International Insulation Materials LLC

(iii) Baosteel Singapore PTE Limited

(iv) Metal One Corporation

(v) POSCO

(vi) Woosung Plating Co. Ltd.

(vii) Hanwa Co. Ltd.

(viii) Okaya and Co. Ltd.

(ix) JFE Steel Corporation

(x) Hua Jin Holding Pte Ltd.

(xi) Ewis Ante Enterprise Pte Ltd.

(xii) Pana Resources Pte Ltd.
(xiii) Yesteel Industrial
(xiv) Dong Ma Corporation
(xv) Shin Steel Co. Ltd.
(xvi) Doowon Steel Co. Ltd.
(xvii) Samin Corporation

vii. In response to the initiation notification of the subject investigation, the following producers/exporters from the subject countries have responded by filing a questionnaire response:

(i) Hyundai Corporation
(ii) LG Hausys Ltd.
(iii) B.N. Steela Co. Ltd.
(iv) Hyundai Steel Company
(v) Nippon Steel Corporation
(vi) Honda Trading Corporation
(vii) Nippon Steel Trading Corporation
(viii) NSM Coil Centre Co. Ltd.
(ix) NST Nihon Teppan Co. Ltd.
(x) Sanwa Steel Co. Ltd.
(xi) Sumitomo Corporation Global Metals Co. Ltd.
(xii) Tetsusho Kayaba Corporation
(xiii) Samyang Steel
(xiv) DK Dongshin Co. Ltd.
(xv) Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.
(xvi) Dongkuk Steel India Pvt. Ltd.
(xvii) POSCO, Korea RP
(xviii) Samsung C&T Corporation
(xix) POSCO International Corporation
(xx) Winsteel Co. Ltd.
(xxi) POSCO C&C, Korea RP
(xxii) DCM Co. Ltd., Korea RP
(xxiii) Dana Korea Co. Ltd.

viii. The Authority sent questionnaires to the following known importers / users of the subject goods in India, calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

(i) Yamaha Motor India Private Limited
(ii) Nash Industries (I) Private Limited
(iii) Automotive Ancillary Services Private Limited
(iv) Elin Electronics Limited

(v) Golkonda Engineering Enterprises Limited
(vi) Himalaya Communications Limited

ix. In response to the initiation notification of the subject investigation, the following importers/users have responded by filing a questionnaire response:

(i) Hyundai Steel Anantapur
(ii) Hyundai Steel India Private Limited
(iii) POS-Hyundai Steel Mfg (I) Private Limited
(iv) Hyundai Motor India Limited
(v) Tata Motors Limited
(vi) Whirlpool of India Limited
(vii) Honda Trading Corporation India Private Limited
(viii) Neemrana Steel Service Centre
(ix) Rajasthan Prime Steel Processing Centre Private Limited
(x) POSCO India Processing Centre
(xi) POSCO India Pune Processing Centre
(xii) LG Electronics India Private Limited

x. The following producers/exporters have not submitted the questionnaire responses but have made the legal and factual submissions during the course of the investigation:

(i) JFE Steel Corporation
(ii) Kobe Steel Limited

xi. The period of investigation (POI) for the present investigation is from 1st January 2020 to 31st December 2020. The injury investigation period for the present investigation is 2017-18, 2018-19, 2019-20 and the POI. The Authority has also considered data of the domestic industry for the post-POI period (1st January 2021 to 30th June 2021) in the present case.

xii. The applicant was authorized by the Authority to procure transaction-wise import data for the period of investigation and the preceding three years from the DGCI&S. Post initiation of the investigation, there was a change in the policy regarding dissemination of the data. The Authority procured import data from DG Systems to verify the import data submitted by the applicant. However, because of the sorting methodology adopted by DG Systems, the procured data was not comprehensive vis-à-vis the DGCI&S data submitted by the applicant.

xiii. To overcome this limitation the Authority decided to rely on the data filed by the domestic industry along with the data of the responding exporters. Given that co-operation from the exporters is quite significant, the data filed by the domestic industry coupled with the data of the responding exporters provide a reliable basis

for estimating total imports of the subject goods during the POI and related parameters thereof.

xiv. The Authority sought further information from the applicant to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation. The Authority has considered the verified data of the domestic industry in its analysis in the present case.

xv. The Authority sought further information from the other interested parties to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the other interested parties was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation. The Authority has considered the verified data of the domestic industry in its analysis in the present case.

xvi. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing COVID-19 global pandemic.

xvii. The domestic industry has submitted the financial data in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and which has been duly certified by Chartered Accountant/Cost Accountant. The non-injurious price (NIP) has been calculated on the basis of the information furnished by the domestic industry keeping in mind the principles mentioned under Annexure III to the Rules. The NIP has been worked out so as to ascertain whether duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

xviii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 19th April 2022 through video conferencing. The parties presented their views in the oral hearing and were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.

xix. The submissions made by the interested parties, arguments raised and the information provided by the various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same were supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in this disclosure statement.

xx. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and has conducted the examination on the basis of facts available.

xxi. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing the information on confidential basis were directed to provide an adequate summary of the confidential version in a non-confidential version.

xxii. *** in in this disclosure statement represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

xxiii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US $1= INR 75.02.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as follows:

"3. The product under consideration ('PUC') is 'Flat rolled products of hot rolled or cold rolled steel continuously electrolytically plated or coated with zinc, with or without alloying elements'. The product under consideration is commonly known as electrogalvanized steel.

4. The product under consideration may be either of alloy or non-alloy steel, whether or not of prime or non-prime quality. The product under consideration may be in coils or not in coils form. The product under consideration includes all types of electrogalvanized steel whether or not coated, passivated, pre-treated, pre-painted, colour coated, thin organic coated, chromated, phosphated, printed, whether or not corrugated or profiled, and whether or not having anti-fingerprint treatment.

5. The following are excluded from the scope of product under consideration:

i. Flat rolled steel products that are plated or coated with alloy of aluminium and zinc.

ii. Flat rolled steel products that are plated or coated with alloy of zinc and nickel with nickel being aimed at a minimum 11 %.

iii. Hot-dip galvanized flat rolled steel products.

iv. Tin-mill flat rolled steel products

6. The intended end use of the product under consideration is for protection from corrosion and is majorly used in the manufacturing of electronic appliances, auto applications, consumer electronics, furniture, HVAC, roofing and siding, ceiling grid, construction, office equipment etc.

7. The product under consideration is classified under HS Codes 7210, 7212, 7225 and 7226 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. However, imports of the product under consideration have also been made under HS Codes 7209 & 7211 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975."

5. During the course of investigation, Product Control Number (PCN) methodology was proposed by few interested parties for appropriate comparison. The Authority proposed the following PCN methodology on 10th August 2021:

S. No.	PCN Parameter	Description	Code
1	Coating	Bare Electrogalvanized Steel	B
		Electrogalvanized steel which is passivated, pre-painted, colour coated, thin organic coated, chromated, phosphated or printed	C

6. Interested parties were requested to provide comments to the proposed PCN methodology by 16th August 2021. The Authority issued final PCN methodology on 14th October 2021 which is noted below:

Sr. No.	PCN Parameter	Code
1	Bare Electrogalvanized Steel	A
2	Coated Electrogalvanized Steel	B
3	Laminated Electrogalvanized Steel	C

C.1. Submissions made by other interested parties

7. The other interested parties have submitted as follows regarding the scope of the PUC:

a) The applicant has stated that the major raw materials used for production of the PUC are CR coil and other chemicals and therefore, it becomes imperative to examine whether EG steel is just another form of CR steel as the Authority is already conducting a sunset review of imports of Cold Rolled/Cold Reduced flat steel products[1].

b) The grades of the PUC which are sold and exported by JFE Steel Corporation (hereinafter JFE) and Nippon Steel Corporation to India are not commercially produced or sold by the domestic industry. Further, these grades of PUC cannot be

[1] https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Initiation%20Notification%20%20%28English%29%20CRSSR%2031.03.2021%20%281%29.pdf

commercially or technically substituted with the grades produced and sold by the domestic industry. JFE is a fully integrated steel producer. This makes it possible for JFE to control the quality of substrates for the EG steel and to produce higher quality EG steel. The domestic industry purchases substrates for manufacture of EG steel. Therefore, it is estimated that the quality of the substrates of the domestic industry vary greatly. Also, it cannot do quality improvement in-house.

c) EG steel of special formability grades (deep drawing quality) with one-side coating i.e., JFE-CE-EZ, JFE-CF-EZ, JFE-CG-EZ, JFE-CGX-EZ-JEFC270E, JFEC270F, JFEC260G, SECE, SECF and SECG should be excluded from the scope of the PUC.

d) The production of one side-coated EG steel is difficult and is manufactured through a deep drawing process which requires a high level of manufacturing technology. It is used for manufacturing of fuel tanks of motorcycles and agricultural machinery.

e) The domestic industry has not mass-produced or commercially produced one-side coating during the POI or the post-POI.

f) Regarding the domestic industry's submission with respect to clarification of "coated EG steel", it is submitted that the process of coating is different from the process of passivating, pre-printing, chromating, phosphating and printing. The two processes cannot be equated and therefore, EGS which has undergone such processes cannot form part of bare EGS.

g) Automotive steel products require unique specifications and such standards are non-negotiable and non-substitutable due to very nature of the automotive industry.

h) The domestic industry has the capacity to manufacture only upto a maximum width of 1270 mm whereas JFE can manufacture upto 1850 mm. In a previous investigation,[2] the Authority has restricted the width of PUC to 1650/1250 mm as the domestic industry did not manufacture beyond 1650/1250mm. Thus, the PUC should be capped at 1270 mm width only.

i) Customers choose Nippon Steel's product due to stable quality and delivery control.

j) Colour coated, printed (referred to as high quality EGS) and laminated EGS manufactured and sold by POSCO Steeleon should be excluded from the PUC as they are not commercially or technically substitutable with the PUC manufactured by the domestic industry. The above-mentioned categories of EG Steel are primarily used in manufacturing of home appliances, wherein if the surface of the appliance is not flawless, it is treated as a defective item.

k) The domestic industry does not have the technology and machinery to manufacture laminated /pattern printed/color coated EGS used in manufacture of home appliances. The same may also be verified by conducting a plant visit at the petitioners' factory in Gujarat. Therefore, laminated /pattern printed /colour coated EGS used in manufacture of home appliances should be excluded from the scope of the PUC.

---

[2] *Anti-dumping investigation concerning imports of Flat Rolled Products of Stainless Steel from China PR, Korea RP, European Union, Japan, Taiwan, Indonesia, USA, Thailand, South Africa, UAE, Hong Kong, Singapore, Mexico, Vietnam and Malaysia,* Final Finding dated 23 December 2020*; Anti-Dumping duty investigation concerning imports of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel from China PR, Japan, Korea, European Union, South Africa, Taiwan (Chinese Taipei), Thailand and USA,* Final Finding dated 24 November 2009.

l) Film Laminated Steel Sheets ("FLSS") used in home appliances are not manufactured by the domestic industry and therefore should be excluded from the scope of the PUC.

m) The respondent's (POSCO) exports and the product manufactured by the domestic industry are not in a competitive relationship as the PUC cannot be considered a like article as defined under Rule 2(d) of the Rules.

n) A combined reading of Rule 2(b) and (d) of the Rules clearly enunciates that if particular product is excluded from the scope of the PUC, no material injury can be attributed to imports of such products.

o) Keeping in line with the previous DGTR practice[3] of exclusion of grades of the PUC not manufactured by the domestic industry, the Authority should grant the PCN exclusions claimed by JFE and NSC. In the case of *Exotic Decor Pvt Ltd vs. Designated Authority*[4], *Magnet Users Association vs. Designated Authority*[5] and *Indian Refractory Makers Association v. Designated Authority*[6] CESTAT has held that products not manufactured by the domestic producer should be excluded from the PUC as they cannot cause material injury to the DI.

p) The Authority should take into account the factors outlined by the Hon'ble CESTAT in *Merino Panel Products Ltd. v. Designated Authority*[7] and WTO panel and Appellate Body Reports[8] to ascertain whether an imported article can be categorised as like article to the domestic product or technically and commercially substitutable with the domestic product.

q) The pricing, physical and chemical properties, quality and finishing of the product manufactured by the domestic industry and that of the imported high quality EGS product differ. Further, the end uses and consumer preferences of the two products differ. A letter from Indian importers regarding the usage of high quality EGS in manufacturing of refrigerator and other such home appliances substantiates this claim. Therefore, high quality EGS should be excluded as they are not like article under Rule 2(d) of the Rules.

r) There is no clarity on what the phrase "aimed at a minimum of 11%" used in the product exclusion means.

s) During the oral hearing the, the petitioner had clarified that the phrase meant the PUC with minimum 11 % of nickel content should be excluded.

---

[3] In *Anti-dumping investigation concerning imports of "Coated Paper" originating in or exported from China PR, European Union and USA*, Final Finding dated 26 December 2018, the DGTR excluded certain products from the scope of PUC as it was not produced by the domestic industry therein. Further, in *Anti-dumping investigation concerning imports of Flat Rolled Products of Stainless Steel originating in or exported from China PR, Korea RP, European Union, Japan, Taiwan, Indonesia, USA, Thailand, South Africa, UAE, Hong Kong, Singapore, Mexico, Vietnam and Malaysia*, Final Finding dated 23 December 2020, the DGTR excluded certain grades from the scope of investigation as the domestic industry therein did not rebut the claim of the exporter (who was seeking exclusion) that certain grades cannot be produced by the domestic industry and that comparable grades have not been produced and sold by the domestic industry.

[4] Anti-Dumping Appeal No. 52233 OF 2018

[5] (2003 (157) ELT 150 (Tri.).

[6] 2009 (119) E.L.T. 319 (Tri.).

[7] (2016) (334) ELT 552.

[8] *Japan – Alcoholic Beverages* Appellate Body Report, WT/DS11/AB/R, *Japan - Alcoholic Beverages*, p. 20. *Canada – Periodicals* Appellate Body Report, WT/DS31/AB/R, *Canada – Periodicals*, p. 21

t) Nickel-zinc ratio is between 9% to 13% for nickel-zinc EGS produced and exported by Hyundai Steel Corporation. Therefore, the Authority should revise nickel content ratio to a minimum 9% while defining the exclusion.

u) LG India uses special type of EG steel, namely, laminated [VCM, vinyl coated and PVC coated, Polyethylene terephthalate (PET)] (hereinafter referred to collected as laminated PUC) EG steel for manufacture of Refrigerator front doors. The domestic industry has admitted that it does not manufacture laminated/VCM grade and nor does it have the technology to manufacture the same and therefore, LG India is compelled to import the same.

v) Laminated PUC is physically and visibly distinct from other types of the PUC as a thin layer of vinyl and PVC sheet is applied over the EG steel and is different from painted PUC which uses paint as a layer of coating on the EG steel.

w) There is significant difference in the usage of the two categories of the PUC. Laminated PUC gives a visual appeal to the final product (refrigerator) which cannot be given by any other type of the PUC.

x) Laminated PUC is also much more expensive than other types of PUC and the same can be analysed from the sample invoices.

y) LG India requires special type of painted/coated (PCM, pre-coated) EG steel for some of its refrigerator models. The domestic industry is manufacturing a different category of painted/coated PUC.

z) The imported product and the product manufactured by the domestic industry are not substitutable. In the case *Birla Periclase v. Designated Authority*[9], CESTAT had excluded the imported article as it was not a substitute of PUC manufactured in India. The Tribunal had noted that both Fused Magnesia and Sintered Magnesia are used for withstanding high temperature but Fused Magnesia being a denser mineral for refractory applications cannot be considered as a substitute of latter. Hence, excluded Fused Magnesia from the scope of the PUC.

aa) In case the Authority decides to include laminated PUC and special type of painted/coated PUC required by LG India, it is requested that a user-based exemption may be granted. Such exemption is required in the facts of the present case as the said products are not locally produced in India and has already been granted in Anti-Circumvention investigations concerning imports of Cold Rolled Flat Products of Stainless-Steel originating in or Exported from China PR, Korea, European Union, South Africa, Taiwan, Thailand and USA[10]

bb) HES-JEC270E of thickness 0.8 mm used in motorcycle, NSECC of thickness 0.5-1 mm used in automobile, SECC of thickness 1.0-2.0 mm used in automobile and NSEC270E of thickness 1.2 mm used in automobile should be excluded.

cc) With regard to exclusions sought by JFE, it is submitted that non-filing of questionnaire response does not preclude an exporter from seeking exclusions. The

[9] 2000 (116) E.L.T. 336 (Tribunal).
[10] Final Findings dated August 18, 2017, pg. 96-97.

same has been allowed by the Authority in the past as was done in the Anti-dumping investigation concerning imports of Flat Rolled Products of Stainless Steel.[11]

dd) The PUC imported by Tata Motors is a safety critical equipment in vehicle and the approval / homologation process before the ARAI itself takes more than a year with the required testing process. The fuel tanks are required to comply with the Automotive Standard 095:2007 Requirements for Metallic Fuel Tanks of Automotive Vehicles issued by the Automotive Research Association of India (ARAI). Considering the criticality of the PUC to be used in automotive applications, the same should be excluded from the scope of the PUC.

ee) Tata motors uses EG steel with a minimum nickel content of 12-14% in the manufacturing of automotive fuel tanks.

ff) The applicant has while segregating the import data has designated all PUC with ZN-NI description as NPUC. This shows that domestic industry intended to exclude PUC with nickel content meant for automotive application. The domestic industry is also not seeking relief against PUC meant for automotive application.

gg) In the absence of proper basis for fixing a threshold of 11% nickel content, the Authority should exclude all products containing nickel regardless of the percentage of nickel.

hh) EG steel used in automobiles should be of a higher quality as it is related to safety of automobile and may cause a massive recall of automobiles. Therefore, EG steel used in automobiles should be excluded from scope of PUC.

ii) Dongkuk Steel Mills Co. sells only laminated EG steel (PCN category C) which admittedly is not manufactured by the domestic industry and therefore, this product should be removed from the PUC.

C.2. Submissions made by the domestic industry

8. The domestic industry has submitted as follows regarding the scope of the PUC:

a) The product exclusion *"nickel being aimed at a minimum of 11%"* can be rephrased as "*nickel content being a* minimum of 11%".

b) EG steel is broadly used in the following industry segments/applications:
   - Automotive Sector
   - Construction and Architecture
   - Home Appliances
   - Home Entertainment
   - Food and beverage, medical devices & other miscellaneous applications

c) Hyundai Corporation has claimed that EG steel with 9-13 % can be used in automotive sector which must be verified by the Authority as EG steel having a minimum of 11% nickel content will provide the anti-corrosion properties to EG steel required for use in automotive sector. Tata Motors has also admitted during the oral hearing that it is importing EG steel having Nickel Content of 11% or more. The

[11] *Anti-dumping investigation concerning imports of Flat Rolled Products of Stainless Steel originating in or exported from China PR, Korea RP, European Union, Japan, Taiwan, Indonesia, USA, Thailand, South Africa, UAE, Hong Kong, Singapore, Mexico, Vietnam and Malaysia*, Final Finding dated 23 December 2020.

Authority should verify whether Tata Motors has imported EG steel with less than 11% nickel content. If Tata Motors has not imported EG steel with less than 11% nickel content then its request for exclusion of all products containing nickel regardless of nickel content is not justified.

d) The biggest segment where EG steel is used is automotive sector. The domestic industry intends to supply EG steel to automotive sector. In fact, the domestic industry has undertaken localisation projects for a number of types of EG steel used in the automotive sector.

e) The domestic industry has been involved in localisation projects of at least 28 products such as LED TV Backplate, kitchen chimney housing, fuel tank, audio player housing, sun roofing etc. A detailed presentation in this regard has already been provided to the Authority and has also been shared with the interested parties.

f) The domestic industry does not manufacture "laminated and/or pattern printed EG steel which is used in refrigerator front doors". The Authority may exclude these product types from the scope of the PUC. However, complete technical description of such "laminated EG steel" should be specified in the final findings if the Authority decides to exclude the same from the scope of the PUC. The following description was proposed by the domestic industry for exclusion of laminated EG steel:

> *"Bare electrogalvanized Steel which is subjected to a phosphated pre-treatment alongwith an appropriate primer and / or base coat on Topside and a primer and/or backcoat on bottom side and laminated on top side, with a printed - Vinyl / PET / ALF or LDPE film of min 50 Microns."*

g) If the Authority decides to exclude "printed EG steel" from the scope of the PUC, complete technical description of such "printed EG steel" should be specified in the final findings. The following description was proposed by the domestic industry for exclusion of printed EG steel:

> *"Bare electrogalvanized steel which is subjected to a phosphated pre-treatment along with an appropriate primer and / or coloured base coat on topside and a primer and or coloured backcoat on bottom side and printed in minimum 3 colours on top side."*

h) The quality of products manufactured by the domestic industry is at par with that of the exporters. The request for exclusion of product types due to difference in quality is without any legal basis.[12] Further, no issues have been raised by any of the customers regarding the quality of the products.

---

[12] In *DSM Idemitsu v. Designated Authority*, 2000 (119) E.L.T. 308 (Tribunal) CESTAT held as under :
"*The plea of the appellants' counsel is not convincing since he did not adduce any evidence/technical literature with reference to process of manufacture to show that product manufactured by the domestic manufacturers was different from the goods exported into India.* ***He failed to substantiate that they are not similar and interchangeable except stating that they were different grades. Difference in quality will not make an article***

i) Most of the requests for product exclusions have been made by producers/exporters from the subject countries and not by actual users in India. Therefore, there is no claim with evidence that orders have been placed on the domestic industry for the concerned product types for which exclusions are being sought but domestic industry has expressed inability to supply the concerned product types.

j) With respect to scope of the PUC in material retardation cases, DGTR Manual of Operating Practices provides that:

> *"The PUC should preferably include those items, which are produced and commercially sold in the domestic market by the respective DI. An exception could be the cases where the applicant is a new industry, who has set up facility for a new product or could be an upstream product of an existing industry and the new industry is facing difficulty in capturing market on account of dumped imports of the product."*

k) In the case of new and unestablished domestic industry, which is claiming injury in the form of material retardation to the establishment of industry, the Authority cannot apply conventional rule that all product types not produced and/or commercial sold by the domestic industry are required to be excluded from the scope of the PUC. Applying such rigid rule in case of material retardation will be inherently contradictory because a new and unestablished industry is bound to face difficulty in commencing production and/or commercial sales of all product types when dumped imports are taking place. In fact, a material retardation case can also involve a situation in which the applicant domestic industry has not commenced production of the PUC. If conventional rule regarding exclusion of product types not produced and/or commercially sold by the domestic industry is applied in such cases, no anti-dumping duty investigation can be conducted.

l) In Anti-dumping investigation concerning imports of Coated/Plated Tin Mill Flat Rolled Steel Products originating in or exported from the European Union, Japan, USA and Korea RP, Authority noted regarding request for exclusion in paragraph 15 as follows:

> *"With regard to Polymer Laminated tinplate that are Bisphenol-A/BPA Free and Chromium-free tinplate, the Authority notes as follows:*
>
> ***b. The request for exclusion of these two types of products has been made by the Japanese exporters and not by any Indian users. No evidence has been placed before the Authority by any Indian user establishing the fact that orders have been placed on the domestic industry for these***

---

as different and Designated Authority was right in observing 'that the fact that qualities may be different, does not imply that the imported products and the domestic are not like articles. *We do not find any valid reason to disturb the findings given by the Designated Authority on this issue."*

two types of products and the domestic industry has shown its inability to produce and supply these two types of products."

m) In Anti-dumping investigation concerning imports of SBR of 1500 and 1700 series from Korea RP, EU and Thailand (material retardation case), Authority noted as follows:

> *"**The current manufacturing status of a grade/grades does not erode the capability of a domestic industry to produce such grades in future when there are orders for the same and also fair play is established.** Further M/s RIL has placed on record the license to manufacture these grades depicting its capability to produce these. **Further the Authority has evaluated injury to RIL on account of material retardation.** The Authority concludes that these two grades cannot be excluded from the scope of Product under consideration."*

n) The product exclusion request of JFE Steel Corporation should not be considered as it has not filed the questionnaire response and thus cannot be treated as a cooperating exporter. Further, the grades mentioned by JFE are their own internal grades and they have not provided any equivalent Indian or international standard.

o) In the *Anti-dumping investigation concerning imports of Ammonium Nitrate, originating in or exported from Russia, Indonesia, Georgia and Iran*, final finding dated 1st August 2017, the Authority rejected the claims of exclusion of product types by the exporter from Indonesia as it had not submitted the questionnaire response and merely advanced arguments. The relevant extracts are reproduced below:

> *"22(i) As regards termination of investigation against Indonesia, **Authority notes that PT Kaltim Nitrate did not file exporter's questionnaire response and merely advanced arguments.** However, the company claimed that they have not exported the product under consideration but they did not provide any information whatsoever with regard to the product they have exported in the EQ to enable the Authority to verify their claim that the goods exported by them are beyond the scope of the product under consideration**. The Authority notes that in the absence of verifiable information with regard to the goods exported by the company, the Authority cannot satisfy itself with regard to the product exported by them and whether the same falls beyond the scope of the product under consideration.** The Authority therefore, could not establish that the imports of Ammonium Nitrate from Indonesia are not Ammonium Nitrate having density above 0.83 g/cc. However, based on the submission filed by them, the Authority notes that the anti-dumping duty,*

if levied, will attract duty only against the imports of PUC i.e. ammonium nitrate", whether prilled, granular, or in other solid form, with or without additives or coating, and having bulk density in excess of 0.83 g/cc."

p) The product exclusion request of JFE Steel Corporation for one-side coated EG steel should not be accepted. The applicant has shared purchase order, invoice and packing list to substantiate its claim that it has produced and sold one-side coated EG steel used in automobiles.

q) The product exclusion request of JFE Steel Corporation to exclude EG steel of width more than 1270mm because the domestic industry has not sold EG steel of width more than 1270 mm should not be accepted. The domestic industry has capacity to produce the products with width more than 1270 mm as well. Exclusions from the scope of the PUC based on width restriction criteria would lead to circumvention of duty as has been observed by the Authority in earlier anti-dumping investigation concerning imports of stainless-steel flat-rolled steel products

r) The product exclusion request for HES-JEC270E of thickness 0.8 mm used in motorcycles and NSECC of thickness 0.5-1 mm used in automobile requested by Nippon Steel are their own internal grades and they have not provided any equivalent Indian or international standard.

s) The product exclusion request of Nippon Steel for EG steel having thickness 1.0-2.0 mm used in automobiles cannot be accepted as the domestic industry has the capability to produce EG steel having thickness upto 1.5mm used in automobile application.

t) The PCN methodology proposed by the Authority vide notice dated 10 August 2021 provided two categories of PCNs as noted below:

S.No.	PCN Parameter	Description	Code
1.	Coating	Bare Electrogalvanized steel	B
		Electrogalvanized steel which is passivated, pre-painted, colour coated, thin organic coated, chromated, phosphated or printed	C

However, in the final PCN methodology adopted by the Authority vide notice dated 14th October 2021, the Authority has provided three categories of PCNs as noted below:

S.No.	PCN Parameter	Code
1.	Bare Electrogalvanised Steel	A
2.	Coated Electrogalvanised Steel	B
3.	Laminated Electrogalvanised Steel	C

u) In the final PCN methodology, the Authority has not included the description for "coated EG steel" PCN category, which was noted in the proposed PCN

methodology. We therefore request the Authority to clarify that the description for "coated EG steel" is the same that was noted in the proposed PCN methodology.

v) Bare EG steel falling under PCN category "A" is not a saleable product. EG steel which is saleable/marketable involves providing a layer of zinc along with mandatory layers of one or more of pre-treatments, passivations, colour coating, thin organic coating, anti-fingerprint etc to make it corrosion-free and give it the required shelf life. The Authority should scrutinize if any producer/exporter has claimed that it has sold bare EG steel (PCN category "A").

w) There cannot be product exclusion specific to exporter or importer. In the *sunset review of anti-dumping duty on cold rolled/cold reduced flat steel products of iron or Non-Alloy Steel' or other Alloy Steel of all width and thickness - not clad, plated or coated*, the Authority had noted:

> *"The Authority also notes that products cannot be excluded because they are meant for specific segment of user industry in lndia. Also, Hyundai Steel Company, Korea RP has not claimed that technical specifications or product types of these imported products are different from the goods produced and supplied by the domestic industry' Hyundai Steel Company, Korea RP has also not provided a list of grades to the other interested parties for which exclusion request has been made."*

x) For all the claims concerning exclusion of different product grades and types except laminated EG steel used in refrigerator front doors, there is not even a claim by users in India that orders have been placed on the petitioner and petitioner has shown inability to supply the product types for which the exclusion is requested. Petitioner has been involved in 28 localisation projects for various industries like home appliances, home entertainment, food & beverage, automotive, construction/architecture etc.

C.3. Examination by the Authority

9. While the issue of material retardation has been adequately dealt with in relevant paras of this disclosure statement, the Authority herein below has briefly elucidated on the said issue in a limited manner for addressing the requests of the interested parties regarding exclusion of certain product types from the scope of the PUC.

10. In a material retardation case, the scope of the PUC also depends upon the capability of the domestic industry to produce the said goods. This capability is evaluated on the basis of the project feasibility report and efforts made on technical and financial aspects by the industry. The determination of the quantum of the appropriate measure in India which follows the lesser duty rule also requires the determination of NIP of actually produced subject goods which requires taking into account the spectrum of the PUC produced by the domestic industry. The extension of a measure to goods which are yet to be commercially produced depends on the factual matrix of the case.

11. During the course of the investigation, the domestic industry has provided information with respect to localisation efforts undertaken by the domestic industry. The domestic industry has explained "localisation" to mean that most of the techno-commercial steps have been taken for developing the required variety of EG steel and that the domestic industry can supply the required variety of EG steel as and when orders are placed on them. The domestic industry claimed that they are moving ahead for localisation of at least 28 products such as LED TV backplate, kitchen chimney housing, fuel tank, audio player housing, sun roofing etc. However, at the same time they claimed exclusion of certain grades/types of PUC not being produced by them.

12. The domestic industry has confirmed that it does not manufacture "laminated EG steel" and the same can be excluded from the scope of the PUC. Therefore, the Authority accepts the claim of the other interested parties to exclude "laminated EG steel" from the scope of PUC. Laminated EG steel is not a technical description of the product type and is used in common parlance. Thus, the Authority seeks comments on the following proposal of the domestic industry regarding the description for the exclusion of laminated EG steel from the scope of the PUC:

> *"Bare electrogalvanized Steel which is subjected to a phosphated pre-treatment along with an appropriate primer and / or base coat on Topside and a primer and/or backcoat on bottom side and laminated on top side, with a printed - Vinyl / PET / ALF or LDPE film of minimum 50 Microns."*

13. Similarly, the domestic industry has also confirmed that it does not manufacture "printed EG steel" and the same can be excluded from the scope of the PUC. Therefore, the Authority accepts the claim of the other interested parties to exclude printed EG steel from the scope of the PUC. Printed EG steel is not a technical description of the product type and is used in common parlance. Thus, the Authority seeks comments on the following proposal of the domestic industry regarding the description for the exclusion of printed EG steel from the scope of the PUC:

> *"Bare electrogalvanized Steel which is subjected to a phosphated pre-treatment along with an appropriate primer and / or coloured base coat on Topside and a primer and or coloured backcoat on bottom side and printed in minimum 3 colours on top side commonly known as printed EG steel"*

14. The Authority notes that the claim of Tata Motors and Hyundai Steel Group for exclusion of EG steel used in automotive application cannot be accepted. The Authority notes that exclusion from the PUC is granted for specific product types/grades based on clear description of such product types/grades after evaluating the submissions and information on record. Tata Motors and Hyundai Steel Group have not specified any specific product type/grade for which exclusion is sought by them. Rather, they have sought exclusion in generic terms for EG steel used in automotive application. Tata Motors and Hyundai Steel Group have also not placed on record any evidence to demonstrate that orders were placed on the domestic industry for the products for which exclusion is being sought by

them and that the domestic industry has shown its inability to supply those products to the users. The claim of Tata Motors and Hyundai Steel Group for exclusion of EG steel used in automotive application is based on a generic premise that the PUC is critical for safety and may cause a massive recall of automobiles if the quality does not meet the standards. The Authority notes that EG steel is extensively used in the automotive sector and the domestic industry has supplied the PUC for some automotive applications. The Authority notes that products used in automotive, *inter alia* include fuel tank, audio player housing, sun roofing, MLS engine gasket, air bag ECU housing component, door handle support member, baffle plate, stator cover, stator housing, electronic control unit cover, bracket for cover etc.

15. POSCO Steeleon and LG India have made a request for exclusion of colour coated EG steel from the scope of the PUC. The Authority has examined the information provided by the domestic industry, which shows that the domestic industry is producing and selling colour coated EG steel. Thus, the Authority has not accepted the product exclusion request of POSCO Steeleon and LG India with respect to colour coated EG steel.

16. LG India has requested for an importer-specific exclusion of painted EG steel from the scope of the PUC. The Authority has examined the information provided by the domestic industry, which shows that the domestic industry is producing and selling painted and colour coated EG steel. Thus, the Authority has not accepted product exclusion request of LG India with respect to painted EG steel.

17. Nippon Steel has made a request for exclusion of HES-JEC270E of thickness 0.8 mm used in motorcycle, NSECC of thickness 0.5-1 mm and SECC of thickness 1.0-2.0 mm used in automobile. The Authority notes that the description of the grades for which exclusion is being sought by Nippon Steel are their own internal specifications and they have not provided any equivalent Indian or international standards. Also, no evidence has been placed before the Authority by any interested party establishing the fact that orders have been placed on the domestic industry for these grades and the domestic industry has shown its inability to produce and supply these types of products. The Authority notes that the domestic industry has submitted that it has the capability to produce EG steel of thickness of upto 1.5 mm. Thus, the Authority has not accepted the product exclusion request of Nippon Steel.

18. JFE Steel Corporation, Japan has made a request for exclusion of EG steel of special formability grades (deep drawing quality) with one-side coating i.e. JFE-CE-EZ, JFE-CF-EZ, JFE-CG-EZ, JFE-CGX-EZ-JEFC270E, JFEC270F, JFEC260G, SECE, SECF and SECG from the scope of the PUC. The Authority notes that JFE Steel Corporation has not participated in the present investigation by filing a questionnaire response. Therefore, the Authority is not in a position to ascertain if JFE Steel Corporation has even exported those grades to India for which it is seeking exclusion. Further, the description of the grades for which exclusion is being sought by JFE Steel Corporation are their own internal specifications and they have not provided any equivalent Indian or international standards. Also, no evidence has been placed before the Authority by any interested party establishing the fact that orders have been placed on the domestic industry for these

grades and the domestic industry has shown its inability to produce and supply these types of products. The Authority also notes that the domestic industry has provided evidence of sales made by them for one-side coated EG steel used in automobiles. This shows that the domestic industry has commercially produced and sold one-side coated EG steel. Therefore, the Authority has not accepted the product exclusion request of JFE Steel Corporation.

19. JFE Steel Corporation has also requested for exclusion of EG steel of width above 1270 mm from the scope of the PUC. As JFE Steel Corporation has not filed the questionnaire response, the Authority is not in a position to ascertain if JFE Steel Corporation has even exported EG steel of width above 1270 mm to India for which it is seeking exclusion. Exclusions from the scope of the PUC based on width restriction criteria could also lead to circumvention of duty. Therefore, the Authority has not accepted the product exclusion request of JFE Steel Corporation.

20. The Authority notes that the phrase "*nickel being aimed at a minimum of 11%"* means EG steel having at least 11% nickel content.

21. The Authority notes that Hyundai Steel Group has stated that it has exported products that have zinc-nickel content in the ratio of 9-13% and therefore, minimum nickel content should be prescribed as 9% for excluded product instead of 11%. The Authority has examined the claim of Hyundai Steel Group and found some instances where it has exported the products to India having nickel content between 9-11%. The Authority, therefore, accepts the claim of Hyundai Steel Group to exclude products having nickel content of minimum 9% instead of 11% as noted in the initiation notification.

22. The Authority has received comments on the disclosure statement regarding the proposed definition of exclusions from the PUC. The requests of the parties contained too many technicalities which were not substantiated by any documentary evidence and therefore have not been accepted by the Authority. To accommodate the differing views, the Authority has decided to define the exclusions in a generic manner and have been dealt in paras below.

23. Accordingly, the revised scope of product under consideration in the present investigation is as under:

> *The product under consideration ('PUC') is 'Flat rolled products of hot rolled or cold rolled steel continuously electrolytically plated or coated with zinc, with or without alloying elements'. The product under consideration is commonly known as Electrogalvanized steel.*
>
> *The product under consideration may be either of alloy or non-alloy steel, whether or not of prime or non-prime quality. The product under consideration may be in coils or not in coils form. The product under consideration includes all types of Electrogalvanized steel whether or not coated,*

passivated, pre-treated, pre-painted, colour coated, thin organic coated, chromated, phosphated, printed, whether or not corrugated or profiled, and whether or not having anti-fingerprint treatment.

The following are excluded from the scope of product under consideration:

i. Flat rolled steel products that are plated or coated with alloy of aluminium and zinc.
ii. Flat rolled steel products that are plated or coated with alloy of zinc and nickel with nickel content being a minimum 9%.
iii. Hot-dip galvanized flat rolled steel products.
iv. Tin-mill flat rolled steel products
v. Laminated Electrogalvanized Steel.
vi. Printed Electrogalvanized Steel.

The intended end use of the product under consideration is for protection from corrosion and is majorly used in the manufacturing of electronic appliances, auto applications, consumer electronics, furniture, HVAC, roofing and siding, ceiling grid, construction, office equipment etc.

The product under consideration is classified under HS Codes 7210, 7212, 7225 and 7226 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. However, imports of the product under consideration have also been made under HS Codes 7209 & 7211 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975.

24. The Authority notes that in the PCN methodology prescribed by the Authority on 14th October 2021, the Authority had prescribed three PCN categories which are mentioned as follows:

Sr. No.	PCN Parameter	Code
1	Bare Electrogalvanized Steel	A
2	Coated Electrogalvanized Steel	B
3	Laminated Electrogalvanized Steel	C

25. The domestic industry has submitted that bare EG steel or PCN category A is not a saleable product per se. The EG steel which is saleable/marketable involves providing a layer of zinc along with mandatory layers of one or more of pre-treatments, passivations, colour coating, thin organic coating, anti-fingerprint etc. EG steel with stand-alone zinc plating/coating cannot sustain the vagaries of weather, requisite shelf life, post forming operations, storage and shipment. Thus, the complete process for making EG steel,

includes one of the processes such as passivation, pre-treatment, thin organic coating, anti-fingerprint etc. in addition to base zinc.

26. Based on the submissions made by the domestic industry, the Authority examined whether foreign producers/exporters have shown exports of bare EG steel or PCN category A in their questionnaire response. It was noted that only few producers/exporters had reported exports of bare EG steel or PCN category A. The Authority discussed this issue with the producers/exporters who had reported exports of bare EG steel or PCN category A. During the discussions it was noted that the bare EG steel or PCN category A reported by them in their questionnaire response does not have only zinc coating. On top of zinc coating, some or the other process or additional coating is also done to provide requisite shelf life to the product.

27. Therefore, the Authority is proposing to examine only PCN category B 'Coated Electrogalvanized Steel".

28. The Authority notes that there is no known difference in the product under consideration produced by the Indian industry and exported from the subject countries. The product under consideration produced by the Indian industry and imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical characteristics, manufacturing process and technology, function and uses, product specifications, pricing, distribution, and marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject countries within the scope and meaning of Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. Submissions of other interested parties

29. The other interested parties have submitted the following with regard to the scope of the domestic industry and its standing:

a) The applicant has not disclosed either to the Ministry of Corporate Affairs nor to the Good and Services Tax Portal that it deals in EG steel falling under HS codes 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 and 7226. This fact raises questions on the eligibility of the domestic industry. If the Authority consider the applicant as an eligible domestic industry, then it must provide an explanation as to why the applicant did not report the turnover to the authorities.

D.2. Submissions of the domestic industry

30. The domestic industry has submitted as follows with regard to the scope of the domestic industry and is standing:

a) The applicant started commercial production of subject goods in July 2019. Prior to this, India had been fully dependent on imports of the subject goods for its domestic demand.

b) The applicant, being the first and the only producer of the product under consideration, holds 100% share in the total domestic production of the subject goods in India.
c) The domestic industry has not imported the subject goods from the subject countries and is also not related to any producers/exporters or importers of subject goods in India.
d) The evidence available on record indicates that the applicant satisfies the requirements of standing as per Rule 2(b) and Rule 5 of the Rules.
e) The domestic industry has provided the GST registration certificate which clearly mentions that the domestic industry deals in EG steel (HSN code 7210).

D.3. Examination by the Authority

31. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

32. The present investigation has been initiated pursuant to a petition filed by American Precoat Speciality Private Limited as the sole producer of the subject goods in India. The petitioner started commercial production in July 2019.

33. The Authority notes that the present application has been filed for examination of the material retardation to the establishment of an industry. The Indian industry for the product under consideration is at a nascent stage and is yet to establish itself in the market. As indicated by the applicant, there are no other producers of the PUC in India. The applicant is the sole producer of the subject goods, and therefore, holds 100% of the share of total domestic production of the subject goods.

34. None of the interested parties have contested the claim of the applicant that it is the sole producer of the subject goods in India. The applicant has not imported the subject goods from subject countries and is also not related to any producers/exporters or importers of subject goods in India.

35. The Authority notes the claim of interested parties regarding the non-submission of certain documents with respect to the production of the PUC before the Ministry of Corporate Affairs and GST Authority. The investigating team has conducted an on-site verification of the domestic industry and ascertained that the applicant has been producing the PUC. The interested parties can raise this issue before the appropriate forum. Accordingly, the Authority, therefore, holds that the applicant constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions of other interested parties

36. The other interested parties have submitted as follows with regard to confidentiality:

a) The petition filed by the domestic industry does not disclose certain essential information which would allow the respondents to adequately make their case and has not conformed to the requirements established under Rule 7 of the Rules and Trade Notice Nos. 10/2018 and 1/2013.
b) The domestic industry has claimed excessive confidentiality in its application regarding the costing information. The Hon'ble Supreme Court in Sterlite Industries (India) Ltd. v. Designated Authority[13] and Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority and Ors.[14] has observed that "…*confidentiality under Rule 7 is not something, which must be automatically assumed*" and that "…*party has also to satisfy the DA that the matter is really confidential*."
c) The non-confidential version of the petition does not allow the interested parties to exercise their right to defence.
d) Proforma IV A and IV B have not been filed as per the prescribed format and are therefore, deficient.
e) Excessive confidentiality has been claimed over demand figures, NIP, product brochure, financial statement and with regard to actual vis-a vis projected performance. No substantial reason has been forwarded to support such claims.
f) The petitioner has not provided any details in the non-confidential version regarding comparison performed by it with respect to actual versus projected performance Accordingly, the Authority should direct the petitioners to provide the details to the respondents.
g) The exporters/producers have provided all the necessary information in both confidential and non-confidential versions and, therefore, the claim of excessive confidentiality is false.
h) The petitioner's claims regarding sales channel, sales negotiation process and details of related companies involved in the PUC are unfounded in law and are not required as per Trade Notice No. 10/2018.
i) The applicant has not addressed any of the claims raised by the Japanese mills with regards to their excessive confidentiality claims.
j) POSCO Steeleon and its unrelated exporters have duly filed their questionnaire responses in accordance with Rule 7 and Trade Notice 10/2018 and the domestic industry has not demonstrated how the questionnaire responses are in violation of requirements under the Rule. Further indexation of data has been provided wherever it was possible.

[13] (2006) 10 SCC 386.
[14] (2006) 10 SCC 368.

k) DK Dongshin Co. Korea and Samyang Co., Korea have duly filed the questionnaire responses in accordance with Rule 7 and Trade Notice 10/2018 and certain portions of information have been claimed confidential by adducing proper reasons which has not been contested by the petitioner.
l) Hyundai Corporation has adhered to Rule 7 and relevant trade notice and has accordingly filed the questionnaire responses.
m) LG Hausys Ltd. has adhered to the guidelines of the questionnaire format and has clearly provided indexed figures wherever it was possible.
n) As the information regarding annual account and balance sheet of the company can be obtained after payment of prescribed fee to MCA there is no requirement for treatment of such information as confidential.

E.2. Submissions of the domestic industry

37. The domestic industry has submitted as follows with regard to the confidentiality:

a) The petitioner has filed all information and prepared the non-confidential versions in accordance with the requirements laid down in Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September 2018.
b) Non-confidential version of submissions provided by the petitioner have all the information to permit reasonable understanding of the substance of the confidential information contained therein.
c) The confidentiality claims of producers/exporters in subject countries are far more egregious.
d) The Authority has not found any claim of confidentiality of the domestic industry to be inadequate and has not requested disclosure of any specific information subsequent to the filing of the application.
e) The petitioner submits that transaction wise data was obtained by the petitioner from the DGCI&S by giving an undertaking that the data will not be shared by the petitioner with any other third party nor placed/published in public domain.

E.3. Examination by the Authority

38. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by the various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7).

39. With regard to confidentiality of the information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

> *"**7. Confidential Information**:*
> *(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub -rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a*

confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the interested parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."

40. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regards to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

41. Under Section 9A(1)(c) of the Act, the normal value in relation to an article means:

> *"…….*
> *(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
>
> *(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
>
> *(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
> *(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*
>
> *Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin."*

F.1. Submissions of other interested parties

42. The other interested parties have submitted as follows:

a) The normal value determined in the present case is inappropriate as it is not based on documentary evidence about prevailing price in the subject countries and the domestic industry has not made efforts to obtain prevailing price in the subject countries.

b) NSC and its corresponding traders have submitted information with the Authority as per the prescribed formats. It is requested that the Authority consider this information for calculation of individual dumping margin and landed price.

c) Despite raising the issue with respect to non-filing of PCN-wise information including the PCN-wise dumping and injury margin during the oral hearing, the petitioner has not filed the same. If the petitioner has not filed the same even after six months of filing deadline, the same should not be accepted at this stage and the investigation should be terminated immediately.

d) If the Authority has received PCN-wise information from the petitioner, the Authority should confirm the same and the information should be shared immediately with the interested parties.

e) In cases where PCNs are prescribed, the dumping and injury margin are determined PCN wise to ensure an apple-to-apple comparison which is a well-settled issue.

f) DK Dongshin Co., Korea has submitted its data and the Authority may determine the individual margin based on data file through EQR.

g) Further DK Dongshin CO., Korea has exported the PUC directly to India and there have been no related importer or exporter in the chain.

h) Samyang Steel has made only 4-5% of exports through an unrelated exporter and the value chain is complete as per the requirements under the Rules. It has submitted its data and the Authority may consider the same for determining an individual dumping margin.

i) DCM Co. Ltd. has submitted information with the Authority as per the prescribed formats. It is requested that the Authority consider this information for calculation of export price, individual dumping margin and landed price.

j) POSCO Steeleon and POSCO Korea RP have made available all information with the Authority as per the prescribed formats. It is requested that the Authority consider this information for calculation of export price, individual dumping margin and landed price.

k) No plausible rationale has been provided by the domestic industry regarding the usage of international price of raw materials based on import price into India nor any justification has been provided as to how such prices reflect the cost of production in Japan.

l) The adjustment made to the cost are based on experience of the domestic industry and no reason has been given as to how such adjustments are reflective of the cost of production in Japan.

m) No evidence has been adduced regarding the adjustments made under the heads of ocean freight, marine insurance, port expenses, inland freight, handling charges, commission, and bank charges. In particular the adjustments claimed against CIF is abnormally high and the Authority should verify the same.

n) The domestic industry has admitted itself as a new industry and has to deal with miscellaneous start-up costs and inefficiencies and therefore, domestic industry's experience cannot be the basis for construct normal value.

o) Further, all such adjustments have been claimed as confidential and thereby, prevented the other interested parties from submitting meaningful rebuttals to such claims. In such a case the objective of a "fair comparison" as enshrined in Art. 2.4 of the WTO Agreement on Anti-dumping (hereinafter referred to as the AD Agreement)

is not possible and would also run afoul of the requirements of Art. 5.2 of the AD Agreement as well as Rule 5(2) of the Rules.

p) Adjustments made to arrive at the ex-factory export price have not been supported by evidence.

q) The Authority must direct the domestic industry to revise the import data as it includes data of products that are not manufactured by the domestic industry. Accordingly, the domestic industry should be directed to share the same.

r) The import price of cold-rolled steel from the subject countries is lower than the import price of EG Steel. The applicant has not taken into account the fact that cold-rolled steel is sold in various grades and therefore, it would be improper to compare the average prices of cold rolled steel and EG steel.

s) EG Steel is manufactured by using low grade CR Steel and therefore, average price of CR steel is not representative as it includes the price of high-grade CR steel as well.

t) The petitioner has made a monthly comparison of prices CR steel and EG steel from Japan and Korea RP during the POI and concluded that prices of CR steel is much higher than that of EG steel and has thereafter, relied on the sunset review conducted by Authority regarding "cold rolled/cold reduced flat steel products"[15] to conclude that dumping margin would be even higher in the present investigation. It is submitted that each investigation is different and examination of dumping and injury has to be performed independently. Further, without ascertaining the nature of prices (i.e. whether they are spot or contract) a fair comparison of prices of EG steel and CR steel cannot be done.

u) The non-participation of an unrelated producer cannot hamper the rights of a participating producer to seek an individual margin.

v) The domestic industry has requested the Authority to adopt sampling methodology for exporters from Korea RP. It is submitted that the domestic industry cannot request and it is the Authority's prerogative to do so for administrative convenience.

w) As per Rule 17(3) of the Rules, the Authority if it wishes to sample exporters and producers must consult and obtain consent of the exporters and producers of the subject country.

x) Furthermore, in case such sampling becomes necessary, the Authority must inform the exporters and producers within 80 days of the issuance of initiation notification i.e. at the initial stage of the investigation and not after the oral hearing has been conducted.

y) As the producers and exporters from Korea RP export different grades of the PUC, the imports are not homogenous, a sampling exercise will defeat the requirement of objective examination as requirement Art. 3.1 of AD Agreement and Rule 11(2) of the Rules.

z) The Authority should exclude laminated EG steel out of the PUC which would automatically rule out several exporters and thereafter, the Authority would not need to resort to sampling methodology.

---

[15] Final Findings in sunset review investigation concerning imports of "Cold Rolled/cold reduced flat steel products of iron or Non-Alloy Steel' or other Alloy Steel of all width and thickness - not clad, plated or coated" originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP and Ukraine dated 14th September 2021.

F.2. Submissions of the domestic industry

43. The domestic industry has submitted as follows:

a) Efforts were made to get information about the cost of production and domestic selling price for the subject goods in the subject countries. As the product under consideration is classified under multiple HSN codes, the petitioner was not able to obtain the accurate information regarding the export price of the subject goods from the subject countries to an appropriate third countries for determination of normal value.

b) The petitioner has constructed the normal value in the following manner:

   i. **Raw materials and other consumables:** International price of raw material [CR flat steel based on import prices into India published by the Ministry of Commerce on their website https://commerce.gov.in/trade-statistics has been adopted and considered for construction of normal value. The price of coating material has been adopted based on domestic industry's experience. The raw material consumption has been taken on the basis of domestic industry's experience.

   ii. **Other Manufacturing Costs/ Conversion Costs:** Other manufacturing costs have been considered based on the experience of the domestic industry.

   iii. **SGA Costs and Finance costs:** SGA costs and finance costs have been considered based on the experience of the Domestic Industry.

   iv. **Profit Margin:** A profit margin of 5% has been considered for working out the normal value.

c) The Japanese mills have not provided any alternative source of information that could have been relied upon by the petitioner to estimate the normal value and the export price.

d) JFE Steel Corporation and Kobe Steel Corporation had the opportunity to participate and provide their actual information to the Authority for determination of the normal value. However, both these companies have taken a cautious decision not to provide such information even when both these producers put together have more than 70% share in total exports of the PUC from Japan to India.

e) NSC has filed questionnaire response and therefore, the burden of proof is upon NSC to demonstrate the appropriateness of its cost of production, domestic selling price and export price as submitted in the questionnaire response.

f) Import price of the subject goods from subject countries is lower than the import price of cold rolled steel flat products (CR steel).

g) A review of the questionnaire responses filed by producers/exporters regarding their domestic sales, exports to India shows that India is a focus market for them and they have intensified dumping in the POI not allowing the domestic industry to establish itself in the Indian market. For most of the participating producers/exporters from the subject countries, there domestic sales have reduced but their exports to India have increased.

h) Questionnaire response of some traders/importers are completely confidential. Non-confidential version of Appendix 1 of these companies is blank.

i) The Authority may consider adoption of sampling methodology for co-operating producers from Korea RP.

j) Exports to India from Korea RP and Japan involve related traders, unrelated traders, as well as related importers in India. It is not known from the review of non-confidential version of questionnaire response filed by the interested parties that whether all related entities involved in the production of the subject goods and all related/unrelated entities involved in exports to India have participated and whether the export value chain is complete. Thus, the Authority should examine the following:

   i. Whether all related entities involved in production and all related/unrelated entities involved in exports to India have participated?
   ii. Whether exporters from Korea RP followed different pricing for related importers vis-a-vis unrelated importers? (targeted dumping).
   iii. Whether exporters export the subject goods to India at a higher price and their related party resells the subject goods at a loss?
   iv. Whether related/unrelated trader have recovered all their expenses and earned reasonable profits for exports to India? (middleman dumping).

k) Dumped imports from the subject countries are substantial.

l) Price offered by customers to applicant for EG steel are at par or lower than CR steel prices. The customers quote the low price of imported EG steel and ask the applicant to match the price of the imported EG steel.

F.3. Examination by the Authority

44. The Authority had sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide the information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters from the subject countries have filed exporter's questionnaire responses:

   i. Hyundai Corporation
   ii. LG Hausys Ltd.
   iii. B.N. Steela Co. Ltd.
   iv. Hyundai Steel Company
   v. Nippon Steel Corporation
   vi. Honda Trading Corporation
   vii. Nippon Steel Trading Corporation
   viii. NSM Coil Centre Co. Ltd.
   ix. NST Nihon Teppan Co. Ltd.
   x. Sanwa Steel Co. Ltd.
   xi. Sumitomo Corporation Global Metals Co. Ltd.
   xii. Tetsusho Kayaba Corporation
   xiii. Samyang Steel
   xiv. DK Dongshin Co. Ltd.

xv. Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.
xvi. Dongkuk Steel India Pvt. Ltd.
xvii. POSCO, Korea RP
xviii. Samsung C&T Corporation
xix. POSCO International Corporation
xx. Winsteel Co. Ltd.
xxi. POSCO C&C, Korea RP
xxii. DCM Co. Ltd., Korea RP
xxiii. Dana Korea Co. Ltd.

45. The Authority has analysed the submissions made by the interested parties including the domestic industry.

46. The Authority notes the sampling request made by the domestic industry with respect to importers from Korea RP. Such a request cannot be entertained at this belated stage of investigation and keeping in view the factual matrix of the investigation such an exercise is not appropriate.

Korea RP

DCM Co. Ltd., Korea RP

47. The Authority notes that DCM Co. Ltd., Korea RP has only exported the excluded category of EG steel i.e. laminated EG steel to India and therefore, the Authority has not determined individual dumping margin and injury margin for DCM Co. Ltd.

Samyang Steel Co., Ltd., Korea RP

48. The Authority notes that Samyang Steel Co., Ltd., Korea RP has only exported the excluded category of EG steel i.e. laminated EG steel to India and therefore, the Authority has not determined individual dumping margin and injury margin for Samyang Steel Co., Ltd., Korea.

BN Steela Co.Ltd., Korea RP

49. The Authority notes that BN Steela Co. Ltd., Korea RP has only exported the excluded categories of EG steel i.e. PCN category B (printed pre-painted EG steel) and PCN category C to India through an unrelated trader LG Hausys Ltd., Korea RP. Accordingly, no separate normal value and ex-factory price has been determined for BN Steela Co., Ltd., Korea RP.

50. **DK Dongshin Co., Ltd., Korea RP (Producer/Exporter)**

Determination of normal value

i. Based on the information furnished in the exporter questionnaire responses, the Authority notes that DK Dongshin Co., Ltd., is a producer cum exporter of the subject goods from Korea RP. As noted, Dongshin has exported the subject goods directly to its unrelated customers in India. It has sold coated and laminated EG Steel in the domestic market as well as exported the same to India during the POI. However, information pertaining to only coated EG steel is utilised for the purpose of present investigation based on the scope of the PUC as determined herein above.

ii. Dongshin has sold *** MT of the Coated Electro Galvanized Steel in the domestic market during the POI whereas, it has exported ***MT of the coated EG steel to India. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. If profit making transactions are more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales are being considered for the determination of the normal value and in cases, profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. In the present case since only ***% of domestic sales are profitable hence profitable domestic sales have been considered to determine normal value. The Company has claimed adjustments on account of credit cost and inland transportation and the same is allowed by the Authority. Accordingly, the normal value at ex-factory level for Dongshin has been calculated and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Determination of export price

i. It is noted that DK Dongshin Co., Ltd has exported *** MT of coated EG steel to India during the POI. The Authority has verified the response filed by DK Dongshin Co., Ltd. Dongshin has claimed adjustment on accounts of ocean freight, marine insurance, port expenses, credit cost, claim expenses and inland transportation and the same have been allowed by the Authority.

ii. Accordingly, the export price for DK Dongshin Co. Ltd., Korea has been determined based on the weighted average export price to India, and the same is mentioned in the dumping margin table below.

51. **Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. Korea RP**

Determination of normal value

i. During the POI, Dongkuk Steel Mill Co., Ltd., Korea RP, has sold ***MT of subject goods of Invoice value ***KRW in the domestic market to unrelated parties. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. If profit

making transactions are more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales are being considered for the determination of normal value and in cases, profitable transactions is less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. In the present case since only ***% of domestic sales are profitable hence profitable domestic sales have been considered to determine normal value.

ii. Dongkuk Steel Mill Co., Ltd., Korea RP, has claimed adjustment on account of early payment discount, inland transportation, credit cost, packing cost, indirect selling expense and claim expenses and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, PCN-wise normal value at ex-factory level for Dongkuk Steel Mill Co., Ltd., Korea RP, has been determined and the same is shown in the dumping margin table below.

Determination of export price

i. During the POI, Dongkuk Steel Mill Co., Ltd., Korea RP, has sold ***MT of subject goods of invoice value ***US$ directly to related/unrelated parties in India and indirectly through two unrelated traders namely Hyundai Corporation, Korea RP and CORE STL. It is further noted that out of these two traders CORE STL, has not filed its exporters questionnaire response with the Authority, which constitute only ***% of the total exports to India made by Dongkuk Steel Mill Co., Ltd., Korea RP, hence the same the same has not been considered for the final determination.

ii. Dongkuk Steel Mill Co., Ltd., Korea RP, has claimed adjustment on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost, packing expenses, indirect selling expense and bank charges and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, PCN-wise export price at ex-factory level for Dongkuk Steel Mill Co., Ltd., Korea RP, has been determined and the same is mentioned in the dumping margin table below.

52. **Hyundai Steel Company, Korea RP**

Determination of normal value

i. During the POI, Hyundai Steel Company, Korea RP, has sold ***MT of subject goods of Invoice value ***KRW in the domestic market to unrelated/related parties. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. If profit making transactions are more than 80% of the total sales, then all the transactions in the domestic sales has been considered for the determination of normal value and in cases, profitable transactions is less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. In the present case since only ***% of domestic

sales are profitable hence only profitable domestic sales have been considered to determine the normal value.

ii. Hyundai Steel Company, Korea RP, has claimed adjustment on account of ocean freight, insurance, inland transportation and credit cost and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, PCN-wise normal value at ex-factory level for Hyundai Steel Company, Korea RP, has been determined and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Determination of export price

i. During the POI, Hyundai Steel Company, Korea RP, has sold ***MT of the subject goods of invoice value ***US$ directly to related parties in India namely Hyundai Steel India Pvt. Ltd., Hyundai Steel Anantapur Private Limited and indirectly to India through one unrelated trader namely Hyundai Corporation, Korea RP.

ii. Hyundai Steel Company, Korea RP, has claimed adjustment on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost and any other deduction(bank charges) and the same have been allowed by the Authority. Accordingly, PCN-wise export price at ex-factory level for Hyundai Steel Company, Korea RP, has been determined and the same is shown in the dumping margin table below.

53. **POSCO, Korea RP**

Determination of normal value

i. POSCO Co., Ltd is a listed company (joint-stock corporation) in Korea RP. During the POI, POSCO Co., Ltd has sold *** MT of subject goods having invoice value *** KRW to related and unrelated parties. Based on their response, it is noted that while their domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market when compared to exports to India for all the PCNs, the product sold in the domestic markets is not similar to the product exported to India. Accordingly, there were no domestic sales or no profitable domestic sales or the domestic sales were insufficient of comparable product. Thus, normal value was constructed based on the cost of production of the products exported to India along with reasonable addition for profits.

ii. POSCO Co., Ltd has claimed adjustments on account of early payment discount, packing cost, credit cost and inland freight and the same have been allowed by the authority. Accordingly, weighted average normal value at ex-factory level has been determined and the same is shown in the dumping margin table below.

Determination of export price

i. POSCO Co., Ltd. has exported *** MT of the subject goods to India indirectly through related and unrelated exporters. It has filed exporters questionnaire response along with its related exporter namely, POSCO International Corp., Korea RP. Further, POSCO Co., Ltd has also exported some quantities through unrelated

trader which has not filed its questionnaire response with the Authority. However, it is also noted by the Authority that exports to India made through non-cooperating unrelated parties are very insignificant in terms of total exports to India. The Authority has taken lowest ex-factory export price of cooperating export chain as ex-factory export price of non-cooperating unrelated trader for each PCN.

ii. The related exporter of POSCO Co., Ltd has further sold the subject goods to related processors/importers of POSCO Co., Ltd, Korea RP, namely POSCO-India Processing Center Private Limited and POSCO India Pune Processing Center Pvt. Ltd. All these related parties have also filed end-user questionnaire responses.

iii. It is noted from the response filed by above mentioned POSCO Co., Ltd's subsidiaries in India that, one of them has incurred losses during the sale of the subject goods imported from their parent company i.e., POSCO Co., Ltd. through different trading channel as mentioned above. As its sales price of subject goods are lower than its purchase price, suitable adjustment has been made from POSCO Co., Ltd's landed price and net export price. Further adjustments have been allowed on account of ocean freight, credit cost, port and other related expenses, insurance, bank charges and packing costs. The weighted average export price has been determined at ex-factory level and the same is shown in the dumping margin table below.

54. **POSCO SteeLeON Co., Ltd, Korea RP**

Determination of normal value

i. POSCO SteeLeON Co., Ltd (erstwhile known as POSCO Coated and Color Steel Co. Ltd.), Korea RP is a part of the POSCO Group. During the POI, POSCO SteeLeON Co., Ltd has sold *** MT of subject goods having invoice value *** KRW to related and unrelated parties. Based on their response, it is noted that their domestic sales are in sufficient quantity in the domestic market when compared to exports to India for all the PCNs. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit making transactions for particular PCN are more than 80% then the Authority has considered all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value and in cases, where profitable transactions for particular PCN are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value. Wherever, there were no domestic sales or no profitable domestic sales or the domestic sales were insufficient of particular PCN, normal value was constructed based on cost of production along with reasonable addition for profits. In the present case since only *** % of domestic sales are profitable hence profitable domestic sales have been considered to determine normal value.

ii. POSCO SteeLeON Co., Ltd has claimed adjustments on account of packing cost, credit cost and inland freight and the same have been allowed by the

authority. Accordingly, weighted average normal value at ex-factory level has been determined and the same is shown in the dumping margin table below.

Determination of export price

i. POSCO SteeLeON Co., Ltd has exported *** MT of the subject goods to India indirectly through unrelated exporter namely Samsung C&T Corporation, Korea RP without involvement of any related importer/processor. POSCO SteeLeON Co., Ltd. and Samsung C&T Corporation have filed exporters questionnaire response separately.

ii. Adjustments have been allowed on account of credit cost, port and other related expenses, bank charges and packing costs. The weighted average export price has been determined at ex-factory level and the same is shown in the dumping margin table below.

Normal value and export price for all other producers and exporters

55. The Authority notes that no other producer/exporter from Korea RP has responded to the Authority in the present investigation.

56. In view of non-cooperation, the Authority has determined normal value for all non-cooperating producers on price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

57. With regard to the export price, in view of non-cooperation of the producers/exporters, the Authority determined export price for all non-cooperating producers as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, commission and bank charges. The normal value and export price so determined for all non-cooperating producers and exporters from Korea RP is mentioned in the dumping margin table.

Japan

58. **Nippon Steel Corporation**

Determination of Normal Value

i. During the POI, Nippon Steel Corporation ("NSC") produced and sold the PUC to related/unrelated traders/users in the domestic market. The Authority notes that two related entities of NSC i.e., Nippon Steel Trading Corporation and NST Nihon Teppan have filed their questionnaire response. Further, the related re-sellers of Nippon Steel Trading Corporation i.e., Sanwa Steel Co., Ltd., Tetsusho Kayaba Corporation, and NSM Coil Center Co., Ltd have also filed their responses. It is therefore seen that NSC and its related traders constituting about *** % of the total domestic sales of NSC that have participated and filed their questionnaire responses. The domestic sales made to non-cooperative related parties are therefore insignificant in terms of total domestic sales. The Authority

has accordingly determined the normal value based upon the total domestic sales. The domestic sales of NSC are also found to be in sufficient volumes when compared with exports to India.

ii. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. For each PCN, if profit-making transactions are more than 80%, then the Authority has considered all the transactions in the domestic market, and in cases where profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales have been taken into consideration for the determination of the normal value. In the present case since only *** % of domestic sales are profitable hence profitable domestic sales have been considered to determine normal value.

iii. NSC has claimed adjustments on account of inland freight, inland insurance, storage cost, rebate/discounts, credit cost, and warranty. The Authority has accepted the adjustments claimed based on verified information. The normal value at the ex-factory level for NSC has been determined accordingly, and the same is shown in the dumping margin table below.

Determination of Export Price

i. The Authority notes that, during the POI, NSC has exported a total quantity of *** MT, through related/unrelated traders namely Nippon Steel Trading Corporation (related trader), Honda Trading Corporation (unrelated trader), and Sumitomo Corporation Global Metals Co., Ltd (unrelated trader).

ii. NSC and its related/unrelated trading companies, Nippon Steel Trading Corporation, Honda Trading Corporation, and Sumitomo Corporation Global Metals Co., Ltd have filed their questionnaire responses. The related traders/importers of the aforementioned companies i.e., Tetsusho Kayaba Corporation, Neemrana Steel Service Center India Pvt. Limited, Rajasthan Prime Steel Processing Center Pvt. Ltd and Honda Trading Corporation India Pvt Ltd have also filed their questionnaire responses.

iii. The sales made by NSC through these companies constitute *** % of the total exports to India. Accordingly, the Authority notes that the exports to India made through non-cooperative unrelated parties are insignificant in terms of total exports to India.

iv. The quantity reported by NSC has been considered by the Authority for determining the export price. The Authority, for calculating the ex-factory export price for each PCN, has considered the data filed by the NSC and its traders. NSC claimed adjustments on account of inland freight, inland insurance, storage cost, and credit cost. In addition, the Authority has made appropriate adjustments to the export price in those cases where it was noted that the related or unrelated traders involved in the export chain to India were incurring losses on the sales of the PUC.

v. Accordingly, the export price for NSC has been determined based on the weighted average export price to India, and the same is shown in the dumping margin table below.

Normal value and export price for all other producers and exporters

59. The Authority notes that JFE Steel Corporation and Kobe Steel Ltd. from Japan have also participated in the investigation. However, they have not filed exporter questionnaire response and have made only legal submissions. The Authority has treated JFE Steel Corporation and Kobe Steel Ltd. as non-cooperative. No other producer/exporter from Japan has responded to the Authority in the present investigation.

60. In view of non-cooperation, the Authority has determined normal value for all non-cooperating producers on price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

61. With regard to export price, in view of non-cooperation of the producers/exporters, the Authority determined export price for all non-cooperating producers as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, handling charges, commission and bank charges. The normal value and export price so determined for all non-cooperating producers and exporters from Japan is mentioned in the dumping margin table.

Singapore

Determination of Normal Value

62. None of the producers/exporters from Singapore have participated in the present investigation and filed questionnaire response. In the absence of cooperation from the producers/exporters of the product under consideration in Singapore, the Authority is constrained to proceed with the principles of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules with regard to determination of normal value for all non-cooperative producers/exporters from Singapore. The Authority has, therefore, constructed the normal value for all non-cooperative producers/exporters from Singapore on the basis of the cost of production of the domestic industry, duly adjusted with selling, general and administrative expenses, plus reasonable profit. The constructed normal value so determined for Singapore producers/exporters is mentioned in the dumping margin table.

Determination of export price

63. None of the producers/exporters from Singapore have participated in the present investigation and filed questionnaire response. In the absence of cooperation from the producers/exporters of product under consideration in Singapore, the Authority is not able to determine individual export price for producers/exporters on the basis of their questionnaire response and is constrained to proceed with the principles of best available information with regard to determination of export price. In view of non-cooperation of the producers/exporters, the Authority determined export price as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules considering volume and value of imports for the period of investigation as per DGCI&S data. Adjustments have been made for ocean freight, inland

freight, insurance, handling charges, commission and bank charges. The normal value and export price so determined is mentioned in the dumping margin table.

Dumping Margin

64. The dumping margin determined for producers/exporters from Korea RP, Japan and Singapore is given in the table below:

Producer/Exporter	Normal Value (USD/MT)	NEP (USD/MT)	DM (USD/MT)	DM %	Range
Korea RP					
POSCO Group	***	***	***	***	Negative
Dongkuk Steel Mill Co.Ltd.	***	***	***	***	Negative
Hyundai Steel Company	***	***	***	***	0-10
DK Dongshin Co. Ltd.	***	***	***	***	20-30
All Others	***	***	***	***	50-60
Japan					
Nippon Steel Corporation	***	***	***	***	70-80
All Others	***	***	***	***	110-120
Singapore					
Any Producer/Exporter	***	***	***	***	20-30

65. It can be seen that the dumping margin for two producers/exporters from Korea RP is negative whereas for rest of the producers/exporters from Korea RP, Japan and Singapore is more than the de-minimis limit prescribed under the Rules.

G. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

66. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "… taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

G.1. Submissions by the other interested parties

67. The other interested parties have submitted as follows with regard to the injury and causal link:

a) The initiation notification has not clarified the basis on which the domestic industry was considered as unestablished industry. Therefore, it is bad in law and the investigation must be terminated.

b) The domestic industry cannot claim injury on the basis of material retardation to the establishment of an industry since it has already commenced commercial production, and is, therefore, not an 'unestablished industry'. Reliance was placed on the following:

   a. Proposal[16] at the WTO for amendment of the Anti-dumping Agreement[17];
   b. Practice mentioned in the US Handbook of Procedure[18];

---

[16] Draft Consolidated Chair Texts of the AD and SCM Agreements, WTO Negotiating Group on Rules, TN/RL/W/213.

[17] "3.9 A determination of material retardation of the establishment of a domestic industry shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. **An industry may be considered to be in establishment where a genuine and substantial commitment of resources has been made to domestic production of a like product not previously produced in the territory of the importing Member, but production has not yet begun or has not yet been achieved in commercial volumes. In making a determination whether an industry is in establishment, and in examining the impact of dumped imports on the establishment of that industry, the authorities may take into account evidence concerning, inter alia, installed capacity, investments made and financing obtained, and feasibility studies, investment plans or market studies**." (Emphasis supplied)

[18] *"Petitioners may allege that the establishment of an industry in the United States is materially retarded by reason of imports, or sales (or the likelihood of sales) for importation, of the subject merchandise. The statute does not define "material retardation;" however, in considering this issue in past cases, the Commission has begun by examining the question of whether the U.S. industry is "established." If U.S. producers have commenced production of the product, the industry is considered to be established if U.S. producers have "stabilized" their operations. In making this assessment, the Commission has examined the following factors:* ***(1) when the U.S. industry began production; (2) whether the production has been steady or start - and stop;***

c. WTO Panel Report in Morocco – Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey[19] (hereinafter referred to as Morocco — HRC (Turkey);

c) The assessment of material retardation can be assessed on the basis of the following:
   a. An industry is in an establishment where production has not yet begun but a genuine and substantial commitment of resources has been made to domestic production of a like product not previously produced in the territory of the importing Member; (or)
   b. An industry is in establishment when, though the production has begun, it has not yet been achieved in commercial volumes.
   c. In addition, an investigating authority may take into account evidence concerning, inter alia, installed capacity, investments made and financing obtained, and feasibility studies, investment plans, or market studies in assessing whether the industry is in establishment as well as the impact of dumped imports on establishment of industry.

d) The domestic industry's claims regarding material retardation are based on conjecture and are not based on "affirmative, objective, … verifiable…and credible" evidence.

e) In its recent final findings issued in *Anti-dumping investigation (Material-Retardation) concerning imports of "N, N'- Dicyclohexyl Carbodiimide (DCC)" originating in or exported from China PR*[20] the Authority had taken note of Morocco's practice[21] in determining if domestic industry is established. The principles considered by the Authority in that investigation are summarized below:

   a. When did the domestic industry begin its production?
   b. Whether the production of the subject good is merely a new product line in an existing industry?
   c. Size of production compared to the size of the domestic market as a whole.
   d. Stability of production.

f) The Authority has held in Anti-dumping investigation concerning imports of Styrene Butadiene Rubber (SBR) of 1500 series and 1700 series, originating in or exported from

---

domestic production compared to the size of the domestic market as a whole; (4) whether the U.S. industry has reached a reasonable "break - even point;" and (5) whether the activities are truly a new industry or merely a new product line of an established firm. *If the industry is not established, the Commission considers whether the performance of the industry reflects normal start-up difficulties or whether the imports of the subject merchandise have materially retarded the establishment of the industry."*

[19] Para 7.154 of Panel Report in Morocco — Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey WT/DS513/R (2018).

[20] Final Findings in Anti-dumping investigation (Material-Retardation) concerning imports of "N, N'-Dicyclohexyl Carbodiimide (DCC)" originating in or exported from China PR dated 24 February 2022.

[21] "7.141. In determining whether the domestic industry was established, the MDCCE applied the following five criteria: (a) how long the domestic industry had been producing the domestic like product; (b) the market share of the domestic like product; (c) whether the domestic industry's production had been stable; (d) whether the domestic industry had reached profitability/break-even point; and (e) whether the domestic industry constituted a "new" industry. The MDCCE noted, in its final determination, that it had reached its finding that the domestic industry was unestablished based on a separate and collective consideration of its conclusions on these criteria."

European Union, Korea RP, and Thailand that the test regarding material retardation is applicable only in case of an industry that is yet to be fully established[22].

g) The Authority should clarify the basis on which the domestic industry has been considered an unestablished industry.

h) The petitioner has failed to provide sufficient evidence on the factors enumerated to prove that it is an unestablished industry, thereby requiring an assessment of material retardation.

i) As per the Para 11.7.49 of the Manual, the Authority should consider the following factors in its examination of material retardation:
   a. the ability to produce a marketable product;
   b. the product being qualitatively acceptable to purchasers; and
   c. the ability to sell the product at a price that is competitive with fairly traded imports.

j) The mere factum of investments made by the applicant should not lead to a conclusion that the applicant is a 'new' industry.

k) The Authority must first examine whether the petitioner was yet to find a way into the market or was already established by assessment of production volumes.

l) The applicant is not a new industry but has been dealing in paints and varnishes and therefore, adding a new product line cannot be counted as a separate industry altogether. It should be examined if the petitioner has reaped benefits because of the existing production, marketing and other operations[23].

m) The sole fact that the petitioner started its production in July 2019 cannot be a ground to treat the domestic industry as a nascent industry or unestablished industry. Further, capacity underutilization cannot be a ground for considering an industry as materially retarded.

n) In case the Authority concludes that the domestic industry is suffering from material retardation, it should normate the inefficiencies prevalent in the domestic industry's production cost and high abnormal costs while determining the NIP.

o) In previous investigations, the Authority has assessed parameters such as capacity utilization, production, net sales realization, sales, magnitude and margin of dumping and compared these parameters with the projected levels as mentioned in the domestic industry's project reports. In some instances[24], post-POI data has also been analysed.

---

[22] Para 71 of Final Findings in Anti-dumping investigation concerning imports of Styrene Butadiene Rubber (SBR) of 1500 series and 1700 series, originating in or exported from European Union, Korea RP and Thailand, dated 12 July 2017.

"71. While the test of material injury or threat of material injury can be applied to an existing domestic industry or to the extent of operations that the domestic industry has had in the past, in the case of domestic industry yet to be fully established, the test to be applied is that of material retardation. The Authority notes that the following two conditions are relevant where the test of material retardation may be applicable:

(i) in case of "developing industry" which has not yet begun commercial production but substantial commitment to commence production has been made;

(ii) in case of "nascent industry" whose commercial production although has begun but the industry has yet to find its place in the market.".

[23] Para 7.211 of Morocco – HRC (Turkey).

[24] Final Findings in Antidumping investigation concerning imports of Non-Woven Fabric originating in or exported from Malaysia, Indonesia, Thailand, Saudi Arabia and China PR remanded by Hon'ble CESTAT No. 14/23/2015-DGAD dated 15th September, 2020.

p) The petitioner has not established any of the following factors applicable in case industries with a shorter performance period as mentioned by the Authority in the *FKM* case[25]:

   a. Actual performance to the extent of domestic industry's existence/operations.
   b. Comparison of actual performance with the performance planned or considered by the petitioner while deciding to set up the plant.
   c. Performance of the domestic industry in respect of macroeconomic parameters in the post-POI period.
   d. Post-POI data for the purpose of examining whether the performance of the domestic industry was adverse even in the post-POI period.

q) The factors averred by the domestic industry for classification of an industry as a nascent industry are not supported by the past decision of the Authority and should be rejected.

r) Regarding the domestic industry's submission that in a material retardation case the trend of economic parameters is of limited relevance, it is submitted that in light of the Authority's final findings in *Anti-dumping investigation concerning imports of Veneered Engineered Wooden Flooring originating in or exported from China PR, Malaysia, Indonesia, and the European Union*[26], the petitioner's submissions should be rejected.

s) Regarding the claim of cumulative assessment of subject imports made by the domestic industry, it is submitted that such an assessment is not appropriate in the present case. The imports from Korea have followed an entirely different trend in comparison to other subject as well as non-subject countries. In light of Appellate Body's observation in *EC - Tube or Pipe Fittings*[27] dispute wherein it had observed that country-specific volume trends may be relevant in the context of an investigating authority's evaluation of condition of competition between imported products and imported and domestic products, such an analysis would be improper.

t) The increase in imports from the subject countries did not prevent the domestic industry from increasing its sales volume as well as profitability.

Volume Effect

u) The volume of the imports from the subject countries have not increased either in absolute or relative terms during the POI. The imports have fallen by 24 index points from 2018-19 and 21 index points from 2019-20 in the POI.

v) While the increase in imports has been around 11 index points from the start of the POI to the end of the POI, the increase in production and capacity utilisation during the same period was to the extent of 274 points.

---

[25] Final Findings in Anti-dumping duty investigation on the imports of Fluoroelastomers, (FKM), originating in or exported from People's Republic of China dated 19th October 2020.

[26] *Anti-dumping investigation concerning imports of Veneered Engineered Wooden Flooring originating in or exported from China PR, Malaysia, Indonesia and the European Union*, Final Findings dated 13 February 2018.

[27] WT/DS219/AB/R *European Communities — Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil* (2003).

w) The import data includes laminated EG steel which must be excluded to reflect the correct figures of import volume.

x) Imports from Japan have fallen by 24 index points from 2018-19 and 12 index points from 2019-20 in the POI.

y) No injury has been caused to the petitioner due to imports from Korea, particularly from Dongkuk Steel Co. A perusal of the EQR clearly establishes that price of the subject imports from Korea have been high throughout the injury investigation period.

z) The demand of the PUC has increased over the injury period and imports from Korea have been made to meet this increased demand.

aa) The import volume from Korea has increased from 100 MT to 141 MT and has registered a decline of 15 % in the POI in comparison to the preceding year. In the meantime, imports from Singapore has increased by 106 %. The injury is due to imports from Singapore.

bb) The petitioner has failed to disclose the trend of demand for 2019-20 and the POI which is in violation of Rule 7 of the Rules.

Price Effect

cc) The petitioner's selling price has grown at a much a higher rate than the cost. Therefore, there is no price suppression/depression.

dd) The price/MT of imports of the PUC from non-subject countries with substantial imports (Malaysia, Hong Kong and Belgium) even after addition of BCD is lower than that of the subject countries. This shows that there is no price effect.

ee) The Authority should examine the appropriateness of selling price and verify whether these prices were based on the trends of import price and whether there have been changes in the selling price in accordance with the change in price of the subject imports.

ff) The domestic industry has performed exceedingly well in terms of production as well as profitability and therefore, it cannot claim injury on account of price undercutting.

gg) There has been a mere increase of 1% in cost of sales during the POI while at the same time, the selling price has increased by 6 %.

hh) The landed price from the subject countries is well above the cost of production of the domestic industry.

ii) The assumption of 22 % ROCE would lead to an inflated NIP and consequently, colour the price underselling analysis. The CESTAT in *Indian Spinners Association v. Designated Authority*[28] and *M/s Bridge Stone Tyre Manufacturing v. Designated Authority*[29] has held that a high level of 22% return on investment gives an inflated picture of price underselling which cannot be a true indicator of injury.

jj) The interest rate as well as corporate tax rate has come down over the years and therefore, there is no basis to provide such a high ROCE.

kk) The raw material costs, utilities and production must be optimized as required under Annexure -III to the AD Rules to remove any injury on account of any such inefficiencies. Start-up costs should also be optimised in computation of NIP as was

[28] 2004 (170) E.L.T. 144 (Tri. - Del.)
[29] 2011 SCC OnLine CESTAT 3694.

done in the case of "Polyurethane leather" against China PR[30] (wherein the domestic industry had been in existence for around 2.5 years) and "*N, N'-Dicyclohexyl Carbodiimide (DCC)" originating in or exported from China PR*[31].

ll) The decline in selling price is on account of the declining cost of sales and the same cannot be attributed to the landed prices which has increased throughout the injury period.

mm) Proper adjustments need to be made to cost as well as the selling price of the applicant industry as it is a new industry and it is expected to have a higher cost to manufacture as well as to sell the product.

nn) The domestic industry's profits have grown phenomenally and such a growth is possible only when the selling price is higher than the cost of production of the domestic industry.

oo) The domestic industry's claim regarding its price being higher by 10-30% are conjectures and cannot be sustained unless supported by documentary evidence.

pp) The applicant's claims regarding consumer taking price decision based on imported product has no significance. The Authority should first settle the scope of the PUC and thereafter, comparisons should be made.

qq) The domestic industry is suffering from internal deficiencies and lacks effective marketing as well as consumer study. Moreover, it is not able to meet consumer specifications and requirements as it lacks technical know-how and specialised technology.

rr) On the one hand the domestic industry is claiming that there are start-up inefficiencies and on the other hand it is asserting that the improvement in its parameters has been only due to 'base effect'.

Economic Parameters

ss) It is submitted that the Authority must examine the overall state of the domestic industry as has been explained by the Panel in *Thailand – H-Beams.*[32]

tt) Regarding the domestic industry's submission that its share is merely 15 % and imports are nearly five times of total domestic production, it is submitted that same should be assessed in light of the pandemic disruptions, short commercial span and low foothold of the domestic industry in the market.

uu) The capacity of the petitioner has remained constant throughout the period July 2019 to the POI even though its net fixed assets have declined considerably by 18%. At the same time, the depreciation cost has increased considerably by around 61%. This means that either the applicant has increased its cost considerably or has incorrectly stated its fixed assets.

---

[30] Final Findings in anti-dumping investigation concerning imports of "Polyurethane Leather which includes any kind of textile coated one sided or both sided with Polyurethane" originating in or exported from China PR dated 21st February 2022.

[31] *Supra* note 21.

[32] Para 7.236 of Thailand — Anti-Dumping Duties on Angles, Shapes and Sections of Iron or Non-Alloy Steel and H Beams from Poland WT/DS/122/R (2001).

vv) The domestic industry has registered significant improvements in several economic parameters namely sales, market share, production, capacity utilisation, profits, cash profits, PBIT, ROCE and productivity throughout the injury period.

ww) The applicant industry's production quantity has been steadily increasing and has registered a growth of 274 index points from the time it has commenced commercial production. In *Morocco — HRC (Turkey)*[33] , the Panel had considered production as an important factor for determining whether an industry has achieved stabilisation or not. The applicant's data clearly shows that it has achieved stabilisation.

xx) Even in the short span of business, the petitioner has captured around 15 % of the total market share in India despite the devastating impact of COVID -19. In the case of *Morocco — HRC (Turkey)*[34] , the Panel had considered market share of the domestic industry as an important factor in assessing whether an industry has stabilized or not. There has been an incredible increase in the market share of the applicant which clearly indicates that the industry has stabilised.

yy) Given the fact that there are no inventories with the petitioners, it becomes clear that the domestic industry has not been impacted by the imports.

zz) A comparison of the domestic industry's profit and the quarterly import volume shows that there is no relation between the imports and the domestic industry's performance.

aaa) The PBIT has increased from 100 index points in the base year to 469 index points during the POI which shows that the petitioner has been able to earn positive return on capital employed on the sale of subject goods. Further, the average capital employed as well as PBIT as percentage of average capital employed has increased by 103% and 113% respectively in the last quarter of the POI.

bbb) The petitioner has in its application stated that the electrogalvanized steel project is self-financed which shows how well-established the applicant actually is.

Actual Performance vis-à-vis Projected Performance

ccc) The Authority must examine the reliability and validity of the project report. It must refer to a neutral third party forecast to determine if there is any actual material retardation.

ddd) The Authority must examine whether the project report has taken into account the rise in steel prices which the industry has been facing since November 2019.

eee) The Authority should also examine the selling price of the PUC mentioned in the project report as the petitioner may have shown high profitability in order to attract higher valuation.

fff) The petitioner's project report was prepared in 2019 and therefore, does not include the impact of preventive measures applied by the Government of India with respect to COVID-19.

ggg) The project report should be deemed irrelevant in the instant investigation as the domestic industry has been operating profitably and has achieved stability including the POI as well as the injury period. The Authority should instead carry out its examination on the basis of actual performance and post-POI data.

---

[33] *Supra* note 20.
[34] *Id.*

Causal Link:

hhh) The injury caused to the petitioner is due to start-up costs, price of raw materials and the buyer's market and the petitioner cannot immediately achieve sales and the market share.

iii) The Government of India as well as the Competition Commission of India has acknowledged the adverse impact on businesses due to COVID-19 and the ensuing preventive measures.

jjj) A comparison of the domestic industry's profit and import volumes as well as the price of the subject imports shows that there is no causal link between the imports and the domestic industry's performance. The difference between the actual and projected levels of production, sales, capacity utilization and profitability has been on account of COVID-19 preventive measures.

kkk) It has been only a year and a half since the domestic industry commenced its commercial production, most of which was impacted by the COVID-19 restrictions and this has been acknowledged by the petitioner in its financial statement of 2019-20.

lll) The pandemic has not allowed suppliers to shift their procurement from already existing import channels to the recently established domestic industry.

mmm) The Authority should clarify whether it has relied upon the 2019 project report at the time of initiation and whether due adjustments have been made on account of the disruptions caused due to COVID-19.

nnn) While the cost of the domestic industry has declined, both capacity utilisation and profits have shown an increasing trend which demonstrates stabilization and absence of material retardation and injury.

Non-attribution Factors:

ooo) The applicant has presented itself as a 'new industry' and is bound to face certain inevitable start-up costs which would impact the new industry. The Authority should examine if such costs have been taken into account by the applicant.

ppp) The Authority should examine if the applicant has faced any difficulties in procurement of raw materials and utilities at competitive rates or higher rates due to the COVID-19 restrictions.

qqq) The applicant has not examined the impact of increase in steel prices on its performance. The price of CR coil has been on a steep rise since November 2019 and the petitioner has been suffering injury because CR coil is the primary raw material used in the manufacturing of EG steel.

rrr) The petitioner has admitted that it is not backward integrated and purchases steel from third parties. Therefore, they are forced to purchase steel at higher prices in comparison to entities that are backward integrated.

sss) Regarding the submission of the domestic industry that it is not able to procure any confirmed order due to dumped imports, it is submitted that the same is on account of COVID-19 pandemic and several other below mentioned factors:

i. Lack of product approvals from end-users / buyers, which lowered the sales and prices of the domestic industry;

ii. Low-grade sales by the domestic industry at low prices;

iii. Change in market conditions between the planning stage and stage of commencement of the plant and new capacity additions;
iv. Increased marketing expenses coupled with higher discounts.

G.2. Submissions by the domestic industry

68. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and the causal link:

a) Since the domestic industry has just commenced commercial production, it is at a nascent stage of production and, therefore, it cannot be considered to be an established industry.
b) The analysis must be that of material retardation to the establishment of an industry.
c) For material retardation criteria to apply, the industry must be unestablished. It is not necessary that an unestablished industry is the one where no production has commenced.
d) There may be two types of unestablished industries: (a) a developing industry which has not yet commenced commercial production but has made a commercial commitment to commence production; and (b) a nascent industry that has commenced commercial production but is yet to establish itself in the market.
e) The domestic industry began commercial production in July 2019 and is yet to establish itself in the market.
f) It is pertinent to note that the there is no straight jacket meaning of 'unestablished industries' in the Anti-dumping Agreement, or the Customs Tariff Act, 1975 or the Antidumping Rules. In examining whether a nascent industry has established itself in the market or not, the Authority examines multitude of factors which differs from case to case.
g) In examining whether a nascent industry has been established or not, due weightage should be given to the following:
    i. short duration of time period for which the industry is in operation
    ii. 'newness' and recent nature of the product and the domestic Industry
    iii. limited market share
    iv. limited capacity utilisation
    v. fresh investment
    vi. project report/feasibility studies showing substantial commitment etc. A careful review of all the criteria would show that the petitioner is an unestablished industry.

h) The volume of the imports increased over the injury period even though the domestic industry set up its plant and commenced production.
i) Mere absence of losses cannot form the basis of deciding the established/ unestablished status of the domestic industry. The project has been self-financed and if the notional cost were to be added, the profitability parameter would portray a completely different picture.
j) The Authority may note that categorisation of an industry as established/unestablished is only for the purpose of determining the appropriate standard of injury.

k) In the *Veneered Engineered Wooden Flooring originating in or exported from China PR, Malaysia, Indonesia and the European Union*[35], the domestic industry was in operation for 26 months, whereas in *FKM*[36] the domestic industry was in operation for 24 months. The Authority had considered the domestic industry in both situations to be unestablished. In the present investigation, the domestic industry has been in operation for mere 18 months.

l) The criteria for determination of material retardation as observed by the Authority in *CPVC – Resin from China PR and Korea RP*[37] and *O-Acid from China PR*[38] are present in the current investigation as well.

m) The petitioners have not been operational for the entire injury investigation period of 4 years and therefore, neither injury examination on the basis of material injury is possible nor can actual material injury be established.

n) Most of the sales made by the petitioner during the POI were in food and beverage, medical devices, construction/architecture segment where imports have limited presence. The domestic industry has not been able to penetrate the automotive, home entertainment and home appliances market considerably wherein imports from the subject countries are being dumped.

o) India is a focus market for the exporters from the subject countries and they have intensified dumping in the POI.

---

[35] *Supra* note 27.

[36] *Supra* note 26.

[37] Final Findings in Anti-dumping investigation concerning imports of "Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) Resin- whether or not further processed into compound", originating in or exported from China PR and Korea RP dated 19th February 2020.

The following factors were considered relevant:

i. There is a significant idle capacity with the domestic industry considering the demand in India.

ii. Low-capacity utilization of the domestic industry

iii. Market share of the domestic industry remained insignificant

iv. The Applicant has set up new capacities in the face of large existing and future demand but has not been able to reach optimum levels of production, sales and capacity utilization.

v. The dumping margin determined in respect of the producers/exporters from the subject countries is significant for the period of investigation.

vi. Imports from subject countries are at a price materially below the cost of production and non-injurious price of the domestic industry. Since the only competition to the domestic industry is imports and the domestic industry is new producer in the country, it is the import price that is solely responsible for the prices offered by the domestic industry.

[38] Final Findings in *Antidumping investigation concerning imports of O-Acid originating in or exported from China PR* dated 19th December 2017. The Authority had noted as follows:

i. The examination of the imports of the subject goods and performance of domestic industry clearly shows that the import of the product under consideration are significant despite commencement of production by the domestic industry.

ii. The imports are at a price materially below cost of production and NIP of the domestic industry, thus resulting in significant undercutting.

iii. With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry, it is seen that the domestic industry could not sell its product in the domestic market despite repeated attempts in view of availability of significantly dumped imports in the market. Even when domestic industry started production and utilization of the new facilities created at modest level, production and capacity declined materially after reaching some levels.

iv. The consumers are unwilling to buy from the domestic industry due to availability of the dumped material from China. The domestic industry is suffering significant financial losses, cash losses and negative return on investments.

p) The volume of imports is very high even when the products are available domestically and the petitioner has the capacity to fulfil the entire Indian demand.

q) The imports from the subject countries are causing a price effect on the domestic industry in the form of price undercutting, price suppression/depression and price underselling.

r) Import price of the subject goods, which is a value-added product, is lower than the import price of CR steel, which is a substrate for making the subject goods.

s) Price offered by customers to the applicant for EG steel is at par or lower than CR steel prices. The customers quote the price of imported EG steel and ask the applicant to match the price of imported EG steel.

t) The improvement in economic parameters has been on account of the low or nil base effect. The Authority was confronted with a similar situation in *CPVC – Resin from China PR and Korea RP*[39].

u) The petitioner has not been able to achieve the projected performance and is operating at a capacity utilization of merely 5-15%. The post-POI data would reflect the same data. The domestic sales occupy insignificant share (10-15%) in total demand. A similar situation existed in *"N, N'-Dicyclohexyl Carbodiimide (DCC)" originating in or exported from China PR*[40] wherein despite the fact that the domestic industry had nearly achieved its forecasted levels, the Authority had concluded that the domestic industry was suffering from material retardation.

v) The profitability is much below the expected levels keeping in mind the fact that the petitioner is the sole producer of the subject goods in India and there is a significant demand for the subject goods in India. In material retardation cases, improvement of economic parameters is of limited relevance.

w) The domestic industry has submitted the post-POI data (January 2021 to June 2021). The performance of the domestic industry in terms of production, sales and profitability shows a decline in the post-POI as compared to the POI period.

x) The actual performance of the domestic industry as compared to projected performance is relevant in case of material retardation. Comparison of actual performance with projected performance shows that the domestic industry has not been able to perform as per the projections.

---

[39] *Supra* The Authority had noted as under:
"The production and capacity utilization of the domestic industry have increased during the period of investigation. ***However, the same was natural on account of the commencement of the plant in the period of investigation***."

[40] *"Capacity, production, capacity utilization and sales: The Authority notes that the domestic industry has a total capacity of ***Kg.* ***The capacity utilization of the domestic industry has remained at near to projected level of ***% during the POI.***
Market share: ***It is seen that the market share of the domestic industry has started growing after the commencement of the commercial production.***
Conclusion
After examining the submissions made and issues raised, and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
a) ……..
c) Manifestation of the aforesaid injury is in the form of material retardation."

y) The Authority has consistently held in other investigations that 22% ROCE is a reasonable rate of return.

z) The assessment of projections based on 22% ROCE shows that actual domestic sales volume achieved by the domestic industry during the POI falls short by 40-60%.

aa) The assessment of projections based on the assumption that the applicant would have been able to sell the product concerned at a non-injurious/fair price, would show that actual profit earned by the petitioner during the POI falls short by 100-120%.

bb) Actual production volume during the POI falls short by 275-325% in comparison to the production expected in project report.

cc) Actual profits earned during the POI fall short by 550-600% in comparison to the projected profits.

dd) There was no visible impact COVID-19 lockdown on the annual performance of domestic industry. An analysis of quarter-wise data would reveal that there has been no significant disruption to the business of the petitioner due to COVID -19.

G.3. Examination by the Authority

69. The Authority has noted the submissions of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The Authority notes that the present application is with respect to material retardation to the establishment of an industry and not of material injury. There is a need to address certain legal aspects regarding the concept of 'material retardation to the establishment of an industry' prior to proceeding with the injury analysis.

G.3.1. Material retardation to establishment of an industry

70. Regarding the submission of the other interested parties that the initiation notification did not contain the basis on which the domestic industry has been considered as 'unestablished', the Authority notes that there is nothing contained in Rule 6(1) of the Rules which obliges the Authority to disclose the factors regarding established/unestablished status of the domestic industry.

71. The Authority notes the submissions of the other interested parties that the domestic industry in the present case is an established industry and therefore, no case of material retardation is made out. In this regard the Authority notes that there is no definition of 'material retardation' either in the AD Agreement or the Anti-dumping Rules. The Agreement as well as the Rules merely mention it as one of the three forms of the injury which a domestic industry may suffer from as a consequence of dumped imports and provide no further guidance regarding assessment of material retardation.

72. The other interested parties as well as the domestic industry have relied on several previous investigations involving material retardation conducted by the Authority as well as other literature related to material retardation. Such submissions have been considered by the Authority to the extent they were relevant to the present investigation.

73. Regarding the WTO Panel Report in *Morocco — HRC (Turkey)*, the Authority notes that the Panel has neither established any criteria for evaluation of material retardation nor did it confirm the appropriateness in totality of the criteria formulated by the Moroccan investigating authorities but has rather analysed the appropriateness of the assessment done by the Moroccan anti-dumping authorities. The Panel also did not provide any guidance on how national investigating authorities should define a nascent industry and left the discretion to national investigating authorities to use any reasonable methodology for such assessment provided it be based on objective facts and positive evidence.

74. The Authority notes the parameters laid down in the proposal of the WTO Negotiating Group regarding amendment of the Anti-dumping Agreement with respect to material retardation. Even though the proposal has no legal value, the Authority, as in previous investigations[41], has taken guidance from these factors among other factors in assessing whether the domestic industry is in nascent/embryonic stage or is an established industry.

75. After the perusal of the abovementioned submissions, the Authority holds that an assessment regarding material retardation of an industry may be carried out in cases wherein the domestic industry has either not established itself in the market and has not been in commercial operation for a reasonable period of time or wherein the said industry has not yet begun production, but a genuine and substantial commitment of resources has been made for production a like product which has not been previously produced in the territory of the importing country. Thus, such industries can be categorised into the following types:

i. Embryonic industry: An industry which has not yet begun commercial production but substantial commitment to commence production has been made;

ii. Nascent industry: An industry which has although commenced commercial production but has not been in commercial operation for a reasonable period of time and is yet to establish a commercial presence in the market.

G.3.2. Material retardation to the establishment of the Domestic Industry in the present investigation

76. With regard to the submission of the other interested parties that the Authority should examine if the applicant is a new industry or is an existing industry which is benefitting from its existing infrastructure, marketing channels and customer base, the Authority notes that the applicant has set up a new manufacturing facility of EG steel by incurring fresh investment in Valsad, Gujarat. Prior to the commencement of the production by the applicant in July 2019, there was no production of EG steel in India and none of the other interested parties have claimed otherwise. In order to ascertain whether the domestic

[41] *Supra* notes 21, 23 and 26.

industry is an unestablished industry or an established industry, the Authority has examined the following factors:

a) When did the domestic industry began its production?

77. The Authority notes that the domestic industry commenced commercial production of subject goods only in July 2019. The production of the subject goods began only few months prior to the POI, and there is no other domestic producer of the subject goods in India. It is noted that although the production of the subject goods has commenced, the production has not reached substantial commercial volumes. A comparison of the domestic industry's actual and projected production figures reveals that actual production figures in the POI have not even achieved one-fifth of the projected figures which shows that their anticipated commercial presence has been impacted.

b) Size of production compared to the size of the domestic market as a whole

78. The applicant is the only Indian producer of the subject goods in India. However, the market share of the applicant during the POI is only in the range of 5-15% and the market share of imports from the subject countries is in the range of 70-80%. The imports from the subject countries are more than 5 times the total domestic production of the subject goods in India.

c) Stability of production and capacity utilization

79. The Authority notes that the production of the applicant commenced in July 2019 and the production figures on a quarter-to-quarter basis shows an increasing trend during the POI. Even though the production has increased, the capacity utilization on quarter-to-quarter basis is in the range of *** % as against the projected performance of ***%. A few submissions have been raised by the other interested parties commenting that capacity utilisation and production figures of the domestic industry could not be the sole ground for determining the unestablished status of the domestic industry. In this regard, the Authority notes that it is normally expected that an industry which has recently commenced production would gradually increase its capacity utilisation and consequently, its production levels. However, in the instant case, the post-POI data has revealed that both capacity utilisation as well as production figures have actually taken a dip.

80. The Authority has conducted the injury analysis based on the legal position relating to material retardation discussed above. The Authority notes that the domestic industry has not been able to provide the information regarding injury parameters for the past three years since it has been in existence for a very short period of time. The domestic industry has provided injury parameters for the period July 2019 to March 2020 and quarter-wise injury parameters for the POI and post-POI.

81. The domestic industry has requested the Authority to examine the actual performance of the domestic industry during the POI and compare it with the projections made in the

project report to assess whether there has been a material retardation to the establishment of the domestic industry or not.

82. The Authority has also examined the post-POI data of the domestic industry based on the request made by a number of interested parties and also in line with its consistent practice.

Assessment of demand

83. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India, as the sum of domestic sales of the Indian producer and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

Particulars (Quantity in MT)	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**POI (Jan 2020 to Dec 2020)**
Imports from Korea RP	44,515	58,789	69,486	62,663
Trend	100	132	156	141
Imports from Japan	67,907	88,442	80,333	71,734
Trend	100	130	118	106
Imports from Singapore	5,313	26,045	20,157	10,964
Trend	100	490	379	206
Total Imports from subject countries	**1,17,735**	**1,73,276**	**1,69,976**	**1,45,360**
Trend	100	147	144	123
Imports from other Countries	27,494	46,698	35,388	19,216
Trend	100	170	129	70
Total Imports	**1,45,229**	**2,19,974**	**2,05,364**	**1,64,576**
Trend	100	151	141	113
Domestic Sales	-	-	***	***
Trend	-	-	100	283
Demand/Apparent Consumption	**1,45,229**	**2,19,974**	***	***
Trend	100	151	148	132
Share of imports from subject countries in relation to				
- Demand	81%	79%	***	***
Demand Range	80-90	70-80	70-80	70-80
- Total imports	81%	79%	83%	88%
Total imports Range	80-90	70-80	80-90	80-90
- Domestic Sales/Production	-	-	***	***
Domestic Sales/Production Range	-	-	1700-1800	500-600

84. The Authority notes as follows:

i. Imports from the subject countries have increased in absolute terms in the POI as compared to the base year.

ii. Imports from the subject countries have continued to occupy a significant portion of the Indian demand (70-80%) during the POI even after the domestic industry has commenced commercial operations.

iii. Imports from the subject countries occupy a major share (80-90%) in relation to total imports into India during the POI.

iv. The share of imports from the subject countries is more than 5 times the domestic sales/production during the POI.

Cumulative assessment

85. Article 3.3 of the WTO Anti-Dumping Agreement, Rule 11 and Annexure II (iii) to the Antidumping Rules provide that in case imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to antidumping investigations, the Designated Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

a) The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent of the imports of the like article or where the export of the individual countries is less than three percent, the imports cumulatively accounts for more than seven percent of the imports of like article; and

b) a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic products.

86. The Authority notes that the margin of dumping from each of the subject countries is more than the limits prescribed. The quantum of imports from each of the subject countries is more than the de-minimis limits.

87. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate since the exports from the subject countries compete between themselves and also directly compete through comparable sales channel under similar commercial conditions with the subject goods offered by the domestic industry in the Indian market.

88. The Authority therefore has, therefore, assessed injury to the domestic industry cumulatively from the subject countries. The Authority notes that the dumped imports are identical to the goods sold in the domestic market. The dumped imports are entering the Indian market simultaneously from several countries.

Volume effect of the dumped imports

89. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied upon the transaction wise import data of DGCI&S. The import volumes of the subject goods from the subject countries and share of the dumped imports during the injury investigation period are as follows:

Particulars	**Unit**	**July 2019 to Sept 2019**	**Oct 2019 to Dec 2019**	**POI – Quarterly**				**POI**
				Jan 2020 to March 2020	**April 2020 to June 2020**	**July 2020 to Sept 2020**	**Oct 2020 to Dec 2020**	**Jan 2020 to Dec 2020**
Domestic sales of Petitioner	MT	***	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	113	208	239	369	374	
Import from Subject Countries	MT	46,866	30,506	39,502	38,443	23,420	43,995	1,45,360
	Indexed	100	65	84	82	50	94	
Import from Other Countries	MT	12,043	6,797	4,727	5,831	3,570	5,088	19,216
	Indexed	100	56	39	48	30	42	
Demand (MT)	**MT**	***	***	***	***	***	***	***
	Indexed	**100**	**65**	**80**	**81**	**58**	**94**	
Market Share								
Share of Petitioner	%	4%	6%	10%	11%	24%	15%	14%
	Indexed	100	173	260	294	639	398	
Share of Subject countries	%	***	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	100	105	101	86	100	
Share of Other countries	%	***	***	***	***	***	***	***
	Indexed	100	87	49	60	51	45	

90. The Authority notes that the volume of imports of the subject goods from the subject countries is significant and caters to around 70-80% of the demand of the subject goods in India.

91. The Authority notes that the volume of imports of the product under consideration from the subject countries have been substantial throughout the investigation period. During the time when the production of the domestic industry commenced, the imports from the subject countries were 70-80% of the total Indian demand and have remained in the same range even during the POI.

Price effect of the dumped imports

92. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, the Authority has examined price undercutting, price underselling and price suppression/depression due to dumped imports.

a) Price Undercutting

93. To determine the price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at ex-factory levels.

Price Undercutting	**Currency**	**Korea RP**	**Japan**	**Singapore**	**Subject Countries**
Landed Value	Rs/MT	49,295	49,851	42,998	49,095
Domestic Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Price undercutting as % of Landed Value	**%**	***	***	***	***
Trend	**Range**	**15-25**	**15-25**	**30-40**	**15-25**

94. From the table given above, it is seen that the dumped imports from subject countries are significantly undercutting the prices of domestic industry.

b) Price depression/suppression

95. In order to determine whether the effect of the imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the costs and prices have been compared with the landed value.

Price depression/ suppression	Unit	July 2019 to Sept 2019	Oct 2019 to Dec 2019	POI – Quarterly				POI
				Jan 2020 to March 2020	April 2020 to June 2020	July 2020 to Sept 2020	Oct 2020 to Dec 2020	Jan 2020 to Dec 2020
Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	89	88	94	101	94
Selling price (Net)	Rs/MT	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	93	90	97	107	98
Landed price	Rs/MT	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	106	113	110	111	110

96. From the aforesaid table, it is noticed that the landed price of imports from subject countries during each of the quarters of the POI is below the cost of sales of the domestic industry.

c) Price Underselling

97. The Authority has determined price underselling by comparing the NIP and landed price of imports during the POI.

Country	Unit	Korea RP	Japan	Singapore	Subject Countries
NIP	Rs/MT	***	***	***	***
Landed price	Rs/MT	49,295	49,851	43,009	49,095
Price underselling	Rs/MT	***	***	***	***
Price underselling	**%**	***	***	***	***
	Range	**NEGATIVE**	**NEGATIVE**	**10-20**	**NEGATIVE**

98. It is seen that the landed price of imports from the subject countries during the POI is above the non-injurious price/fair price for the domestic industry which is causing negative price underselling during the POI. It is also noticed that the actual selling price of the domestic industry during the POI is well above the non-injurious price/fair price for the domestic industry.

Economic parameters of the domestic industry

99. Annexure II to the Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity, factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below:

a) Capacity, production, capacity utilization and sales

100. The performance of the domestic industry with regards to capacity, production, capacity utilization and sales is as follows:

Particulars	**Unit**	**July 2019 to Sept 2019**	**October 2019 to December 2019**	**POI – Quarterly**				**POI**
				January 2020 to March 2020	**April 2020 to June 2020**	**July 2020 to September 2020**	**October 2020 to December 2020**	**January 2020 to December 2020**
Installed Capacity	MT	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100	100	100	
Total production	MT	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	208	239	369	374	
Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	208	239	369	374	
Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	208	239	369	374	

101. The Authority notes that the petitioner is the sole producer of the subject goods in India and started commercial production in July 2019. Accordingly, the production & capacity utilization of the petitioner shows an increasing trend during various quarters of the POI.

102. However, the production and capacity utilization of the petitioner has been low keeping in mind the demand for the subject goods in India. The petitioner has been operating at a capacity utilization of only 5-15% during the POI despite a significant demand of the subject goods in India.

b) Profitability

103. Profits earned by the domestic industry from sale of the subject goods in the domestic market are as follows:

Profit/ (Loss)	Unit	July 2019 to Sept 2019	Oct 2019 to Dec 2019	POI – Quarterly				POI
				Jan 2020 to March 2020	April 2020 to June 2020	July 2020 to Sept 2020	Oct 2020 to Dec 2020	Jan 2020 to Dec 2020
Profit/(Loss) per unit	Rs./MT	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	68	168	135	154	224	
Profit/(Loss) – total	Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	77	350	323	568	840	

104. The Authority notes that the petitioner has been able to earn profits on the sale of subject goods in India.

c) Cash Profits

105. Cash profits earned by the domestic industry is as follows:

Cash Profits	Unit	July 2019 to Sept 2019	Oct 2019 to Dec 2019	POI – Quarterly				POI
				Jan 2020 to March 2020	April 2020 to June 2020	July 2020 to Sept 2020	Oct 2020 to Dec 2020	Jan 2020 to Dec 2020
Cash Profits	Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	181	180	302	399	
Cash Profit/MT	Rs./MT	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	87	75	82	106	

106. The Authority notes that the petitioner has been able to earn cash profits on the sale of subject goods in India.

d) Return on capital employed (ROCE) and ability to raise investments

107. The return on capital employed of the petitioner is as follows:

ROCE	Unit	July 2019 to Sept 2019	Oct 2019 to Dec 2019	POI – Quarterly				POI
				Jan 2020 to March 2020	April 2020 to June 2020	July 2020 to Sept 2020	Oct 2020 to Dec 2020	Jan 2020 to Dec 2020
PBIT	Rs. Lacs	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	204	197	338	469	
PBIT	Rs/MT	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	85	98	83	91	125	
ROCE	%	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	173	155	181	231	

108. The Authority notes that the petitioner has been able to earn a positive return on capital employed on the sale of the subject goods in India.

e) Inventories

109. The Authority notes that the petitioner undertakes production of the subject goods based on confirmed orders and does not maintain any inventory of the subject goods.

f) Productivity

110. The number of employees as well as the productivity per employee is as follows:

Productivity	Unit	July 2019 to Sept 2019	Oct 2019 to Dec 2019	POI – Quarterly				POI
				Jan 2020 to March 2020	April 2020 to June 2020	July 2020 to Sept 2020	Oct 2020 to Dec 2020	Jan 2020 to Dec 2020
Employees on payroll	Nos	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100	100	100	
Production/ Employee	MT	***	***	***	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	113	208	239	370	375	

111. The Authority notes that the production per employee has increased during the POI.

COMPARISON OF ACTUAL PERFORMANCE WITH PROJECTED PERFORMANCE

112. The Authority notes that it is a consistent practice of the Authority to compare the actual performance during the POI of the domestic industry with the projected performance of the domestic industry in cases involving material retardation. The table below shows the comparison of actual performance with the projected performance of the domestic industry as per its project report.

Particulars	**UOM**	**Actual Performance**	**Projected Performance**
Capacity	MT	***	***
Capacity Utilisation	%	***	***
Production	MT	***	***
Shortfall in Production	MT	***	-
Shortfall in Production	%	***	-
Trend		275-325	
Profit	Rs Lacs	***	***
Shortfall in Profit	Rs Lacs	***	-
Shortfall in Profit Trend	%	*** 550-600	-

113. Based on a comparison of actual performance as against the projected performance, the Authority notes as follows:

i. Actual production volume during the POI falls short by 175-225% in comparison to the production expected in project report.

ii. Actual profits earned during the POI fall short by 350-400% in comparison to the projected profits as per project report.

ANALYSIS OF POST-POI DATA

114. Several interested parties have raised a common issue during the hearing and in their written submissions that post POI data of the domestic industry should be analysed as the present case is a material retardation case.

115. The Authority in line with its consistent practice has therefore decided to analyse post-POI data of the domestic industry from January 2021 to June 2021. The post-POI data is shown below which is as follows:

Particulars	**Unit**	**POI Quarterly**				**Post POI Quarterly**	
		January 2020 - March 2020	**April 2020- June 2020**	**July 2020- September 2020**	**October 2020- December 20200**	**January 2021- March 2021**	**April 2021- June 2021**
Production	MT	***	***	***	***	***	***
Trend		100	115	178	180	138	64
Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***	***
Trend		100	115	178	180	138	64
Sales	MT	***	***	***	***	***	***
Trend		100	115	178	180	138	64
PBT per Unit	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend		100	81	92	133	62	(33)
PBIT per unit	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Trend		100	84	93	127	70	4
ROCE	%	***	***	***	***	***	***
Trend		100	89	105	133	72	2

116. The Authority notes that the production, domestic sales, capacity utilization, PBT, PBIT and ROCE of the domestic industry have declined in the post-POI period as compared to the POI.

117. The petitioner has been operating at a capacity utilization of only 0-10% during post-POI despite a significant demand of subject goods in India.

H. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

118. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing Chartered Accountant for the POI. The NIP has been compared with the landed price of subject goods from the subject countries for calculating injury margin. For determining the NIP, the best quarterly utilization of the raw materials and utilities and best quarterly utilization of production capacity has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses and/or assets have been excluded from the cost of production and/or NIP. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) deployed for the PUC has been allowed for recovery

of interest, corporate tax and profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules.

119. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters as determined by the Authority is provided in the table below:

Producer/Exporter	NIP (INR/MT)	Landed Value (INR/MT)	IM (INR/MT)	IM %	Range
Korea RP					
POSCO Group	***	***	***	***	Negative
Dongkuk Steel Mill Co.Ltd.	***	***	***	***	Negative
Hyundai Steel Company	***	***	***	***	Negative
DK Dongshin Co. Ltd.	***	***	***	***	Negative
All Others	***	***	***	***	0-10
Japan					
Nippon Steel Corporation	***	***	***	***	Negative
All Others	***	***	***	***	10-20
Singapore					
Any Producer/Exporter	***	***	***	***	10-20

I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

120. As per the Rules, the Authority, inter-alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. The factors which may be relevant in this respect include, inter-alia, the volume and prices of the imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury, which has resulted in the material retardation to the establishment of the domestic industry:

a) Volume and price of imports from third countries

121. The Authority notes that the imports of subject goods from sources other than subject countries are either below *de-minimis* level or are un-dumped/non-injurious.

b) Contraction of demand

122. The Authority notes that the demand of subject goods increased during the injury period.

c) Changes in pattern of consumption

123. There has been no known material change in the pattern of consumption of the product under consideration.

d) Trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers

124. The imports of the subject goods are not restricted in any manner and are freely importable in the country.

e) Developments in technology

125. The Authority notes that there has been no known material change in the technology for the production of the product under consideration.

f) Export performance

126. The Authority notes that the domestic industry has not exported the subject goods to other countries.

g) Productivity

127. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has improved during the injury period.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST, PUBLIC INTEREST & OTHER ISSUES

J.1 Submissions of other interested parties

128. The following submissions have been made by other interested parties:

a) Imposition of anti-dumping duty in the present case would be against public interest. The domestic industry has already been performing well and therefore, there is no need of imposition of anti-dumping duty.

b) There is a severe demand supply gap and almost entire demand is being catered through imports.

c) Imposition of anti-dumping duty will lead to establishment of monopoly of the petitioner.

d) The imposition of anti-dumping duty would not only increase the cost of user industry but also impact the end user for whom the cost of essential product such as refrigerators, air conditioners shall increase.

e) The price of primary raw material CR steel has been on rise since November 2019 and imposition of anti-dumping duty would further increase the price of imports.
f) The Government of India after considering the rising metal prices has recently suspended customs duty[42] as well as discontinued anti-dumping/countervailing duty on several steel products[43] in public interest despite a positive recommendation by the Authority.
g) The Authority is requested to assess the impact of ADD on the user industry on the basis of the response filed by the user industries.
h) Government of India has introduced several policies for the benefit and promotion of the domestic steel industry. Some of these programmes are:
    a. Domestic procurement policy
    b. Steel import monitoring system (SIMS)
    c. Quality control orders and mandatory BIS certification
    d. Steel scrap recycling policy
    e. PLI scheme
i) Further, if the applicant is concerned about the import competition it is facing due to non-levy of basic customs duty as result FTAs, then the applicant should seek relief under safeguard measures.
j) If the Authority recommends imposition of anti-dumping duty, the same should be on a reference price basis which would ensure that imports made at par or above reference price would not attract undue anti-dumping duty and at the same time provide protection to the domestic industry.
k) Since the injury information pertains to only an 18-month period, the Authority may recommend duty for a shorter period of time ranging from 2.5 years – 3.5 years so that end of this period, the Authority would be in a position conduct a review on the basis of 4 years injury information of the petitioner. The Authority had done the same in the case of O-Acid from China PR.[44]

J.2 Submissions of the domestic industry

129. The following submissions have been made by the domestic industry:

a) It is submitted that there has been minimal participation of user industry and unrelated importers from India which clearly shows that user and downstream industry do not oppose imposition of anti-dumping duty.
b) While addressing the issue of public interest, the Authority must also consider the interest of the domestic industry which has made substantial investments by setting up manufacturing unit in India and has created employment opportunities for people.

[42] Straight length bars and rods of alloy-steel, high speed steel of non-cobalt grade, flat-rolled product of steel, plated or coated with alloy of aluminium or zinc and certain hot rolled and cold rolled stainless steel flat products.
[43] Stainless steel, hot rolled and cold rolled products.
[44] *Supra* note 39.

c) The submission with respect to reference price form of duty has not been made by the user industry but by exporters/producers and therefore, should not be given higher weightage.
d) The price of the raw material, CR steel has increased after the POI and therefore, a reference price form of duty would become ineffective.
e) A duty levied for a shorter period of time would not be effective in addressing the material retardation suffered by the domestic industry.
f) It has been the practice of Authority to recommend imposition of duty for a period of five years and no cogent reason has been provided by the other interested parties to deviate from this practice.
g) Basic customs duty on import of the subject goods from the subject countries is 0% under respective FTAs with the subject countries. Therefore, no customs duty protection is available to the applicant on imports.
h) Regarding the schemes for promotion of domestic steel industry run by the Government of India, the following is submitted:
    a. Domestic procurement policy for government projects: The applicant is not selling the subject goods to the Government or its entities and therefore, a preference for procurement remain inconsequential to the present investigation.
    b. Steel Import Monitoring System: The programme was introduced for collection of statistical data on steel imports and has no bearing on imports.
    c. Quality Control Orders and Mandatory BIS certification: The programme is for ensuring standardisation and quality assurance while improving productivity, efficiency and competitiveness of domestic manufacturing. It has no effect on the imports being made except to the extent that such imports comply with the quality control orders.
    d. Steel scrap recycling policy: It is meant for resource conservation and energy saving and is meant for setting up an environmentally sound management system for handling ferrous scrap.
    e. PLI Scheme: The objective of production-linked incentive scheme for 'speciality steel' is to promote manufacturing of specialty steel grades within the country. The PLI incentive is expected to boost the domestic production of specialty steel. This scheme was not operational during the POI and is not yet implemented.

J.3 Examination by the Authority

130. The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. A questionnaire was also prescribed to the users/consumers to provide relevant information with regard to the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations. The others interested have made several submissions which has been examined by the Authority in the following paragraphs.

131. The Authority notes that the purpose behind the imposition of anti-dumping duty or any other duty as a consequence of trade remedial investigations, is to establish a level playing field for the domestic industry which has been suffering injury as a consequence of unfair imports making way into the territory of the importing member. The Anti-dumping Rules, 1995 ensures that amount of duty levied is restricted to what is necessary to redress the injury to the domestic industry and prevent the impact of unfair imports on the performance of the domestic industry. The application of lesser duty rule makes it certain that the domestic industry does not receive any undue advantage.

132. Some of the other interested parties have claimed that imposition of anti-dumping duty would lead to establishment of the petitioner's monopoly. The Authority notes that the petitioner has begun commercial production in July, 2019 and before this period India's demand with respect to the PUC was being fulfilled through imports. The domestic industry presently occupies merely 15 % of the market share and the rest is being catered by imports. Imposition of anti-dumping duty will not restrict the imports of the PUC and would only ensure that they would enter into the Indian territory at fair price. The anti-dumping duty is meant to only prevent dumped imports and provide breathing space to the domestic industry whose growth has been materially retarded, A substantial share of the market would still be catered by such imports.

133. The Authority, further notes that during the investigation, the scope of the PUC has been narrowed as the domestic industry was not manufacturing the same or did not have the capability to manufacture the same. The anti-dumping duty would be applicable on a very fine subset of the original PUC as notified in the initiation notification. While the user industry has made several submissions on quality of the PUC, none of those submissions have been substantiated. Further, none of them have submitted any empirical information regarding the impact of the anti-dumping duty.

134. Regarding the submissions made with respect to the existence of certain programmes and schemes of Government of India for the benefit of manufacturers engaged in steel industry, the Authority notes that the existence of such programmes does not change the fact that the domestic industry is facing injury as a result of the injurious imports made by foreign exporters/foreign producers. It has also not been demonstrated as to how the domestic industry is getting benefit from such programmes. Further, even where a domestic industry gets benefit of such programmes, but suffers injury as a consequence of dumped imports, it would make an appropriate case for a trade remedial investigation.

135. The Authority notes that the reference price form of duty is not desirable where major raw materials are liable to significant price fluctuations. For instance, it is possible that the import prices rise mainly on account of the fact that the price of the principal raw material has gone up. In such a case, the domestic industry may not be effectively protected as the rise in the raw material prices will also increase their costs. Conversely, if the price of the principal raw materials have declined, then domestic industry gets extra protection and exporters/importers get unnecessarily penalized even though they may not be indulging in dumping or causing injury. Thus, reference form of duty suffers

from the vice of being inflexible inasmuch as this duty becomes ineffective in a rising market and overly protective perhaps punitive in a falling market.

136. The Authority notes the submissions of other interested parties regarding the Government of India's decision to suspend certain countervailing and anti-dumping duties imposed on steel products. The Authority's mandate under the Anti-dumping Rules, 1995 is to assess the dumping of the subject product, injury caused to the domestic industry and whether a causal link exists between the two. If the Authority comes to a positive conclusion on all these three facets, then it recommends to the Central Government for imposition of anti-dumping duty.

K. POST – DISCLOSURE COMMENTS

137. The Authority notes that most of the submissions made by the interested parties in response to the disclosure statement are repetitive in nature and the interested parties have largely reiterated their earlier submissions. The Authority has already examined such submissions in the aforementioned paras and only additional submissions have been examined by the Authority in the following examination to the extent they were found to be relevant.

K.1 Submissions made by the other interested parties

138. The following submissions have been made by the other interested parties:

a. EG steel of special formability grades (deep drawing quality) with one-side coating i.e., JFE-CE-EZ, JFE-CF-EZ, JFE-CG-EZ, JFE-CGX-EZ, JEC270E, JEC270F, JEC260G, SECE, SECF and SECG (collectively referred to as "Specified Grades")
   i. are not *commercially* produced and/or sold by the domestic industry
   ii. are not *commercially* substitutable/interchangeable with the grades commercially produced by the domestic industry, and
   iii. do not compete with the domestic industry because of their precise specifications and high quality.
b. The non-filing should not prejudice the right of JFE Steel to seek an exclusion as it has registered itself as an interested party. Indeed, the Authority in Anti-dumping investigation concerning imports of Flat Rolled Products of Stainless Steel has not only entertained but also granted the request for exclusion sought by a producer from Japan which was not held to be cooperative in the investigation.
c. One of the major users i.e., Honda of the products produced by JFE has clarified that the petitioner does not commercially produce and/or sell one-sided coating electro galvanized steel.
d. Despite the same, it has been recorded in the disclosure statement that the petitioner has provided evidence of sales of one-side coated EG steel used in automobiles, which is erroneous.
e. If indeed the petitioner has provided the relevant evidence of production and sales of one-sided coating electro-galvanized steel, the same ought to have been

provided to the interested parties. No invoices have also been placed on record by the domestic industry to show evidence of commercial production and sales of one-sided electro galvanized steel. Given that same, the present Disclosure Statement and the proceedings are in violation of Rule 16 of the AD Rules, due process, and principles of natural justice.

f. The Japanese Mills submissions on the domestic industry's filing of the PCN data (in the previous submissions) have neither been recorded nor appear to have been assessed by the Authority in the disclosure statement. Without prejudice that the same is in violation of disclosure of essential facts under consideration prescribed under Rule 16 of the Anti-dumping Rules[45], the Authority is requested to reconsider the same.

g. The Authority has proposed to exclude laminated EG steel from the scope of the PUC. LG India submits that all kinds of laminated EG steel must be excluded. Without prejudice, LG India submits that laminated grade is known by different names such as VCM electro galvanized steel sheet, PET coated electro galvanized steel sheet, etc. Hence, VCM and PET laminated grade may also be included in description of laminated EG Steel. Further, as admitted by the domestic industry itself, it does not manufacture laminated grade EG Steel. Accordingly, the domestic industry's proposal on minimum micron of LDPE film is untenable. Further, it is important to note that laminated EG steel, may be of any microns. Currently, LG India is importing laminated EG steel of 30 microns and may import laminated EG Steel of less than 30 microns in future. Since, laminated EG steel is not manufactured by the applicant, the requirement of minimum 50 microns may be removed from the description of laminated EG Steel provided in para 12 of the disclosure statement. LG India requests for following modified phrase:

"VCM electro galvanized steel sheet or PET coated electro galvanized steel sheet, which are bare electrogalvanized Steel subjected to a phosphate pre-treatment along with an appropriate primer and / or base coat on Topside and a primer and / or backcoat on bottom side and laminated on top side, with a printed – Vinyl / PET / ALF or LDPE film of any micron."

h. There is no rationale for the inclusion of minimum thickness of 50 microns in the proposed exclusion definition of laminated EG steel. Whirlpool India imports laminated EG steel with a minimum thickness of 25 microns.

i. Regarding the language proposed for exclusion of printed EG steel, it is submitted that that the backcoat need not necessarily be coloured but can also be transparent as is the case with products produced by Dongkuk. Further, there is no rationale for restricting the colours on topside to three colours as printing is usually done in two colours on top side. The following language is proposed:

"Bare electrogalvanized steel which is subjected to a phosphated pre-treatment along with an appropriate primer and / or coloured base coat on Topside and a

[45] The Authority is required to disclose all the "essential facts" under its consideration in the Disclosure Statement. Non-disclosure of the same is a violation of principles of natural justice. - See *Nirma vs. Union of India*, 2017 (358) E.L.T. 146 (Guj.)).

primer and/or backcoat on bottom side and printed in minimum 2 colours on top side."

j. LG India submits that there is no material retardation to the applicant as the trend of various economic parameters of the domestic industry shows improvement.

k. The domestic industry is not suffering any injury on account of alleged dumped imports as the production, capacity utilization, profitability, cash profits, ROCE, and productivity per employee have increased throughout the injury period.

l. The project report relied upon by the petitioner and considered by the Authority appears to have been prepared in 2019 and contains certain projections on the economic parameters of the domestic industry (with no anticipation of the COVID-19 pandemic). Admittedly, the domestic industry set up a plant and commenced commercial production of the PUC in July 2019. At the same time, it had prepared a project report with certain financial projections. However, on account of the COVID-19 pandemic coupled with COVID-19-related preventive measures imposed by the Government of India in the POI, the domestic industry could not achieve its projections, much like several other Indian and global industries. Hence, the Authority must reject the project report and limit its analysis of the actual performance over the injury period.

m. Without prejudice, it is unclear why the Authority has limited its comparison of the actual performance and projected performance of capacity utilization and production. This only seems to suggest that a comparison of other parameters may reveal that there is no shortfall in the actual performance in comparison to the projected performance.

n. There are various other factors as listed below that have potentially impacted the performance of the domestic industry.

   i. Lack of product approvals from end-users / buyers, which lowered the sales and prices of the domestic industry – the petitioner has admitted that same in paragraph 70 of its written submission.
   ii. Low-grade sales by the domestic industry at low prices.
   iii. Change in market conditions between the planning stage and stage of commencement of plant and new capacity additions.
   iv. Increased marketing expenses coupled with higher discounts.
   v. Admittedly, the petitioner is offering prices that are about 30% higher than that offered in the market.

o. The Authority is requested to confirm the said individual dumping and injury margin for NSC in the final findings.

K.2 Submission by the domestic industry

139. The following submission have been made by the domestic industry:

a. The Authority should confirm its observation regarding scope of the PUC, rejection of exclusion requests and standing of the domestic industry in the final findings.

b. The exports made by producers/exporters Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. and Nippon Steel Corporation through non-cooperating unrelated trader cannot be ignored for the purpose of determining export price and landed value. The Authority should adopt adverse facts available for exports made through non-cooperating unrelated trader as per the consistent practice of the Authority.

c. With respect to exports made by Dongkuk Steel Mill Co., Ltd and Hyundai Steel Company, Korea RP to its related parties in India, the Authority should examine if such related importers have re-sold the goods to other related parties in India and whether such other related parties have participated and provided their resale price information.

d. With respect to exports by Dongkuk Steel Mill Co., Ltd and Hyundai Steel Company, Korea RP, if related importers have re-sold the goods to unrelated parties in India, the Authority should examine if related importers have resold at a profit or at a loss. The Authority should make adjustments to the export price and landed value if related importers have re-sold the subject goods to unrelated parties at a loss.

e. In case of Hyundai Steel Company, Korea RP, the Authority has allowed adjustment on account of ocean freight while determining the normal value. However, the company will not incur any ocean freight for selling the subject goods within Korea RP and therefore, no adjustment for ocean freight should have been provided.

f. The claim of POSCO regarding absence of comparable sales in the domestic market is unreliable and requires further examination.

g. Even if there are no comparable domestic sales, the normal values should be computed on the basis of comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as it is based on market realities and is more representative than the hypothetical price based on cost of production and reasonable profit.

h. With respect to exports made by POSCO SteeLeON Co., Ltd to India, no adjustment for ocean freight has been made for export price determination as has been done by the Authority for other producers/exporters from Korea RP.

i. With respect to normal value of Nippon Steel Corporation, the Authority has noted that the domestic sales made to non-cooperative related parties are insignificant in terms of total domestic sales and the Authority has accordingly determined the normal value based upon the total domestic sales. However, it is a settled position in anti-dumping investigations that all related parties of producer/exporter involved in domestic sales and/or export sales to India are required to participate in the investigation. Even if the sales made to any related party/ies are insignificant in volume in comparison with the total sales, non-participation of related parties cannot be excused. The Authority should treat Nippon Steel Corporation as non-cooperative producer/exporter and reject the information provided in the questionnaire response and Authority should proceed to determine dumping margin and injury margin on adverse facts available.

j. Even if normal value is determined for Nippon Steel Corporation based on actual selling price information, the Authority has wrongly allowed adjustment of warranty for determining normal value at ex-factory level. Warranty is an inherent cost of the product, which is part of the ex-factory price. The Authority has also not allowed any adjustment of warranty for the purpose of determining ex-factory export price.

k. The determination of the country-wise price underselling and weighted average price underselling from subject countries and comparison of landed price with non-injurious price/fair price at para 99 and 100 of the disclosure statement is not appropriate. There is no legal requirement for the Authority to examine country-wise price underselling and weighted average price underselling for subject countries in terms of the provisions of the Customs Tariff Act, 1975 or the Anti-dumping Rules, 1995.

l. It is the consistent practice of the Authority to not determine country-wise price underselling and weighted average price underselling for subject countries for assessment of price effect of dumped imports. Also, in all recently concluded investigations, the Authority has not undertaken such examination of country-wise price underselling and weighted average price underselling for subject countries. Some relevant examples are:

    a. Sunset review investigation concerning imports of Aluminium Foil 5.5 Micron originating in or exported from China PR. - final finding dated 14th March 2022
    b. Anti-dumping investigation concerning imports of clear float glass from Bangladesh and Thailand. - final finding dated 29th June 2022
    c. Sunset review investigation concerning imports of Toluene Di-isocyanate originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP. - Final finding dated 24th June 2022
    d. Anti-dumping investigation concerning imports of certain rubber chemicals viz. TDQ originating in or exported from China PR, European Union and Russia, PVI originating in or exported from China PR, and CBS originating in or exported from China PR and European Union. - final finding dated 30th March 2022
    e. Sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of Ammonium Nitrate originating in or exported from Russia, Georgia and Iran. - final finding dated 10th June 2022.

m. The Authority is only required to determine injury margin for cooperating producers/exporters and for the remaining "all others" category of producers/exporters because of lesser duty rule. There is no requirement to determine country-wise price underselling and weighted average price underselling.

n. The comparison of country wise average landed price with NIP is irrelevant for determining the existence of injury and imposition of anti-dumping duty. Reliance is placed on *Honest Enterprises Ltd. vs. Designated Authority*[46].

o. The observation that actual selling price of the domestic industry (NSR) is higher than the non-injurious price (NIP) of the domestic industry is not mandated by Anti-dumping Rules and is not relevant for the purpose of assessing injury to the domestic industry and recommending the imposition of anti-dumping duty.

[46] 2016 (341) ELT 263

Reliance is placed on the Hon'ble Tribunal decision in case of *All India Glass Manufacturers Federation vs. UOI* [47].

p. The domestic industry has earned profits during the POI because the entire project of the domestic industry has been self-financed and therefore there is a savings on account of low interest cost. Also, majority of the sales of the domestic industry have been in sectors where there is less competition from imports.

q. Even though the domestic industry is earning profits, the profitability is much below the expected levels given the fact that the petitioner is the sole producer of subject goods in India and there is a significant demand for the subject goods in India. Total profit of the domestic industry is low in absolute terms and is not sustainable in the long run.

r. The domestic industry has been operating at very low-capacity utilization during the post-POI despite a significant demand of the subject goods in India.

s. The injury margin determined by the Authority is lower due to incorrect determination of non-injurious price.

t. The Authority should consider the best achieved capacity utilisation among all four quarters during the POI for determining the NIP and not best utilization of production capacity as per the Detailed Project Report (DPR). Reliance is placed on anti-dumping investigation concerning imports of N, N′-Dicyclohexyl Carbodiimide (DCC) from China PR.

u. The applicant purchases major raw material, CR steel for production of EG steel. There is no production loss during the production of EG steel. Raw material cost cannot be normated in the present investigation by adopting a formulaic approach, which is devoid of business realities.

v. The value addition for producing EG steel from CR steel as % of total cost is much higher than conversion cost allowed by the Authority. EG steel is specialized product which requires significant amount of investment and technology.

w. While determining the NIP, the applicant requests that the Authority should not restrict itself to the actual investment made by the applicant for allowing 22% ROCE but should also consider the planned capital investment i.e. the amount allocated as short term liquid funds for downstream production activity.

x. The Authority has not provided breakup of disallowed SGA expenses and details regarding disallowed working capital while calculating NIP.

y. Facts disclosed in the disclosure statement clearly indicates that there is material retardation to the establishment of domestic industry due to dumping of imports from the subject countries.

K3. Examination by the Authority

140. The Authority notes the submission made by JFE Steel Corporation regarding non-acceptance of their exclusion request. It is noted that JFE Steel Corporation has not filed questionnaire response which has prevented the Authority from ascertaining whether JFE

[47] 2016 (342) ELT 563.

Steel Corporation has even exported those grades to India for which it is seeking exclusion. The Authority also notes that in Flat Rolled Products of Stainless Steel the participating exporters from Japan had duly filed their questionnaire responses and some were held to be non-cooperative only due to specific deficiencies in their responses, a position which is completely different for JFE Steel in the present investigation where the exporter questionnaire response has itself not been filed. Therefore, the Authority is not in a position to accept the said product exclusion request.

141. The Authority notes the submissions made by the other interested parties with respect to production of one side coated EG steel. The domestic industry has submitted evidence with respect to supply of one-side coated EG steel and the same has been verified by the Authority. However, the same has been considered as confidential information.

142. The Authority notes the submissions of the other interested parties with respect to the improvement in certain economic parameters of the domestic industry. In this regard, the Authority notes that the domestic industry had commenced commercial production in July 2019 and therefore, due to the base year effect the economic parameters would show a rising trend. However, the analysis of post- POI data shows that the domestic industry's performance in several parameters has declined. Other issues related to injury analysis and material retardation have already been dealt in relevant paras above.

143. The Authority notes the submissions of the other interested parties regarding the non-consideration of the effect of COVID-19 in the project report submitted by the domestic industry. The Authority has in consonance with its past practice relied on the project report considering that the examination of injury is regarding material retardation to the establishment of the domestic industry. The Authority notes that non-consideration of COVID-19 pandemic has not affected the reliability of the project report submitted by the domestic industry. At the same time, the Authority has taken into account the post-POI data as well as the actual performance of the domestic industry for the purpose of its analysis.

144. Regarding the comments on the proposed definition for exclusions by the other interested parties, the Authority notes that such definition contain several technicalities which have not been substantiated by documentary evidence. Accordingly, the Authority has made generic exclusions to the scope of PUC as mentioned in paras 22-23.

145. Regarding the domestic industry submissions with respect to adjustments accorded to Hyundai Steel Company on account of ocean freight, the Authority notes that during verification it was found that Hyundai Steel Company had made some domestic sales to its customers through the ocean route as they were located near ports. Accordingly, due adjustments on account of ocean freight for those transactions were given to the exporter. On the contrary POSCO SteeLeON Co., has not made any of its domestic sales through ocean route and therefore, no such adjustments have been allowed.

146. With regard to the comments made by the applicant on the computation of the non-injurious price and the disclosure thereof, the Authority notes that non-injurious price has

been determined in accordance with Annexure III of the Rules and as per the consistent practice of the Authority.

a. With regard to the applicant's suggestion to consider the best achieved capacity utilisation among all four quarters during the POI for determining NIP, the following may be noted:

   i. The applicant has started commercial production of the subject goods from July 2019. Accordingly, the applicant has provided the details of quarterly capacity utilisation for all six financial quarters including the POI (i.e., from July-2019 or start date of the commercial production to Dec-2020).
   ii. It is further noted in this regard that the DPR envisages an investment of Rs. *** crore in July-2019 aiming for a capacity utilisation of ***% during the POI. While the assets actually deployed as per the Format-K in the beginning of the POI (Jan-2020) is only Rs. *** Crores and the balance money has been kept in the interest-earning "Cash Equivalent Liquid Funds".
   iii. Since it is a fact that normal cost of a product takes some time after the start of the commercial production and the initial costs may be high, the DGTR's consistent practice with regard to the cases of material retardation may be noted as under:
   "The data in cases of material retardation may not be available for all the four years. Therefore, the optimization of capacity shall be done based on the available data read with projections in the project report and the data from technology/capital equipment supplier. Reports submitted with the long-term loans and suppliers may also be called for this purpose."
   iv. Accordingly, the optimum capacity utilisation for NFA and fixed expenses of the PUC for the POI has been considered to be *** MT to nullify injury, if any, caused to the domestic industry by inefficient utilization of production capacities in terms of Clause 4(iii) to Annexure – III of the Rules read with para 9.6.48 of the SOP manual. Thus, the contention of the domestic industry in this regard cannot be accepted.

b. With regard to the optimisation of raw material cost, it is noted that Clause 4(i) to Annexure-III of the Rules is applicable for all raw material cost which includes "chemicals" as well apart from CR steel. The CR steel consumption norm has been optimised as claimed by the applicant. Apart from this, the applicant did not optimise the "chemicals" in its Format-B which has been duly optimised by DGTR in terms of Clause 4(i) to Annexure-III of the Rules, especially when domestic industry is producing only one of the PCNs. Thus, the contention of the domestic industry in this regard is misplaced and hence not accepted.

c. With regard to the contention of the domestic industry relating to the higher value addition for producing the PUC requiring significant amount of investment and technology, the following may be noted:

   i. The return on capital employed to be allowed has been calculated as per Annexure-III of the Rules and as per the consistent practice of the Authority. Such return allowed (towards interest/finance-cost, corporate tax and normal

profit) crossed the minimum return threshold to be ensured in the present case and thus allowed.

ii. As per the Annexure-III to the Rules, the consistent practice of the Authority and as per the Generally Accepted Cost Accounting Principles (GAAP), the return is to be provided on actual investment made in the business for the PUC and not for the planned/parked-in-interest-bearing-deposits/notional investment.

iii. As the NFA for PUC (value in Rs. Lacs) have been claimed on actual basis (not allocated) for separate dedicated new plant for the PUC in Valsad-Gujarat, the same has been accepted and allowed. However, the same has been divided by the optimum production as determined by DGTR as mentioned above (***MT) to calculate NFA per unit for the purpose of return on capital employed.

iv. The applicant has claimed Cash Equivalent Liquid Fund (CELF) of Rs. *** Crores as on 31.12.2020 (in closing working capital of POI) and Rs. *** Crores as on 31.12.2019 (in opening working capital of POI) treating it as trading item of current asset along with crediting its interest received of Rs. *** lacs in cost of sales treating it as trading income. While as per the practice of DGTR, any interest-bearing cash/bank balance (like fixed deposit, etc.) are not to be considered as trading items (both in current asset and other income). The applicant was specifically asked in the RCC documents for justification for treating it as trading item. However, the applicant in this regard could not provide any reasonable justification with evidence that these CELF funds were not invested throughout the POI and were invested only for a smaller period of the POI which resulted in much lower interest received as compared to the CELF so invested. Therefore, as per the DGTR practice in this regard, such interest bearing CELF and the interest earned thereon (part of other income) has been considered as non-trading item for the calculation of NIP and thus disallowed. That is, the CELF as claimed in Format-K has been disallowed as part of current asset along with the disallowance of credit of its interest received in cost of sales, for the purpose of NIP calculation in the present investigation.

d. With regard to the contention of the domestic industry relating to non-providing the breakup of disallowed SGA expenses and details regarding disallowed working capital while calculating NIP, it may be noted that the Authority has disclosed the NIP and its calculations as per the consistent practice of DGTR in this regard being followed for the other investigations as well. In any case, the SGA claimed forms merely less than two percent of the NIP claimed.

e. As regards the submission of the applicant referring to the earlier findings of the Authority, the same cannot be taken as guiding principle since the facts and circumstances of each case are different and have to be assessed and analysed on case-to-case basis.

L. CONCLUSION

147. Having regard to the contentions raised, submissions made, information provided and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes that:

a. The applicant is an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules, 1995. The application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.

b. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject countries and is the sole producer of the subject product in India.

c. The application contained all information relevant for the purpose of initiation of the investigation and also contained evidence to justify initiation of the present investigation.

d. The present case was of material retardation to the domestic industry. The domestic industry is the sole producer of the PUC and started production in July 2019. The domestic industry is still in nascent stage and is in the process of establishing itself. The capacity utilization has been in the range of 5-15%. Further, the market share of the importer is also in the same range as against the subject imports which capture 70-80 % of the domestic market.

e. Considering the normal value and export price for the subject goods, dumping margin for the subject goods from the subject countries for residual exporters has been determined, and the margin is positive and significant.

f. During the investigation, it was found that DCM Co. Ltd., Korea RP, Samyang Steel Co., Ltd., Korea RP and BN Steel Co. Ltd., Korea RP did not export the PUC during the POI. In the event they export the PUC, they may file for a new shipper review.

g. The domestic industry has suffered material retardation in view of the following:

   i. The volume of dumped imports has increase and is significant enough.

   ii. The imports from the subject countries are undercutting the price of the domestic industry.

   iii. The production of the applicant has shown improvement over the POI; however, its capacity utilization has been very low despite of significant demand in the country. However, this is due to the zero base year effect. In the post-POI period, the capacity utilization of the domestic industry has significantly declined.

   iv. A comparison of the actual performance as against the projected performance of the domestic industry shows that its actual production and profits have fallen short by 175-225 % and 350-400% respectively during the POI.

h. There are no other factors which could have caused injury to the domestic industry.

i. The domestic has suffered material injury as a result of the dumped imports.

j. The imposition of anti-dumping duty would not have any significant adverse impact on public interest.

M. RECOMMENDATION

148. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, Embassies of the subject countries, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and causal link in terms of Rules and having established positive dumping margin as well material retardation to the domestic industry caused by such imports, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is necessary.

149. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, so .as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col. No.7 of the table below is recommended to be imposed on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

DUTY TABLE

S. No.	Heading/ Subheading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7210, 7212, 7225, 7209, 7211 and 7226	Electrogalvanized Steel**	Korea RP	Any country including Korea RP	POSCO Group consisting of: POSCO Co., Ltd. or POSCO SteeLeON Co., Ltd.	NIL	MT	USD
2.	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.	NIL	-do-	-do-
3.	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Hyundai Steel Company	NIL	-do-	-do-
4.	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	DK Dongshin Co., Ltd.	NIL	-do-	-do-
5.	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer other than S. No. 1 to 4 above	16.05	-do-	-do-

6.	-do-	-do-	Any country other than subject countries	Korea RP	Any	16.05	-do-	-do-
7.	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Nippon Steel Corporation	NIL	-do-	-do-
8.	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Any producer other than S. No. 7 above	64.08	-do-	-do-
9.	-do-	-do-	Any country other than subject countries	Japan	Any	64.08	-do-	-do-
10.	-do-	-do-	Singapore	Any country including Singapore	Any	79.73	-do-	-do-
11.	-do-	-do-	Any country other than subject countries	Singapore	Any	79.73	-do-	-do-

******** *The product under consideration ('PUC') is 'Flat rolled products of hot rolled or cold rolled steel continuously electrolytically plated or coated with zinc, with or without alloying elements'. The product under consideration is commonly known as Electrogalvanized steel.*

The product under consideration may be either of alloy or non-alloy steel, whether or not of prime or non-prime quality. The product under consideration may be in coils or not in coils form. The product under consideration includes all types of Electrogalvanized steel whether or not coated, passivated, pre-treated, pre-painted, colour coated, thin organic coated, chromated, phosphated, printed, whether or not corrugated or profiled, and whether or not having anti-fingerprint treatment.

The following are excluded from the scope of product under consideration:

i. Flat rolled steel products that are plated or coated with alloy of aluminium and zinc.

ii. Flat rolled steel products that are plated or coated with alloy of zinc and nickel with nickel content being a minimum 9%.

iii. Hot-dip galvanized flat rolled steel products.

iv. Tin-mill flat rolled steel products

v. Laminated electrogalvanized steel.

vi. Printed electrogalvanized steel.

The intended end use of the product under consideration is for protection from corrosion and is majorly used in the manufacturing of electronic appliances, auto applications, consumer electronics, furniture, HVAC, roofing and siding, ceiling grid, construction, office equipment etc.

The product under consideration is classified under HS Codes 7210, 7212, 7225 and 7226 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. However, imports of the product under consideration have also been made under HS Codes 7209 & 7211 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975.

N. FURTHER PROCEDURE

150. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.07.28 22:46:25 +05'30'